



उत्तर प्रदेश 288 दूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. : H04479 OA-Mo-889/2022/2022

Date : 19/12/2023

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub.: Regarding submission of Action taken report with reference to Hon'ble NGT order dated 06-10-2023 in the matter of Jeetu Yadav Vs U.P. Pollution Control Board & Ors in O. A. no. 889/2022 (I.A. No. 321/2022).

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal during hearing on 06-10-2023 in the matter of Jeetu Yadav Vs U.P. Pollution Control Board & Ors in O. A. no. 889/2022 (I.A. No. 321/2022), Action taken report dated 19-12-2023 is hereby attached on behalf of U.P. Pollution Control Board with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Encl: As Above

Yours Sincerely,

Chief Environment Officer,
Circle-7

-: Table of Content :-

S.No.	Content	Page No.
1.	Action Taken Report with reference to Hon'ble NGT order dated 06-10-2023	1-6
2.	Annexure No. 1	7-8
3.	Annexure No. 2	9-10
4.	Annexure No. 3	11-13
5.	Annexure No. 4	14-85
6.	Annexure No. 5	86-89
7.	Annexure No. 6	90
8.	Annexure No. 7	91
9.	Annexure No. 8	92
10.	Annexure No. 9	93-118
11.	Annexure No. 10	119-121
12.	Annexure No. 11	122
13.	Annexure No. 12	123-130
14.	Annexure No. 13	131-239
15.	Annexure No. 14	240
16.	Annexure No. 15	241-250
17.	Annexure No. 16	251-253
18.	Annexure No. 17	254-326
19.	Annexure No. 18	327-330
20.	Annexure No. 19	331-335
21.	Annexure No. 20	336-339
22.	Annexure No. 21	340-362

Action taken report with reference to Hon'ble NGT order dated 06-10-2023 in the matter of Jeetu Yadav Vs U.P. Pollution Control Board & Ors in O. A. no. 889/2022 (I.A. No. 321/2022).

Background :

Hon'ble NGT vide order dated 06-10-2023 in the matter of Jeetu Yadav Vs U.P. Pollution Control Board & Ors in O. A. no. 889/2022 (I.A. No. 321/2022) has directed as under –

“.....8. So far as the issue of implementing the orders of closure passed against illegally operating brick kilns, the stand of the Member Secretary, State PCB is that the communication for closure was sent to the concerned District Magistrates who were required to take action. The responsibility of the officers of the State PCB does not end merely by sending communication alone but they are required to act in terms of the powers which have been conferred upon them under the provisions of the Act.

9. Hence, we direct the UPPCB to take action in accordance with law, to submit a fresh action taken report and clearly disclose the steps which are taken for closure of the units operating without consent to operate and in violation of law and also the action which is taken for levy and recovery of environmental compensation from the brick kilns which were found to be illegally operating.

10. Let notice be issued to the District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha to submit a report before the Tribunal in respect of action of closure of illegally operating brick kilns in compliance of the closure orders of the State PCB communicated to the concerned District Magistrates and also recovery of the environmental compensation imposed by the concerned officer of the State PCB.

11. Let the report in terms of above directions be submitted by the UPPCB and District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF..... ”

1. That Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has filed action taken report on dated 10-02-2023 and 15-04-2023 in compliance of directions of Hon'ble NGT. In the above mentioned reports UPPCB has reflected the action taken against defaulter brick kilns in district Moradabad, Rampur, Sambhal and Amroha.

G.C.P.

M

2. That due to unavailability of nominated member of joint committee from CPCB the inspections of the brick kilns were done by officials of Regional Office, UPPCB, Moradabad and Bijnore.
3. That UPPCB has identified 281 defaulter brick kilns operating in the above mentioned 04 districts.
4. That UPPCB has initiated actions against the 281 defaulter brick kilns. The action taken against defaulter brick kilns till 15-04-2023 was submitted in Hon'ble NGT and reproduced in the chart below :

S. N	District	Actual Operational Defaulter Brick Kilns	Brick Kilns operating in violation of Closure Order issued earlier	Action Taken by UPPCB	Brick Kilns operating without prior CTO	Action Taken by UPPCB
1	Moradabad	72	64	<ul style="list-style-type: none"> • Notice for imposition of EC issued vide letter dated 10-02-23. • Prosecution initiated 	8	Show Cause Notice for closure & imposition of EC issued vide letter dated 10-02-23.
2	Rampur	26	15		11	
1	Sambhal	108	104	<ul style="list-style-type: none"> • Notice for imposition of EC issued vide letter dated 13-04-23. 	4	Show Cause Notices for closure & imposition of EC issued against defaulter brick kilns vide letter dated 13-04-23.
2	Amroha	75	71		4	

Action taken by UPPCB :

That in compliance of directions of Hon'ble NGT issued vide order dated 06-10-2023 in O.A. No. 889/2022 (I.A. No. 321/2022) in the matter of Jeetu Yadav Vs U.P. Pollution Control Board & Ors., UPPCB vide its letter dated 27-10-2023 and 01-12-2023 has issued directions to District Magistrate, Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha to comply with the directions of Hon'ble NGT and to ensure the compliance of directions dated 15-03-2021 and 08-07-2021 issued by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. regarding compliance of closure direction issued by UPPCB. The

copy of letter dated 27-10-2023 and 01-12-2023 is annexed as **Annexure No. 1 & 2** respectively.

That UPPCB vide its letter dated 27-10-2023 and 01-12-2023 mentioned above has requested the District Magistrates to facilitate the availability of coal, issuance of licence for soil excavation and other facilities to the brick kilns in their respective areas only after obtaining valid Consent to Operate from UPPCB by the brick kilns.

There after UPPCB has confirmed the show cause notice for closure as well as notice for imposition of Environmental Compensation against the remaining defaulter brick kilns. UPPCB has issued directions to Districts Magistrates for recovery of Environmental Compensation imposed by UPPCB against defaulter brick kilns.

District wise action taken by UPPCB as well as the District Administration for ensuring closure and levying and recovery of Environmental Compensation against the defaulter brick kilns operating without consent to operate from UPPCB is given below:

1- District Moradabad :

- i. That UPPCB has issued Closure order against all 72 defaulter brick kilns identified in district Moradabad. UPPCB has also confirmed the show cause notice of Environmental Compensation and has imposed Environmental Compensation of Rs. 59.3 Cr. against above 72 defaulter brick kilns. Tabular Chart showing the closure and EC imposition data is annexed as **Annexure No. 3**. Environmental compensation has been imposed against 72 defaulter brick kilns vide letter dated 15-04-2023 are annexed as **Annexure No. 4**.
- ii. That UPPCB vide its letter dated 23-11-2023 has requested District Magistrate Moradabad to recover the Environmental Compensation imposed against the defaulter 72 brick kilns. Letter dated 23-11-2023 along with the list of defaulter 72 brick kilns is annexed as **Annexure No.5**.
- iii. That Regional Officer, UPPCB, Moradabad vide its letter dated 21-11-2023 has requested to all SDMs and all Circle Officers (Police) to ensure the compliance of directions dated 15-03-2021 and 08-07-2021 issued by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. regarding compliance of closure direction issued by UPPCB along with list of defaulter brick kilns. Copy of letter dated 21-11-2023 is annexed as **Annexure No. 6**.
- iv. That District Magistrate, Moradabad vide letter dated 07-12-2023 has issued directions to SDM Sadar, SDM Kanth, SDM Bilari and SDM

Thakurdwara District Moradabad to ensure the compliance of closure directions issued by UPPCB against the defaulter brick kilns. Copy of letter dated 07-12-2023 is annexed as **Annexure No. 7.**

2- District Rampur :

- i. That UPPCB has issued Closure order against all 26 defaulter brick kilns identified in district Rampur. UPPCB has also imposed Environmental Compensation of Rs. 19.57 Cr. against above 26 defaulter brick kilns. Tabular Chart showing the closure and EC imposition data is annexed as **Annexure No. 8.** Environmental compensation has been imposed against 26 defaulter brick kilns vide letter dated 15-04-2023 which are annexed as **Annexure No.9.**
- ii. That UPPCB vide its letter dated 23-11-2023 has requested District Magistrate Rampur to recover the Environmental Compensation imposed against the defaulter 26 brick kilns. Letter dated 23-11-2023 along with the list of defaulter 26 brick kilns is annexed as **Annexure No. 10.**
- iii. That District Magistrate, Rampur vide letter dated 20-10-2023 has issued directions to all SDM and all Circle Officer (Police) to ensure the compliance of directions dated 15-03-2021 and 08-07-2021 issued by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. regarding compliance of closure direction issued by UPPCB along with list of defaulter brick kilns. Copy of letter dated 20-10-2023 is annexed as **Annexure No. 11.**

3- District Sambhal :

- i. That UPPCB has issued Closure order against all 108 defaulter brick kilns identified in district Sambhal. UPPCB has also imposed Environmental Compensation of Rs. 52.62 Cr. against above 108 defaulter brick kilns. Tabular Chart showing the closure and EC imposition data is annexed as **Annexure No.12.** Environmental compensation has been imposed against 108 defaulter brick kilns vide letter dated 11-12-2023 along with request to District Magistrate Sambhal for taking necessary action and is annexed as **Annexure No.13.**
- ii. That District Magistrate, Sambhal vide letter dated 19-10-2023 has issued directions to all SDM and all Circle Officer (Police) to ensure the compliance of directions dated 15-03-2021 and 08-07-2021 issued by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. regarding compliance of closure direction issued by UPPCB. Copy of letter dated 19-10-2023 is annexed as **Annexure No. 14.**

g.c.p.

MW

- iii. That UPPCB vide its letter dated 15-12-2023 has requested District Magistrate Sambhal and SP, Sambhal to ensure the closure directions issued against defaulter brick kilns in District Sambhal along with the list of 108 defaulter brick kilns. Letter dated 15-12-2023 along with the list of defaulter 108 brick kilns is annexed as **Annexure No. 15.**

4- District Amroha :

- i. That UPPCB has issued Closure orders against 71 out of 75 defaulter brick kilns mentioned in the compliance report dated 15-04-2023. Out of rest 04 brick kilns 02 brick kilns have been omitted due to name change of same brick kiln which has been already covered in above 71 brick kilns list. One brick kiln is operating with valid consent with other name, thus omitted from the list of 75 defaulter brick kilns. Show cause notice issued against rest 01 brick kiln has been revoked with imposition of Environmental Compensation for defaulting period, as it has taken CTO from UPPCB.
- UPPCB has imposed total environmental compensation of Rs. 27.56 Cr. against defaulter brick kilns. Tabular Chart showing the closure and EC imposition data is annexed as **Annexure No.16.** Environmental compensation has been imposed against defaulter brick kilns vide letter dated 11-12-2023 along with request to District Magistrate Amroha for taking necessary action is annexed as **Annexure No.17.**
- ii. That District Magistrate, Amroha vide its letters dated 18-11-2023 has issued directions to all SDMs, Mining Officers, Tehsildar/ Nayab Tehsildar and all Circle Officers (Police) to ensure the compliance of directions dated 15-03-2021 and 08-07-2021 issued by Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of U.P. regarding compliance of closure direction issued by UPPCB. Copy of letters dated 18-11-2023 are annexed as **Annexure No. 18.**
- iii. That UPPCB vide its letter dated 15-12-2023 has requested District Magistrate Amroha and SSP/SP, Amroha to ensure the closure directions issued against defaulter brick kilns in District Amroha along with the list of 71 defaulter brick kilns. Letter dated 15-12-2023 along with the list of defaulter 71 brick kilns is annexed as **Annexure No. 19.**

That U.P. Pollution Control Board is regularly inspecting the brick kilns and has also prosecuted defaulter brick kilns. The status of prosecution against defaulter brick kilns by UPPCB is tabulated as below:

S.No.	District	Prosecution filled
1	Moradabad	23
2	Rampur	01
3	Sambhal	02
4	Amroha	11
	Total	37

List of 37 brick kilns is attached here with and marked as **Annexure no. 20.**

That officials of UPPCB conducted the inspection of defaulter brick kilns closed by UPPCB during the month of October, 2023 to November, 2023. UPPCB has inspected 231 no. of brick kilns and found that all the brick kilns are closed. Chart showing district wise details is given below :

S.No.	District	No. of Brick Kilns inspected
1.	Moradabad	72
2.	Rampur	26
3.	Sambhal	108
4.	Amroha	25

List of inspected brick kilns and found closed is annexed as **Annexure No. 21.**

That it is submitted that U.P. Pollution Control Board is conducting a regular vigil on the brick kilns and has already taken action against the defaulter brick kilns by way of issuance of closure directions, ensuring compliance through District Administration & Police Department, imposition of Environmental Compensation for defaulting period and filing of prosecution against them as mentioned above.

G.C.B.
EE

N.W.
CRD



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या:

402372

10-7/विधि-597/2023

दिनांक:

27/10/22

सेवा में,

पंजीकृत

1. जिलाधिकारी
मुरादाबाद / सम्भल / रामपुर / अमरोहा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
मुरादाबाद / सम्भल / रामपुर / अमरोहा।

द्वारा नं०.....

सीटिथल नं०.....

फाइल नं० N-131808/2022

दिनांक..... 27/10/22

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-889/2022 जीतू यादव बनाम यू०पी० पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-889/2022 जीतू यादव बनाम यू०पी० पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के सुसंगत अंश का अवलोकन करने का कष्ट करें :-

".....10. Let notice be issued to the District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha to submit a report before the Tribunal in respect of action of closure of illegally operating brick kilns in compliance of the closure orders of the State PCB communicated to the concerned District Magistrates and also recovery of the environmental compensation imposed by the concerned officer of the State PCB.

11. Let the report in terms of above directions be submitted by the UPPCB and District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 08.07.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों को बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण में विचाराधीन उक्त ओ०ए० सं०-889/2022 में पारित पूर्व आदेशों के अनुपालन में आपको पूर्व में बोर्ड के पत्र 10.02.2023 एवं 13.04.2023 द्वारा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-889/2022 जीतू यादव बनाम यू०पी० पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित उक्त आदेश दिनांक 06.10.2023 से 08 सप्ताह अर्थात् 06.12.2023 तक जिलाधिकारी, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल एवं अमरोहा तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही की पृथक-पृथक रिपोर्ट प्रेषित की जानी है एवं संबंधित जिलाधिकारी को अगली नियत तिथि 21.12.2023 को वर्चुअल मोड पर प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये हैं।

बोर्ड द्वारा प्रेषित उक्त पत्रों की छायाप्रति एवं सूची पुनः संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त दोषी ईट भट्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष: 0522- 2720831,2720828,2720691,2720681
2720681e-mail: info@uppcb.com

TC. 12 v. Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone: 0522- 2720831,2720828, 2720691,
Web Site: www.uppcb.com

उक्त के अतिरिक्त पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-८८९/२०२२ एवं अन्य वादों में पारित आदेशों तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक १५.०३.२०२१ एवं ०८.०७.२०२१ का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित समस्त ईट भट्टों को बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त होने की दशा में ही मिट्टी की खुदाई की अनुमति निर्गत किये जाने एवं कोयले की आपूर्ति किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद एवं बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि संबंधित जिला प्रशासन से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

1403511

अनुस्मारक-पत्र
पंजीकृत

सेवा में,

1. जिलाधिकारी
मुरादाबाद/सम्भल/रामपुर/अमरोहा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
मुरादाबाद/सम्भल/रामपुर/अमरोहा।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के सुसंगत अंश का अवलोकन करने का कष्ट करें :-

“.....10. Let notice be issued to the District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha to submit a report before the Tribunal in respect of action of closure of illegally operating brick kilns in compliance of the closure orders of the State PCB communicated to the concerned District Magistrates and also recovery of the environmental compensation imposed by the concerned officer of the State PCB.

11. Let the report in terms of above directions be submitted by the UPPCB and District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 08.07.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों को बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण में विचाराधीन उक्त ओ0ए0 सं0-889/2022 में पारित पूर्व आदेशों के अनुपालन में आपको पूर्व में बोर्ड के पत्र 10.02.2023 एवं 13.04.2023 द्वारा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित उक्त आदेश दिनांक 06.10.2023 से 08 सप्ताह अर्थात् 06.12.2023 तक जिलाधिकारी, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल एवं अमरोहा तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही की पृथक-पृथक रिपोर्ट प्रेषित की जानी है एवं संबंधित जिलाधिकारी को अगली नियत तिथि 21.12.2023 को वर्चुअल मोड पर प्रस्तुत होने के निर्देश दिये गये हैं।

बोर्ड द्वारा प्रेषित उक्त पत्रों की छायाप्रति एवं सूची पुनः संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त दोषी ईट भट्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-889/2022 एवं अन्य वादों में पारित आदेशों तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 15.03.2021 एवं 08.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित समस्त ईट भट्टों को बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त होने की दशा में ही कोयले की आपूर्ति एवं मिट्टी खनन संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद एवं बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि संबंधित जिला प्रशासन से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।



सदस्य सचिव

६/८

S.N.	Name of Brick Kiln	Closure Date	E.C. imposed date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	Estimation of EC Amount (INR)
1	Afaq Brick Field , Seelpur, Bilari, Moradabad	12-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
2	Ala Hazrat Int Udyog (Old Name- Latifi Bricks), Tewarkhas, Bilari, Moradabad	08-02-18	15-04-23	1350	6250	8437500
3	Alfoz Brick work, Jumania Azam Umri, Kanth, Moradabad	18-10-16	15-04-23	1350	6250	8437500
4	Ali Int Udyog, Mehmudpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
5	Arsh Brick Works, Mirzapur, Kamruddin, Thakurdwara, Moradabad	20-06-17	15-04-23	1350	6250	8437500
6	ASB Brick Works, Sarkara, Bilari, Moradabad	21-02-17	15-04-23	1350	6250	8437500
7	AtoZ Brick Works (New name AR Brick works), Madpuri, Kanth Road, Sadar, Moradabad	-	15-04-23	1350	6250	8437500
8	Bharat Int Udyog, Khatapur, Kanth, Moradabad	31-07-17	15-04-23	1350	6250	8437500
9	Diamond Brick Industries (New name- Habibi Intt. Udyog), Saijna Mundapande, Sadar, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
10	Dilshad Brick Works, Saidpur Chittu, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
11	Gaus-A-Azam Brick Works (New Name- Gaus A-Pak Brick Field), Mohanpur, Bilari, Moradabad	10-05-19	15-04-23	1350	6250	8437500
12	Good Friends Brick Works, Kanakpur Doyam, Bilari, Moradabad	18-12-17	15-04-23	1350	6250	8437500
13	Gulbahar Brick Works (New name Super Brick Field), Bhainsoda, Pakbara, Sadar, Moradabad	14-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
14	Habeeb Brick Field (old name roshan brick Works), Bhagatpur Tanda, Roshanpur, Sadar, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
15	Habibi brick field, lalpur hameer, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
16	Hind Brick Works, Mahmudpur Lal, Thakurdwara, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
17	Huda Brick Works, Khaikhera, Sadar, Moradabad	08-02-18	15-04-23	1350	6250	8437500
18	Janab Chaudhary Brick Works, Maholi Khan, Bilari, Moradabad	22-07-20	15-04-23	1350	6250	8437500
19	Janta Brick Works, Domghar, Bilari, Moradabad	14-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
20	Janta Brick Works (New Name-Munmun Brick Works Kazi Parivar), Vachalbhur, Bilari, Moradabad	06-11-15	15-04-23	1350	6250	8437500
21	Jay Gopal Hari Int Udyog & Manikamna Brick Works (New Name- New Indain Brick Field), Jatpura Jhado, Mitapur Road, Bilari, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
22	Kanakpur Brick Industries, Laither, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
23	Kazi Brick Works (Om Brick Works), Kamalpur Kulwada, Bilari, Moradabad	14-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
24	Khalil Brick Works, Sikari Husainpur, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
25	khan brick works (New Name- Khan Int Udyog), lalpur hamir, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	940	6250	5875000
26	Khwaja Brick Works, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad	16-07-22	15-04-23	1350	6250	8437500
27	Kisan Brick Works, Chakfajalpur, Bilari, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
28	Kisan Int Udyog, (New name Malik Brick Works), Salempur Mustkam, Kanth, Moradabad	08-02-18	15-04-23	1350	6250	8437500

S.N.	Name of Brick Kiln	Closure Date	E.C. imposed date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	Estimation of EC Amount (INR)
29	Laxmi Brick Field, Kutubpur Ajj, Bilari, Moradabad	16-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
30	Khwaja Brick Works (Malik Brick Works), Abhanpur, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
31	Manya Eint Udyog(New name Bharat Intt. Udyog), Shahpur, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
32	MH Brick Works, (New name Kadri Brick Works), Dhakiya Juma, Bilari, Moradabad	15-06-20	15-04-23	1350	6250	8437500
33	Mohammad Ahmad S/o Sri Ahmad Jamil, (New Name N.S. intt. Udyog), Telipura, Near Umrikala, Kanth, Moradabad	23-02-15	15-04-23	1350	6250	8437500
34	Mohd. Yakub Brick Field (New Name Warsi Intt. Udyog & Kamal Brick Field), Sahibganj, Thakurdwara, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
35	Mumtaz Brick Works, Gazupur, Jalalpur, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
36	Mustak Brick Industries, Mehalakpur Nizampur, sadar, Moradabad	08-02-18	15-04-23	1350	6250	8437500
37	Nasir Brick Works (New name- International Brick Work), Dera, Noorpur Road, Kanth, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
38	Nasir Int Udyog, Talipura haqdadpur, kanth, Moradabad	18-10-16	15-04-23	1350	6250	8437500
39	New India Brick Field (Old Name National Brick Works & Faizan Brick Works), Moushampur, Bilari, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
40	National Brick Works, Nijampur, Agwanpur, Sadar, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1110	6250	6937500
41	Noor Brick Field, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad	18-12-17	15-04-23	1350	6250	8437500
42	Parveen Brick Works, Sabjipur Umari, Bilari, Moradabad	16-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
43	Pradhan Brick Works, Shekhupura, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
44	Prem Int Udyog(New name Supreme Brick Field), Nagla Gujar, Bilari, Moradabad	25-02-15	15-04-23	1350	6250	8437500
45	Rafi Turki Star Brick Field (Bharat Brick Works), Bilari, Moradabad	18-01-17	15-04-23	1350	6250	8437500
46	Raza Brick Field, Masevi, rasulpur, Bilari, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
47	Riza Brick Works, Gadipur, Bilari, Moradabad	16-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
48	Rizwi Brick Works, Trikhuti, Thakurdwara, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
49	Royal Brick Field, (New name Star brick field), Chittupur, Bilari, Moradabad	23-06-15	15-04-23	1350	6250	8437500
50	Sabara Brick Works(Newname Faizan Brick Works), Bhikanpur, Bilari, Moradabad	20-06-18	15-04-23	1350	6250	8437500
51	Sabri Brick Works, Belwara, Sadar, Moradabad	18-01-17	15-04-23	1350	6250	8437500
52	SH Brick Works, Bhirwari, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
53	Shahpur Int Udyog, Shahpur Abdulwari, Kanth, Moradabad	15-05-19	15-04-23	1350	6250	8437500
54	Shama Brick Works, Modapatti, Kanth, Moradabad	03-02-18	15-04-23	1350	6250	8437500
55	Shiv Brick Works, Mohanpur, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	1350	6250	8437500
56	Shiv Hari Brick Works(New name Mahadev Intt. Udyog), Nagla Gujjar, Bilari, Moradabad	19-07-21	15-04-23	940	6250	5875000

S.N.	Name of Brick Kiln	Closure Date	E.C. imposed date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	Estimation of EC Amount (INR)
57	Shiv Om Brick Works (New name- New star brick works), Chatupur, Bilari, Moradabad	27-04-18	15-04-23	1350	6250	8437500
58	Shri Krishna Brick Works, Samaspur, Bilari, Moradabad	25-02-15	15-04-23	1350	6250	8437500
59	Sri Balaji Brick, Mehlakpur, Nizamur, sadar, Moradabad	22-07-20	15-04-23	1350	6250	8437500
60	Sumitra Brick Works, Kundesara, thakurdwara, Moradabad	14-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
61	TaSlim Brick Work(New name Bharat Brick works), Vajidpur Atayan Road, Thakurdwara, Moradabad	14-05-18	15-04-23	1350	6250	8437500
62	V.P.S. Brick WorkS (New Name Radha Krishan Brick Field), Vill. Amarpur Kashi, Bilari, Moradabad	25-02-15	15-04-23	1350	6250	8437500
63	Vishal Brick Works (Old Name Sri Ganga Brick Works), Thiriyadan, Sadar, Moradabad	08-02-18	15-04-23	1350	6250	8437500
64	Zam Zam Brick Works (Old name-Taj Int Udyog & New Name- Shabab Brick Field), Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad	18-01-17	15-04-23	1350	6250	8437500
65	M/s AH Brick Works (New name Lavi brick works), Ruppur, Bilari, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500
66	M/s Azhari Brick Works, Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500
67	M/s Bright Brick Works, Garhi Salempur, Kanth, Moradabad	15-04-23	15-04-23	130	6250	812500
68	M/s Kisan Int Udyog, Mehmoodpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500
69	M/s M.A. Brick Works, Kadarpur Masti, Bilari, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500
70	M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500
71	M/s Yadavji Intt. Udyog (New name Fauji Intt. Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500
72	M/s Zishan Brick Works (New name Gaffar Rizwan Brick works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8437500



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Annexure No. 4
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 /C-7 /Vividh-612 /Jeetu Yadav /Moradabad/EC/1 /2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Afaq Brick Field , Seelpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Afaq Brick Field , Seelpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 12-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Afaq Brick Field , Seelpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad/EC/2 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Ala Hazrat Int Udyog (Old Name- Latifi Bricks), Tewarkhas, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Ala Hazrat Int Udyog (Old Name- Latifi Bricks), Tewarkhas, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 08-02-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Ala Hazrat Int Udyog (Old Name- Latifi Bricks), Tewarkhas, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 /C-7 /Vividh-612 /Jeetu Yadav /Moradabad/EC/3 /2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Alfoz Brick work, Jumania Azam Umri, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Alfoz Brick work, Jumania Azam Umri, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-10-2016 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Alfoz Brick work, Jumania Azam Umri, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/4/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Ali Int Udyog, Mehmudpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Ali Int Udyog, Mehmudpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Ali Int Udyog, Mehmudpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/5 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Arsh Brick Works, Mirzapur, Kamruddin, Thakurdwara, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Arsh Brick Works, Mirzapur, Kamruddin, Thakurdwara, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन / उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Arsh Brick Works, Mirzapur, Kamruddin, Thakurdwara, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 /C-7 /Vividh-612 /Jeetu Yadav /Moradabad/EC/6 /2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s ASB Brick Works, Sarkara, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 ASB Brick Works, Sarkara, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 21-02-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 ASB Brick Works, Sarkara, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/7/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s AtoZ Brick Works (New name AR Brick works), Madpuri, Kanth Road, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० AtoZ Brick Works (New name AR Brick works), Madpuri, Kanth Road, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक - द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० AtoZ Brick Works (New name AR Brick works), Madpuri, Kanth Road, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/8/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Bharat Int Udyog, Khatapur, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Bharat Int Udyog, Khatapur, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 31-07-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Bharat Int Udyog, Khatapur, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/9/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Diamond Brick Industries (New name- Habibi Intt. Udyog), Saijna Mundapande,
Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Diamond Brick Industries (New name- Habibi Intt. Udyog), Saijna Mundapande, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Diamond Brick Industries (New name- Habibi Intt. Udyog), Saijna Mundapande, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/10/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Dilshad Brick Works, Saidpur Chittu, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Dilshad Brick Works, Saidpur Chittu, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Dilshad Brick Works, Saidpur Chittu, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/11/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Gaus-A-Azam Brick Works (New Name- Gaus A-Pak Brick Field), Mohanpur,
Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Gaus-A-Azam Brick Works (New Name- Gaus A-Pak Brick Field), Mohanpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Gaus-A-Azam Brick Works (New Name- Gaus A-Pak Brick Field), Mohanpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/12/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Good Friends Brick Works, Kanakpur Doyam, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Good Friends Brick Works, Kanakpur Doyam, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Good Friends Brick Works, Kanakpur Doyam, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/13/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Gulbahar Brick Works (New name Super Brick Field), Bhainsoda, Pakbara, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Gulbahar Brick Works (New name Super Brick Field), Bhainsoda, Pakbara, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Gulbahar Brick Works (New name Super Brick Field), Bhainsoda, Pakbara, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/14/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Habeeb Brick Field(old name roshan brick Works), Bhagatpur Tanda, Roshanpur, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Habeeb Brick Field(old name roshan brick Works), Bhagatpur Tanda, Roshanpur, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Habeeb Brick Field(old name roshan brick Works), Bhagatpur Tanda, Roshanpur, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/15/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Habibi brick field, lalpur hameer, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Habibi brick field, lalpur hameer, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Habibi brick field, lalpur hameer, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/16/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Hind Brick Works, Mahmudpur Lal, Thakurdwara, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Hind Brick Works, Mahmudpur Lal, Thakurdwara, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Hind Brick Works, Mahmudpur Lal, Thakurdwara, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/17/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Huda Brick Works, Khaikhera, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै Huda Brick Works, Khaikhera, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 08-02-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै Huda Brick Works, Khaikhera, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/18/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Janab Chaudhary Brick Works, Maholi Khan, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Janab Chaudhary Brick Works, Maholi Khan, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 22-07-2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Janab Chaudhary Brick Works, Maholi Khan, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/19/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Janta Brick Works, Domghar, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै Janta Brick Works, Domghar, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै Janta Brick Works, Domghar, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/20/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Janta Brick Works (New Name-Munmun Brick Works Kazi Parivar), Vachalbhur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Janta Brick Works (New Name-Munmun Brick Works Kazi Parivar), Vachalbhur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 06-11-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Janta Brick Works (New Name-Munmun Brick Works Kazi Parivar), Vachalbhur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/21/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Jay Gopal Hari Int Udyog & Manikamna Brick Works(New Name- New Indain Brick Field), Jatpura Jhado,Mitapur Road, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Jay Gopal Hari Int Udyog & Manikamna Brick Works(New Name- New Indain Brick Field), Jatpura Jhado,Mitapur Road, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Jay Gopal Hari Int Udyog & Manikamna Brick Works(New Name- New Indain Brick Field), Jatpura Jhado,Mitapur Road, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०ए०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/22 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Kanakpur Brick Industries, Laither, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Kanakpur Brick Industries, Laither, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Kanakpur Brick Industries, Laither, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/23 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Kazi Brick Works (Om Brick Works), Kamalpur Kulwada, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Kazi Brick Works (Om Brick Works), Kamalpur Kulwada, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Kazi Brick Works (Om Brick Works), Kamalpur Kulwada, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/24 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Khalil Brick Works, Sikari Husainpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Khalil Brick Works, Sikari Husainpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Khalil Brick Works, Sikari Husainpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/25 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Khwaja Brick Works, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Khwaja Brick Works, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 16-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Khwaja Brick Works, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/26 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Kisan Brick Works, Chakfajalpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Kisan Brick Works, Chakfajalpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Kisan Brick Works, Chakfajalpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/27/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Kisan Int Udyog, (New name Malik Brick Works), Salempur Mustkam, Kanth,
Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Kisan Int Udyog, (New name Malik Brick Works), Salempur Mustkam, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 08-02-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Kisan Int Udyog, (New name Malik Brick Works), Salempur Mustkam, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/28/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Laxmi Brick Field, Kutubpur Aju, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Laxmi Brick Field, Kutubpur Aju, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 16-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Laxmi Brick Field, Kutubpur Aju, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/29/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Khwaja Brick Works (Malik Brick Works), Abhanpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Khwaja Brick Works (Malik Brick Works), Abhanpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Khwaja Brick Works (Malik Brick Works), Abhanpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/30/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Manya Eint Udyog(New name Bharat Intt. Udyog), Shahpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Manya Eint Udyog(New name Bharat Intt. Udyog), Shahpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Manya Eint Udyog(New name Bharat Intt. Udyog), Shahpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/31/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s MH Brick Works, (New name Kadri Brick Works), Dhakiya Juma, Bilari,
Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में MH Brick Works, (New name Kadri Brick Works), Dhakiya Juma, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 15-06-2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में MH Brick Works, (New name Kadri Brick Works), Dhakiya Juma, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/32/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Mohammad Ahmad S/o Sri Ahmad Jamil, (New Name N.S. intt. Udyog), Telipura,
Near Umrikala, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Mohammad Ahmad S/o Sri Ahmad Jamil, (New Name N.S. intt. Udyog), Telipura, Near Umrikala, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 23-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Mohammad Ahmad S/o Sri Ahmad Jamil, (New Name N.S. intt. Udyog), Telipura, Near Umrikala, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/33/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Mohd. Yakub Brick Field (New Name Warsi Intt. Udyog & Kamal Brick Field),
Sahibganj, Thakurdwara, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Mohd. Yakub Brick Field (New Name Warsi Intt. Udyog & Kamal Brick Field), Sahibganj, Thakurdwara, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Mohd. Yakub Brick Field (New Name Warsi Intt. Udyog & Kamal Brick Field), Sahibganj, Thakurdwara, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 /C-7 /Vividh-612 /Jeetu Yadav /Moradabad/EC/34 /2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Mumtaz Brick Works, Gazupur, Jalalpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Mumtaz Brick Works, Gazupur, Jalalpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Mumtaz Brick Works, Gazupur, Jalalpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500 /—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/35/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Mustak Brick Industries, Mehalakpur Nizampur, sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Mustak Brick Industries, Mehalakpur Nizampur, sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 08-02-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Mustak Brick Industries, Mehalakpur Nizampur, sadar, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 /C-7 /Vividh-612 /Jeetu Yadav /Moradabad/EC/36 /2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Nasir Brick Works (New name- International Brick Work), Dera, Noorpur Road, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Nasir Brick Works (New name- International Brick Work), Dera, Noorpur Road, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Nasir Brick Works (New name- International Brick Work), Dera, Noorpur Road, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/37/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Nasir Int Udyog, Talipura haqdadpur, kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Nasir Int Udyog, Talipura haqdadpur, kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-10-2016 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Nasir Int Udyog, Talipura haqdadpur, kanth, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/38/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s New India Brick Field (Old Name National Brick Works & Faizan Brick Works),
Moushampur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 New India Brick Field (Old Name National Brick Works & Faizan Brick Works), Moushampur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 New India Brick Field (Old Name National Brick Works & Faizan Brick Works), Moushampur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/39 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Noor Brick Field, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Noor Brick Field, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Noor Brick Field, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad/EC/40 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Parveen Brick Works, Sabjipur Umari, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Parveen Brick Works, Sabjipur Umari, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 16-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Parveen Brick Works, Sabjipur Umari, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/41/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Pradhan Brick Works, Shekhupura, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Pradhan Brick Works, Shekhupura, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Pradhan Brick Works, Shekhupura, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/42/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Prem Int Udyog(New name Supreme Brick Field), Nagla Gujar, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Prem Int Udyog(New name Supreme Brick Field), Nagla Gujar, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Prem Int Udyog(New name Supreme Brick Field), Nagla Gujar, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/43/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Rafi Turki Star Brick Field (Bharat Brick Works), Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Rafi Turki Star Brick Field (Bharat Brick Works), Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Rafi Turki Star Brick Field (Bharat Brick Works), Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/44/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Raza Brick Field, Masevi, rasulpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Raza Brick Field, Masevi, rasulpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Raza Brick Field, Masevi, rasulpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad / EC/45 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Riza Brick Works, Gadipur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Riza Brick Works, Gadipur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 16-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Riza Brick Works, Gadipur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad/EC/46 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Rizwi Brick Works, Trikhuti, Thakurdwara, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Rizwi Brick Works, Trikhuti, Thakurdwara, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Rizwi Brick Works, Trikhuti, Thakurdwara, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500 /—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/47/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Royal Brick Field, (New name Star brick field), Chittupur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै Royal Brick Field, (New name Star brick field), Chittupur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 23-06-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै Royal Brick Field, (New name Star brick field), Chittupur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/48/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Sabara Brick Works(Newname Faizan Brick Works), Bhikanpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Sabara Brick Works(Newname Faizan Brick Works), Bhikanpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Sabara Brick Works(Newname Faizan Brick Works), Bhikanpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/49/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Sabri Brick Works, Belwara, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Sabri Brick Works, Belwara, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Sabri Brick Works, Belwara, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/50/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s SH Brick Works, Bhirwari, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै 0 SH Brick Works, Bhirwari, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै 0 SH Brick Works, Bhirwari, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/51/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shahpur Int Udyog, Shahpur Abdulwari, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shahpur Int Udyog, Shahpur Abdulwari, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 15-05-2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shahpur Int Udyog, Shahpur Abdulwari, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/52/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shama Brick Works, Modapatti, Kanth, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Shama Brick Works, Modapatti, Kanth, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-02-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Shama Brick Works, Modapatti, Kanth, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/53/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shiv Brick Works, Mohanpur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shiv Brick Works, Mohanpur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shiv Brick Works, Mohanpur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/54/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shiv Om Brick Works (New name- New star brick works), Chatupur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Shiv Om Brick Works (New name- New star brick works), Chatupur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Shiv Om Brick Works (New name- New star brick works), Chatupur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/55/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shri Krishna Brick Works, Samaspur, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shri Krishna Brick Works, Samaspur, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shri Krishna Brick Works, Samaspur, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/56/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Sri Balaji Brick, Mehlakpur, Nizamur, sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Sri Balaji Brick, Mehlakpur, Nizamur, sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 22-07-2020 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Sri Balaji Brick, Mehlakpur, Nizamur, sadar, Moradabad के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/57/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Sumitra Brick Works, Kundesara, thakurdwara, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Sumitra Brick Works, Kundesara, thakurdwara, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Sumitra Brick Works, Kundesara, thakurdwara, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/58/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s TaSlim Brick Work(New name Bharat Brick works),
Vajidpur Atayan Road, Thakurdwara, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में TaSlim Brick Work(New name Bharat Brick works), Vajidpur Atayan Road, Thakurdwara, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में TaSlim Brick Work(New name Bharat Brick works), Vajidpur Atayan Road, Thakurdwara, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/59/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s V.P.S. Brick WorkS (New Name Radha Krishan Brick Field),
Vill. Amarpur Kashi, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में V.P.S. Brick WorkS (New Name Radha Krishan Brick Field), Vill. Amarpur Kashi, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में V.P.S. Brick WorkS (New Name Radha Krishan Brick Field), Vill. Amarpur Kashi, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/60/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Vishal Brick Works (Old Name Sri Ganga Brick Works),
Thiriyadan, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Vishal Brick Works (Old Name Sri Ganga Brick Works), Thiriyadan, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 08-02-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Vishal Brick Works (Old Name Sri Ganga Brick Works), Thiriyadan, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/61/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Zam Zam Brick Works
(Old name-Taj Int Udyog & New Name- Shabab Brick Field),
Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad

विषय:- बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Zam Zam Brick Works (Old name-Taj Int Udyog & New Name- Shabab Brick Field), Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Zam Zam Brick Works (Old name-Taj Int Udyog & New Name- Shabab Brick Field), Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 /C-7 /Vividh-612 /Jeetu Yadav /Moradabad/EC/62 /2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s National Brick Works, Nijampur, Agwanpur, Sadar, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 /सी-7 /विविध-612 /जीतू यादव मुरादाबाद /23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 National Brick Works, Nijampur, Agwanpur, Sadar, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19/07/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर 1110 दिवस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 69,37,500 /—(रू0 उन्हत्तर लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 National Brick Works, Nijampur, Agwanpur, Sadar, Moradabad के विरुद्ध रू0 69,37,500 /—(रू0 उन्हत्तर लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 69,37,500 /—(रू0 उन्हत्तर लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013 / C-7 / Vividh-612 / Jeetu Yadav / Moradabad/EC/63 / 2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s khan brick works (New Name- Khan Int Udyog), lalpur hamir, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915 / सी-7 / विविध-612 / जीतू यादव मुरादाबाद / 23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 khan brick works (New Name- Khan Int Udyog), lalpur hamir, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19/07/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर 940 दिवस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 58,75,000 /—(रू0 अट्ठावन लाख पच्ছत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 khan brick works (New Name- Khan Int Udyog), lalpur hamir, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 58,75,000 /—(रू0 अट्ठावन लाख पच्ছत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 58,75,000 /—(रू0 अट्ठावन लाख पच्ছत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/64/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shiv Hari Brick Works(New name Mahadev Intt. Udyog), Nagla Gujjar, Bilari, Moradabad

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88915/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shiv Hari Brick Works(New name Mahadev Intt. Udyog), Nagla Gujjar, Bilari, Moradabad द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19/07/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर 940 दिवस हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू0 58,75,000/—(रू0 अट्ठावन लाख पच्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shiv Hari Brick Works(New name Mahadev Intt. Udyog), Nagla Gujjar, Bilari, Moradabad के विरुद्ध रू0 58,75,000/—(रू0 अट्ठावन लाख पच्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 58,75,000/—(रू0 अट्ठावन लाख पच्हत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/1/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s AH Brick Works (New Name- Lavi Brick Works), Ruppur, Bilari, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s AH Brick Works (New Name- Lavi Brick Works), Ruppur, Bilari, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ₹0 84,37,500/—(₹0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s AH Brick Works (New Name- Lavi Brick Works), Ruppur, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1.. यह कि ईट भट्टा M/s AH Brick Works (New Name- Lavi Brick Works), Ruppur, Bilari, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s AH Brick Works (New Name- Lavi Brick Works), Ruppur, Bilari, Moradabad. को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s AH Brick Works (New Name- Lavi Brick Works), Ruppur, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध ₹0 84,37,500/—(₹0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि ₹0 84,37,500/—(₹0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/2/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Azhari Brick Works, Hathipur, Chittu, Bilari, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s Azhari Brick Works, Hathipur, Chittu, Bilari, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s Azhari Brick Works, Hathipur, Chittu, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

- 1.. यह कि ईट भट्टा M/s Azhari Brick Works, Hathipur, Chittu, Bilari, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Azhari Brick Works, Hathipur, Chittu, Bilari, Moradabad.को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s Azhari Brick Works, Hathipur, Chittu, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड

गोमतीनगर, लखनऊ-226010

दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681

ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand

Gomti Nagar, Lucknow 226010

Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/3/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Bright Brick Works, Harhi Salempur, Kanth, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s Bright Brick Works, Harhi Salempur, Kanth, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 8,12,500/—(रू० आठ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s Bright Brick Works, Harhi Salempur, Kanth, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1.. यह कि ईट भट्टा M/s Bright Brick Works, Harhi Salempur, Kanth, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Bright Brick Works, Harhi Salempur, Kanth, Moradabad.को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s Bright Brick Works, Harhi Salempur, Kanth, Moradabad. के विरुद्ध रू० 8,12,500/—(रू० आठ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 8,12,500/—(रू० आठ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/4/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Kisan Ent Udyog, Mehmoodpur, Bhagwandas, Kanth, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s Kisan Ent Udyog, Mehmoodpur, Bhagwandas, Kanth, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s Kisan Ent Udyog, Mehmoodpur, Bhagwandas, Kanth, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

- 1.. यह कि ईट भट्टा M/s Kisan Ent Udyog, Mehmoodpur, Bhagwandas, Kanth, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Kisan Ent Udyog, Mehmoodpur, Bhagwandas, Kanth, Moradabad.को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s Kisan Ent Udyog, Mehmoodpur, Bhagwandas, Kanth, Moradabad. के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/5/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s M.A. Brick Works, Kadarapur, Masti, Bilari, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s M.A. Brick Works, Kadarapur, Masti, Bilari, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s M.A. Brick Works, Kadarapur, Masti, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

- 1.. यह कि ईट भट्टा M/s M.A. Brick Works, Kadarapur, Masti, Bilari, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s M.A. Brick Works, Kadarapur, Masti, Bilari, Moradabad. को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s M.A. Brick Works, Kadarapur, Masti, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/6/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विधि-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विधि-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

- 1.. यह कि ईट भट्टा M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad.को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad. के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/7/2023 दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Yadavji Ent Udyog (New Name- Fauji Ent Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s Yadavji Ent Udyog (New Name- Fauji Ent Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार ₹0 84,37,500/—(₹0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s Yadavji Ent Udyog (New Name- Fauji Ent Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

- 1.. यह कि ईट भट्टा M/s Yadavji Ent Udyog (New Name- Fauji Ent Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Yadavji Ent Udyog (New Name- Fauji Ent Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad. को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s Yadavji Ent Udyog (New Name- Fauji Ent Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad. के विरुद्ध ₹0 84,37,500/—(₹0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि ₹0 84,37,500/—(₹0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड

गोमतीनगर, लखनऊ-226010

दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681

ई-मेल—info@uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/8/2023 दिनांक:—15.04.23
सेवा में,

M/s Zishan Brick Works
(New Name- Gaffar Rizwan Brick Works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad.

विषय:— बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88916/सी-7/विविध-612/जीतू यादव मुरादाबाद/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे M/s Zishan Brick Works (New Name- Gaffar Rizwan Brick Works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad. द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे M/s Zishan Brick Works (New Name- Gaffar Rizwan Brick Works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad. के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

- 1.. यह कि ईट भट्टा M/s Zishan Brick Works (New Name- Gaffar Rizwan Brick Works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad. द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Zishan Brick Works (New Name- Gaffar Rizwan Brick Works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad.को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा M/s Zishan Brick Works (New Name- Gaffar Rizwan Brick Works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad. के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

- 1.. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 5.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

A-5
Annexure-5

Ref. No. 103/192 /सी-7/विधि-612/जीतू यादव/मुरादाबाद/2023 Dated 23/11/23

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-मुरादाबाद
मो0 नं0-9454417572

विषय: जनपद-मुरादाबाद के उल्लंघनकारी ईट भटठों (सूची संलग्न-72 ईट भटठे) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-मुरादाबाद के उल्लंघनकारी ईट भटठों के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-72 ईट भटठे), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद मो0 नं0-7839891763 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मुरादाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

जनपद- मुरादाबाद में ईट मटलों के अद्विरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

376

क्रम संख्या	उद्योग का नाम व पता	प्रथित पत्र का विवरण		अद्विरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि (रु०)
		पत्रांक	दिनांक	
1	AH Brick Works (New name Lavi brick works), Ruppur, Bilari, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	8437500.00
2	Azhari Brick Works, Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	8437500.00
3	Bright Brick Works, Garhi Salempur, Kanth, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	812500.00
4	Kisan Int Udyog, Mehmoodpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	8437500.00
5	M.A. Brick Works, Kadarpur Masti, Bilari, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	8437500.00
6	Musarfi Hasnain Brick Works, Takhtpur Hasa, Bilari, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	8437500.00
7	Yadav ji Intt. Udyog (New name Fauji Intt. Udyog), Boojpur Asha, Sadar, Moradabad	H92014/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/Closure/I/2023	15-04-2023	8437500.00
8	Zishan Brick Works (New name Gaffar Rizwan Brick works, Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal, Thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
9	Afaq Brick Field, Seelpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
10	Ala Hazrat Int Udyog (Old Name- Latifi Bricks), Tewarkhas, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
11	Alfoz Brick work, Jumania Azam Umri, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
12	Ali Int Udyog, Mehmudpur Bhagwandas, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
13	Arsh Brick Works, Mirzapur, Kamrudin, Thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
14	ASB Brick Works, Sarkara, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
15	AtoZ Brick Works (New name AR Brick works), Madpuri, Kanth Road, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
16	Bharat Int Udyog, Khatapur, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
17	Diamond Brick Industries (New name- Habibi Intt. Udyog), Saijna Mundapande, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
18	Dilshad Brick Works, Saidpur Chittu, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
19	Gaus-A-Azam Brick Works (New Name- Gaus A-Pak Brick Field), Mohanpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
20	Good Friends Brick Works, Kanakpur Doyam, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
21	Gulbahar Brick Works (New name Super Brick Field), Bhainsoda, Pakbara, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
22	Habeeb Brick Field (old name roshan brick Works), Bhagatpur Tanda, Roshanpur, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
23	Habibi brick field, Ialpur hameer, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
24	Hind Brick Works, Mahmudpur Lal, Thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
25	Huda Brick Works, Khaikhera, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00

87

2-C

26	Janab Chaudhary Brick Works, Maholi Khan, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
27	Janta Brick Works, Domghar, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
28	Janta Brick Works (New Name-Munmun Brick Works Kazi Parivar), Vachalbhur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
29	Jay Gopal Hari Int Udyog & Manikamma Brick Works (New Name- New Indain Brick Field), Jatpura Jhado, Mitapur Road, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
30	Kanakpur Brick Industries, Laither, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
31	Kazi Brick Works (Om Brick Works), Kamalpur Kulwada, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	5875000.00
32	Khalil Brick Works, Sikari Husainpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
33	khan brick works (New Name- Khan Int Udyog), lalpur hamir, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
34	Khwaja Brick Works, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
35	Kisan Brick Works, Chakfajalpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
36	Kisan Int Udyog, (New name Malik Brick Works), Salempur Mustkam, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
37	Laxmi Brick Field, Kutubpur Aju, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
38	Khwaja Brick Works (Malik Brick Works), Abhanpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
39	Manya Eint Udyog (New name Bharat Int. Udyog), Shahpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
40	MH Brick Works, (New name Kadri Brick Works), Dhakiya Juma, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
41	Mohammad Ahmad S/o Sri Ahmad Jamil, (New Name N.S. int. Udyog), Telipura, Near Umrikala, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
42	Mohd. Yakub Brick Field (New Name Warsi Int. Udyog & Kamal Brick Field), Sahibganj, Thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
43	Mumtaz Brick Works, Gazupur, Jalalpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
44	Mustak Brick Industries, Mehalakpur Nizampur, sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
45	Nasir Brick Works (New name- International Brick Work), Dera, Noorpur Road, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
46	Nasir Int Udyog, Talipura haqqadpur, kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
47	New India Brick Field (Old Name National Brick Works & Faizan Brick Works), Moushampur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	6937500.00
48	National Brick Works, Nijampur, Agwanpur, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
49	Noor Brick Field, Lalpur Hamir, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
50	Parveen Brick Works, Sabjipur Umari, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
51	Pradhan Brick Works, Shekhupura, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
52	Prem Int Udyog (New name Supreme Brick Field), Nagla Gujar, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
53	Rafi Turki Star Brick Field (Bharat Brick Works), Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
54	Raza Brick Field, Masevi, rasulpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00

55	Riza Brick Works, Gadipur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
56	Rizvi Brick Works, Trikhoti, Thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
57	Royal Brick Field, (New name Star brick field), Chittupur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
58	Sabara Brick Works(Newname Faizan Brick Works), Bhikanpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
59	Sabri Brick Works, Belwara, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
60	SH Brick Works, Bhirwari, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
61	Shahpur Int Udyog, Shahpur Abdulwari, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
62	Shama Brick Works, Modapatti, Kanth, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
63	Shiv Brick Works, Mohanpur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
64	Shiv Hari Brick Works(New name Mahadev Intt. Udyog), Nagla Gujjar, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	5875000.00
65	Shiv Om Brick Works (New name- New star brick works), Chatupur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
66	Shri Krishna Brick Works, Samaspur, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
67	Sri Balaji Brick, Mehlakpur, Nizamur, sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
68	Sumitra Brick Works, Kundesara, thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
69	TaSlim Brick Work(New name Bharat Brick works), Vajidpur Atayan Road, Thakurdwara, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
70	V.P.S. Brick Works (New Name Radha Krishan Brick Field), Vill. Amarpur Kashi, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
71	Vishal Brick Works (Old Name Sri Ganga Brick Works), Thiriyadan, Sadar, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
72	Zam Zam Brick Works (Old name-Taj Int Udyog & New Name-Shabab Brick Field), Hathipur Chittu, Bilari, Moradabad	H92013/C-7/Vividh-612/Jeetu Yadav/Moradabad/EC/1/2023	15-04-2023	8437500.00
				593250000.00

ह.क.व.
पर्यावरण अधिकारिता (वृत्त-7)

म.म.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)



379

क्षेत्रीय कार्यालय

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,

दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

Annexure No. 6

पत्र संख्या : 1654 / N-13/889 / जनरल

दिनांक 21/11/2023

सेवा में,

1. समस्त उपजिलाधिकारी,
जनपद रामपुर।
2. समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस),
जनपद रामपुर।

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए० सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, रामपुर के पत्रांक 1494/एन-13/889/2022/जनरल दिनांक 20.10.2023 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 02372/सी-7/विविध-597/2023 दिनांक 27.10.2023 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 303/81-7-2021-39 (पर्या.)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश सं० 582/81-7-2021-39(पर्या.)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 08.07.2021 के माध्यम से जनपद रामपुर में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः उपरोक्त वर्णित पत्रों एवं शासनादेश की छायाप्रति तथा जनपद रामपुर में स्थापित अवैध ईट भट्टों की सूची (जिन्हें राज्य बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है) इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये तथा बन्दी आदेश के विरुद्ध संचालित ईट भट्टों पर शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, रामपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, रामपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सम्बंधित को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी

मुरादाबाद

पत्रांक : 1729/N-13/889/774

दिनांक : 7/12/23

अति महत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

उपजिलाधिकारी,
तहसील सदर, कांठ, बिलारी, ठाकुरद्वारा,
जनपद मुरादाबाद।

ई प्रका/पा०८-

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए0 सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच 03511/सी-7/विविध-597/023 दिनांक 01.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के क्रम में अवगत हों कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 303/81-7-2021-39 (पर्या.)/2014-टी0सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश सं0 582/81-7-2021-39(पर्या.)/2014-टी0सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के माध्यम से अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

यह भी अवगत हों कि "मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 संख्या 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 21.12.2023 नियत है तथा उक्त सुनवाई में अधोहस्ताक्षरी को वर्चुअल मोड में उपस्थित होना है"।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उक्त प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की संचालन की स्थिति व संचालन की दशा में कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई-मेल - romoradabad@uppcb.in) को विलम्बतम एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा0 अधिकरण के समक्ष ससमय आख्या प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(मानसिंह सिंह)
जिलाधिकारी, मुरादाबाद

१८

प्रतिलिपि :

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच 03511/सी-7/विविध-597/023 दिनांक 01.12.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद

List of Defaulter Brick Kilns District Rampur							Annexure No. 8
Sr. No.	Name of Brick Kiln	Show Cause /Closure Date	E.C. imposed date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	Estimation of EC Amount (INR)	
1	Aaka Brick Centre (New Name - Tehsin Brick Centre), Chainpur, Milak, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
2	Aman Int Udyog (New name - New Raj brick works), Devipura Road, Bada Gawn, Shahbad, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
3	ANS Brick Works, Ranua Nangla, Said Nagar, Tanda, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
4	Famous Brick Works (New name - Khwaja Brick works), Kharsaul, Shahbad, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
5	Garib Nawaj Brick Works, Milak Nangli, Parsupura Road, Tanda, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
6	Hamza Brick Works (New Name Munshad Brick Works), Sarava Saidnagar, Tanda Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
7	Jagdambe Brick Works, Gehni, Shahbad, Rampur	10-02-23	15-04-23	940	6250	5,875,000	
8	Jay Sri Balaji Brick Industries, Jagannathpur, Milak, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
9	Kunal Brick Works, Krimcha, Milak, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
10	Naaz brick works, Darshanpur, Lalpur Road, Tanda, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
11	Raja Brick Works (Old Name SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaz Ind), Mehndi Nagar, Junubi/ Milak Nibbi Singh, Sadar, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
12	Shan Brick Field (New name - India Brick Ind.), Andkheri, Bilaspur, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
13	Khan Brick Works, Ballupura, Shahbad, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
14	Guru Nanak Brick Works (Old Name Om Shiv Shakti Brick Field), Narsua, Bilaspur, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
15	Hidayah Brck Field (Old Name Khurshed Brick Field), Kakrawa Siroli, Shahbad, Rampur	10-02-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
16	Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
17	Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	670	6250	4,187,500	
18	KK Brick Works, Dhakia Road, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	940	6250	5,875,000	
19	Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
20	New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur	15-04-23	15-04-23	670	6250	4,187,500	
21	OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur	15-04-23	15-04-23	670	6250	4,187,500	
22	Omesh Brick Works, Choukoni, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
23	Pawan Brick Works, Baloopura, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
24	Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	940	6250	5,875,000	
25	Rashid & Rashid Brick Works, Chhitariya Jageer, Tanda, Rampur	15-04-23	15-04-23	1350	6250	8,437,500	
26	Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur	15-04-23	15-04-23	840	6250	5,250,000	
Total						195,750,000	



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure No. 9
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०-H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Aaka Brick Centre, (New Name - Tehsin Brick Centre) chainpur Milak Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०-एच८८९१७/सी-७/विविध-६१३/जीतू यादव रामपुर/२३ दिनांक १०.०२.२०२३ द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०-एच८८९१७/सी-७/विविध-६१३/जीतू यादव रामपुर/२३ दिनांक १०.०२.२०२३ का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Aaka Brick Centre, (New Name - Tehsin Brick Centre) chainpur Milak Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक १९.०७.२०२१ द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा-३३ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत ०५ वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० ८४,३७,५००/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Aaka Brick Centre, (New Name - Tehsin Brick Centre) chainpur Milak Rampur के विरुद्ध रू० ८४,३७,५००/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० ८४,३७,५००/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-७०१५०२०१०००२१०४ आई०एफ०एस० कोड-UBIN०५७०१५० में १५ दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-७

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-७

टी. सी. - १२ वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-२२६०१०
दूरभाष २७२८३१, २७२०८२८, २७२०६९१, २७२०६८१
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



383
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०-H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Aman Ent Udyog,(New Name Neq Raj Brick Works) Devipur Road Badagaon Shahabad
Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०-एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०-एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Aman Ent Udyog,(New Name Neq Raj Brick Works) Devipur Road Badagaon Shahabad Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Aman Ent Udyog,(New Name Neq Raj Brick Works) Devipur Road Badagaon Shahabad Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल-info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppccb.com



384

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

ANS Brick Works, Ranua Nangal, Said Nagar, Tanda Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 ANS Brick Works, Ranua Nangal, Said Nagar, Tanda Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18.01.2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 ANS Brick Works, Ranua Nangal, Said Nagar, Tanda Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppccb.com



385
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Famous Brick works (New Name - Khwaja Brick Works) Kharsaul Shahabad Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Famous Brick works (New Name - Khwaja Brick Works) Kharsaul Shahabad Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Famous Brick works (New Name - Khwaja Brick Works) Kharsaul Shahabad Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल-info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com



386
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Garib Nawaj Brick Works, Milak Nangli Parsupura Road Tanda, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Garib Nawaj Brick Works, Milak Nangli Parsupura Road Tanda, Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18.01.2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Garib Nawaj Brick Works, Milak Nangli Parsupura Road Tanda, Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल-info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com



387
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Hamza Brick Works (New Name- Munsad Brick Works), Sarawa Said Nagar Tanda Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Hamza Brick Works (New Name- Munsad Brick Works), Sarawa Said Nagar Tanda Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 28.04.2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Hamza Brick Works (New Name- Munsad Brick Works), Sarawa Said Nagar Tanda Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०ए०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल-info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



388

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Jagdambe Brick Works, Gehni shahabad Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Jagdambe Brick Works, Gehni shahabad Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 71,00,000/—(रू० इकहत्तर लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Jagdambe Brick Works, Gehni shahabad Rampur के विरुद्ध रू० 71,00,000/—(रू० इकहत्तर लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 71,00,000/—(रू० इकहत्तर लाख मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल-info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppccb.com



389

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Jai Sri Balaji Brick Industries Jagannathpur, Milak Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Jai Sri Balaji Brick Industries Jagannathpur, Milak Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Jai Sri Balaji Brick Industries Jagannathpur, Milak Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppccb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppccb.com



390
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Kunal Brick Works Krimcha Milak, Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Kunal Brick Works Krimcha Milak, Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 16.05.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Kunal Brick Works Krimcha Milak, Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



391
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Naaz Brick works Darshanpur, Lalpur Road Tanda Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Naaz Brick works Darshanpur, Lalpur Road Tanda Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Naaz Brick works Darshanpur, Lalpur Road Tanda Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



392
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Raja Brick Works, (Old Name- SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaj Industries) Mehndi Nagar Junobi Milak, Nibbi Singh Sadar Rampur.

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Raja Brick Works, (Old Name- SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaj Industries) Mehndi Nagar Junobi Milak, Nibbi Singh Sadar Rampur. द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Raja Brick Works, (Old Name- SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaj Industries) Mehndi Nagar Junobi Milak, Nibbi Singh Sadar Rampur. के विरुद्ध रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/- (रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com



393
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Shan Brick Field (New Name- India brick Industries) Andkheri Bisalpur Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Shan Brick Field (New Name- India brick Industries) Andkheri Bisalpur Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 16.05.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Shan Brick Field (New Name- India brick Industries) Andkheri Bisalpur Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



394
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Khan Brick Works Ballupura Shahabad Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Khan Brick Works Ballupura Shahabad Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Khan Brick Works Ballupura Shahabad Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



395
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Guru Nanak Brick Works (Old Name- Om Shiv Shakti Brick Field) Narsua Bilaspur Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में 0 Guru Nanak Brick Works (Old Name- Om Shiv Shakti Brick Field) Narsua Bilaspur Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 22.03.2016 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में 0 Guru Nanak Brick Works (Old Name- Om Shiv Shakti Brick Field) Narsua Bilaspur Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



396
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampup/EC/23 दिनांक:-15.04.23

सेवा में,

Hidayah Brick Field (Old Name- Khurshid Brick Field) Kakrawa Siroli, Shahabad Rampur

विषय:-बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने हेतु निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88917/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे में Hidayah Brick Field (Old Name- Khurshid Brick Field) Kakrawa Siroli, Shahabad Rampur द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टे पर विगत 05 वर्षों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे में Hidayah Brick Field (Old Name- Khurshid Brick Field) Kakrawa Siroli, Shahabad Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल: info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै० Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा eS0Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/- (रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एम०एस० पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 58,75,000/—(रू० अठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै० Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएँ तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू० 58,75,000/—(रू० अठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 58,75,000/—(रू० अठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एफ०एस० पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & (Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं0—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवंनियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं0—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & (Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & (Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & (Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & (Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampu को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & (Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एफ0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur के विरुद्ध रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं0—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं0—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur के विरुद्ध रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 41,87,500/—(रू0 इक्तालिस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एफ0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवंनियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 84,37,500/—(रू0 चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एफ0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 58,75,000/—(रू० अठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै० Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू० 58,75,000/—(रू० अठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 58,75,000/—(रू० अठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एफ०एस० पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
ई-मेल—info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवंनियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै० Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के कम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै० Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै० Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू० 84,37,500/—(रू० चौरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई०एफ०एस० कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई०एफ०एस० पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H92015/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/Closure/2023

दिनांक:—15.04.23

सेवा में,

M/s Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur

विषय:—बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं०—एच88918/सी-7/विविध-613/जीतू यादव रामपुर/23 दिनांक 10.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आपके ईट भट्टे मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ईट भट्टे पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार रू0 52,50,000/—(रू0 बावन लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में प्रत्यावेदन/उचित तथ्य बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा बोर्ड के बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत आपके ईट भट्टे मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं—

1. यह कि ईट भट्टा मै0 Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur को मिलन वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त आपके ईट भट्टे द्वारा संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur के विरुद्ध रू0 52,50,000/—(रू0 बावन लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति अधिरोपित की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 52,50,000/—(रू0 बावन लाख पचास हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०—701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड—UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद को सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:—

1. जिलाधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद—रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त ईट भट्टे के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Vivek Ray

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 403193 / सी-7/विविध-613/जीतू यादव/रामपुर/2023 Dated 23/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद-रामपुर।

मो0नं0-9454417573

विषय: जनपद-रामपुर के उल्लंघनकारी ईट भटठों (सूची संलग्न-26 ईट भटठे) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-रामपुर के उल्लंघनकारी ईट भटठों के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-26 ईट भटठे), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद मो0 नं0-7839891763 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, रामपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

ewj

जनपद- रामपुर में ईट मट्टों के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

क्रम संख्या	उद्योग का नाम व पता	प्रेषित पत्र का विवरण		अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि (रु०)
		पत्रांक	दिनांक	
1	Aaka Brick Centre (New Name - Tehsin Brick Centre), Chainpur, Milak, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
2	Aman Int Udyog (New name - New Raj brick works), Devipura Road, Bada Gawn, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
3	ANS Brick Works, Ranua Nangla, Said Nagar, Tanda, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
4	Famous Brick Works (New name - Khwaja Brick works), Kharsaul, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
5	Garib Nawaj Brick Works, Milak Nangli, Parsapura Road, Tanda, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
6	Hamza Brick Works (New Name Munshad Brick Works), Sarava Saidnagar, Tanda Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
7	Jagdambe Brick Works, Gehni, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	5875000.00
8	Jay Sri Balaji Brick Industries, Jagannathpur, Milak, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
9	Kunal Brick Works, Krimcha, Milak, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
10	Naaz brick works, Darshanpur, Lalpur Road, Tanda, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
11	Raja Brick Works (Old Name SS Brick Works and Khwaja Garib Nawaz Ind), Mehndi Nagar, Junubi/ Milak Nibbi Singh, Sadar, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
12	Shan Brick Field (New name - India Brick Ind.), Andkheri, Bilaspur, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00

13	Khan Brick Works, Ballupura, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
14	Guru Nanak Brick Works (Old Name Om Shiv Shakti Brick Field), Narsua, Bilaspur, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
15	Hidayah Breik Field (Old Name Khurshed Brick Field), Kakrawa Siroli, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
16	Bharat Brick Works (Old name Asam Brick Works), Kakrawwa, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
17	Farmer Brick Industries, Kareem Ganj, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	4187500.00
18	KK Brick Works, Dhakia Road, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	5875000.00
19	Kubra Brick Field (New Name - Sadab Brick Field & Old Name Momin Brick Works), Pajaba, Bilaspur, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
20	New Kohinoor Brick Field, Padpuri, Bilaspur, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jee.u Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	4187500.00
21	OK Brick Works, Chhitariya Jagir, Tanda, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	4187500.00
22	Omesh Brick Works, Choukoni, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
23	Pawan Brick Works, Baloopura, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
24	Qadri Brick Field, Suhawa, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	5875000.00
25	Rashid & Rashid Brick Works, Chhitariya Jageer, Tanda, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	8437500.00
26	Shabana Brick Field, Saifni, Shahbad, Rampur	H92012/C-7/Vividh-613/Jeetu Yadav/Rampur/EC/2023	15-04-2023	5250000.00

पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त-न)
121

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-न)

पत्रांक : 1494 / N.2/008/20.2.2/रामपुर

दिनांक : 20/10/23

- | | |
|--|--|
| 1. उप आयुक्त,
वस्तु एवं सेवा कर विभाग, रामपुर | 2. जिला खान अधिकारी,
रामपुर। |
| 3. अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, रामपुर। | 4. समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस),
जनपद रामपुर। |

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए० सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के क्रम में अवगत हों कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 303/81-7-2021-39 (पर्या.)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश सं० 582/81-7-2021-39 (पर्या.)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 08.07.2021 के माध्यम से जनपद रामपुर में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाना तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः उक्त जारी शासनादेश की छायाप्रतियाँ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि उक्त शासनादेशों में अपने विभाग से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मांदड़)
जिलाधिकारी, रामपुर

प्रतिलिपि :

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रामपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करें।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, रामपुर

List of Defaulter Brick Kilns Sambhal

Annexure No. 12

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Avon Ent Udyog, Raja ka Majhola, Bahjoir, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
2	Ahmad Shah Brick Works(New name - Akbar Husain Brick Works) Oberi, Sambhal	25-02-15	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
3	Ahmad Ullah Brick Works, Mohammadpur Malani, Sambhal	18-12-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
4	Akram Ent Udyog(New name - Arham Brick Works), Barahi, Rahtol, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
5	Al Haram Brick Field, Lahara Kamangar, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
6	Alamdard Ent Udyog & Alamdad Brick Industries(New name - Star Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal	30-07-19	12-02-23	984	6250	11-12-23	6,150,000
7	Alidad Ent Udyog (Mohammad Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
8	Al-Madina Ent Udyog, Racheta, Sambhal	15-06-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
9	AMD Brick Works(New name - Rana Brick Works), Malpura Urf Malpur, Sambhal	27-04-18	29-01-23	1121	6250	11-12-23	7,006,250
10	Anwari Brick Works, Waripur Bhamraua, Sambhal	09-06-15	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
11	Arzu Brick Works (Old Name Labiba Brick Works), Bilalpath, Asmoli, Sambhal	19-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
12	Azazi Brick Works, Maatipur Dhaktoda, Sambhal	17-05-17	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
13	Balaji Maharaj ent Udyog, Khaspur, Asmoli, Sambhal	03-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
14	Bankey Bihari Brick Works, Balkaranpur, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
15	Bharat Brick field(New name - Jiya Intt. Udyog), Mahmoodpur Malini, Sambhal	31-05-16	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
16	Burhan Brick Field, Fatehpur Sarai, Sambhal	19-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
17	Chaudhary Brick Field, Gumthal, Sambhal	19-07-21	08-02-23	431	6250	11-12-23	2,693,750
18	Chaudhary Brick Works, Jaineta, Sambhal	11-05-18	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
19	Chaudhary Brick Works, Daboi Khurd, Asmoli, Sambhal	02-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
20	Chaudhary Brick Works (Old Name HMT Brick Works), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal	18-12-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
21	Chetan Eint Udyog, Amiyapur Pachak, Sambhal	25-02-15	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
22	Chishti Ent Udyog, Pahra, Chandausi Road, Sambhal	03-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
23	Chisti Shan Brick Works, Chandwar, PS -Asmauli, Sambhal	11-05-18	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
24	FKF Brick Works, Bilalpath, Asmoli PS Asmoli, Sambhal	12-04-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
25	Friend Brick Work (Old Name Haji Banne Miyan ent Udyog), Razakpur, Barahi, Sambhal	11-05-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
26	G & C Brick Works (Old Name Hind Brick Works), Pathra, Badayun Road, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
27	Gupta Brick Works, Saidpur Imma, Hasanpur Road, PS - Asmauli, Sambhal	14-05-18	22-02-23	1145	6250	11-12-23	7,156,250
28	Haji Munshi Ahamad Brick Works, Pahera, Mohamadpur Tanda, Sambhal	01-05-17	16-02-23	1139	6250	11-12-23	7,118,750

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
29	Hari Anand Brick Works(New name - Giriraj Brick Works), Patrasi (Dhareta), Sambhal	02-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
30	HMK Brick Works(old Name Haji Mateen, Rahauli, Sambhal	01-11-19	08-02-23	919	6250	11-12-23	5,743,750
31	Husain Brick Field (Naved Brick & Husain Ent Udyog) (New Name Kisan Brick works), Bela Ki Milak, Sambhal	03-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
32	Ilahi Brick Works, Mukarrabpur, Sambhal	11-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
33	Ilahi Brick Works (Old Name Shareef Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal	10-05-18	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
34	Indian Brick Works, Ahrola Maafi, Sambhal	25-05-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
35	Indian Brick Works(New name - Sabri Brick Works), Asgaripur, PS - Asmoli, Chaudharpur, Manouta road, Sambhal	25-02-15	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
36	Indian Green Brick Works, Akabarpur, Bahjoi, Sambhal	02-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
37	Jai Ambe Brick Works, Babaina, Mohra Lakhupura	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
38	Jai Baba Brick Works (New name Singh Baba Brick Works), Rajjak Pur, Sambhal	25-02-15	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
39	Jai Durga Maa Brick Works, Mundia Khera, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
40	Jai Maa Durgey (Old Name Jai Shri Ram Brick Works, Chirauli Bhagwantpur, Sambhal	31-07-19	13-02-23	985	6250	11-12-23	6,156,250
41	Kadri Brick Field & Warsi Brick Field (New name - Khwaja Garib Nawaj, Tanda Kothi, Asmoli, Sambhal	03-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
42	Kalawati Brick Works, Muriyakhera, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
43	KGN Brick Works, Navada, Sambhal	20-06-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
44	Khan Brick Works, Mukarabpur, Sirsi, Sambhal	21-05-15	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
45	Khawaja Ent Udyog(New name - Radhe Radhe Entt Udyog), Taharpur Simraua, Near Hindauli, Sambhal	03-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
46	Khawaja Garib Nawaj Ent Udyoog (old Name Sabri Ent Udhyog), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal	21-05-15	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
47	Mahal Brick Works (present name warsi brick works), Safat Nagar, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
48	Malik Ent Udyog (Old Name Mansoori Ent Udyog), Heerapur, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
49	MLK Brick Works, Gumsani,Saidri Road, Sambhal	27-04-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
50	Mohammad Ent Udyog, Overy, Sambhal	25-02-15	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
51	National Ent Udyog, Mattawali Patti, Sambhal	18-01-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
52	New Ansari Brick Works, Barahi, Sirsi, Sambhal	03-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
53	New Vip Brick works(New name - Aditya Entt. Udyog), Benipur Chak,adampur Road, Sambhal	18-01-17	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
54	NS Brick works, Darapur,Saidpur, Sambhal	27-04-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
55	Om sai Brick field, Majhola fatehpur, Sambhal	19-07-21	28-02-23	454	6250	11-12-23	2,837,500
56	Om Sai Ent Udyog, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
57	PHD Brick Works, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
58	Pradhan Ent Udyog (JP Eint Udyog), Riwada, Sambhal	20-06-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
59	Prince Brick Work(Old name - KSN Brick works), Sevapur Pedaraspur, Gumsani, Sambhal	03-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
60	R S Brick Works(New name - Kajal Brick Works), Mudiya Khera, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
61	Rehman Brick Works (Old Name Tehjeeb Brick Works), Sahbaspur, Sambhal	10-05-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
62	Riyal Diamond Brick Works, Sherpur, Bahjoi Road, Sambhal	02-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
63	RNZ Brick Works, Chak Viran, Sambhal	19-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
64	Royal Brick Works & Ruby Brick Works (New name AKA Brick works), Mukarrabpur, Sirsi, Sambhal	03-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
65	Zen Brick Works(Old name - Zaid Brick works)Mansoorpur Maafi, Sambhal	14-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
66	Teba Hasan Brick works(New name - Sofia Brick works), Petia Maafi, Sambhal	24-04-18	16-02-23	1139	6250	11-12-23	7,118,750
67	Shiv Shakti Ent Udyog (Shri Balaji Ent Udyog), Dugawar, Asmoli, Sambhal	27-04-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
68	Sona Ent Udyog (New name - Gause Brick Works), Gandipur, Salarpur Road, Sambhal	10-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
69	SK Brick Works, Sirsi, Bhamrauwa Road, Sambhal	19-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
70	Shri Radhey Krishna Ent Udhog, Dohri Kalan, Asadpur, Sambhal	19-07-21	22-02-23	448	6250	11-12-23	2,800,000
71	Shri Ram Eint Udyog, Matawali Patti, Asmloli, Sambhal	25-05-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
72	Sahiba Ent Udyog (MA Ent Udyog) Barahi Sirsi, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
73	Sana Brick Works, Khaspur, Asmoli, Sambhal	18-01-17	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
74	Saqlani Brick Works(New name - Noori Entt. Udyog), Racheta, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
75	Sabri Brick Works, Navada, Sambhal	10-05-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
76	Shan Brick Works(New name - Sania Brick Works), Oberi, Sambhal	15-10-14	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
77	Sadar Ent Udhog (New name - Hazrat Ali Brick Works), Ratupura, Sambhal	19-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
78	Tiranga Brick Works (Old Name Kisan Brick Works), Sarai Jwalapuri, Sambhal	20-06-18	28-02-23	1151	6250	11-12-23	7,193,750
79	Siddhart Brick Works (Old Name Mahaveer Brick Works), Asalatpur Jarai, Sambhal	14-05-18	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
80	Vishv Hari Sakar Ent Udyog, Khera Khas, Sambhal	11-05-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
81	Sri Sai Ent Udyog(New name-Almadina Entt. Udyog), Lahara Kamangar, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
82	Shri Krishna Ent Udyog, Mudiya Khera, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
83	Yagosh Brick Works (New Name - New Saqleni Brick Works), Shafatnagar, Sambhal	18-01-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
84	Shadan Brick Works (Shri Balaji Brick works), Rehtol, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
85	Seven Sky Brick Works(New name - Seven Star Brick Works) Hadakur, Sirsi, Sambhal	24-04-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
86	Khan Entt. Udyog(Old name - Raj Brick works & Nayab Brick works), Narauli, Sambhal Road, Sambhal	15-11-16	28-02-23	1151	6250	11-12-23	7,193,750
87	MMA Brick Works(New Name - SSA Brick works), Rattupura, Sambhal	24-04-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
88	NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal	02-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
89	Kisan Brick Works (Old Name Naved Brick Works & Hasan Brick Works), Milak Bela, Sambhal	24-04-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
90	Indian Brick Works (New name- Chaudhary Brick Works), Sirsi, Sambhal	10-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
91	Shahdos Mohhammad Shah Brick Field(New name - Zohan Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
92	Ganesh Brick Works, Mudiya Khera, Sambhal	27-04-18	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
93	GGR Brick Works, Chhabra, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
94	Kisan Brick Works(New name - Asadullah Brick Works), Rachaita, Asmoli, Sambhal	03-07-18	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
95	MH Brick Works, Aitmad pur Bhatpura PS Anchoda, Sambhal	25-02-15	16-02-23	1139	6250	11-12-23	7,118,750
96	Quality Brick Works, Pota, Sirsi, Sambhal	25-02-15	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
97	B P Y Brick Udyog, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250
98	D K Y Brick Worksm, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
99	P K Y Brick Udyog, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250
100	Shree Ram Bhatta Company, Vill- Singholi Purvi, Sambhal	01-02-23	22-02-23	179	6250	11-12-23	1,118,750
101	Ram Prakash Ent Udyog, Simrai, Sambhal	01-02-23	22-02-23	178	6250	11-12-23	1,112,500
102	D K S brick Udyog, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250
103	Majid Brick Works, Bhawanipur (Tigri), Sambhal	31-08-22	16-02-23	169	6250	11-12-23	1,056,250
104	Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal	11-12-23	-	158	6250	11-12-23	987,500
105	MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal	11-12-23	-	221	6250	11-12-23	1,381,250
106	Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli,	11-12-23	-	218	6250	11-12-23	1,362,500
107	Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal	11-12-23	-	219	6250	11-12-23	1,368,750
108	Khan & Sons Brick Works, Babaina, Lakhpura Sambhal	11-12-23	-	211	6250	11-12-23	1,318,750
Total							526,275,000



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Avon Ent Udyog, Raja ka Majhola, Bahjoir, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Avon Ent Udyog, Raja ka Majhola, Bahjoir, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Avon Ent Udyog, Raja ka Majhola, Bahjoir, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ahmad Shah Brick Works(New name - Akbar Husain Brick Works) Oberi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ahmad Shah Brick Works(New name - Akbar Husain Brick Works) Oberi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ahmad Shah Brick Works(New name - Akbar Husain Brick Works) Oberi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ahmad Ullah Brick Works, Mohammadpur Malani, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ahmad Ullah Brick Works, Mohammadpur Malani, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ahmad Ullah Brick Works, Mohammadpur Malani, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-12-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Akram Ent Udyog(New name - Arham Brick Works), Barahi, Rahtol, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Akram Ent Udyog(New name - Arham Brick Works), Barahi, Rahtol, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Akram Ent Udyog(New name - Arham Brick Works), Barahi, Rahtol, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Al Haram Brick Field, Lahara Kamangar, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Al Haram Brick Field, Lahara Kamangar, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Al Haram Brick Field, Lahara Kamangar, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Alamdar Ent Udyog & Alamdad Brick Industries(New name - Star Entt. Udyog),
Harsinghpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 30-07-2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 30-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Alamdar Ent Udyog & Alamdad Brick Industries(New name - Star Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 30-07-2019 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Alamdar Ent Udyog & Alamdad Brick Industries(New name - Star Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 30-07-2019 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 984 हेतु रु 6150000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Alidad Ent Udyog (Mohammad Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Alidad Ent Udyog (Mohammad Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Alidad Ent Udyog (Mohammad Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-12-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Al-Madina Ent Udyog, Racheta, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 15-06-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 15-06-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Al-Madina Ent Udyog, Racheta, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 15-06-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Al-Madina Ent Udyog, Racheta, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 15-06-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s AMD Brick Works(New name - Rana Brick Works), Malpura Urf Malpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s AMD Brick Works(New name - Rana Brick Works), Malpura Urf Malpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 29-01-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s AMD Brick Works(New name - Rana Brick Works), Malpura Urf Malpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 27-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 1/29/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1121 हेतु रु 7006250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Anwari Brick Works, Waripur Bhamraua, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 09-06-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Anwari Brick Works, Waripur Bhamraua, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 09-06-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Anwari Brick Works, Waripur Bhamraua, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 09-06-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Arzu Brick Works (Old Name Labiba Brick Works), Bilalpath, Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Arzu Brick Works (Old Name Labiba Brick Works), Bilalpath, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Arzu Brick Works (Old Name Labiba Brick Works), Bilalpath, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Azazi Brick Works, Maatipur Dhaktoda, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 17-05-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Azazi Brick Works, Maatipur Dhaktoda, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17-05-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Azazi Brick Works, Maatipur Dhaktoda, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 17-05-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Balaji Maharaj ent Udyog, Khaspur, Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Balaji Maharaj ent Udyog, Khaspur, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Balaji Maharaj ent Udyog, Khaspur, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 437 हेतु रु 2731250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Bankey Bihari Brick Works, Balkaranpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Bankey Bihari Brick Works, Balkaranpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Bankey Bihari Brick Works, Balkaranpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Bharat Brick field(New name - Jiya Intt. Udyog), Mahmoodpur Malini, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 31-05-2016 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 31-05-2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Bharat Brick field(New name - Jiya Intt. Udyog), Mahmoodpur Malini, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 31-05-2016 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Bharat Brick field(New name - Jiya Intt. Udyog), Mahmoodpur Malini, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 31-05-2016 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Burhan Brick Field, Fatehpur Sarai, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Burhan Brick Field, Fatehpur Sarai, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Burhan Brick Field, Fatehpur Sarai, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/16/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 442 हेतु रु 2762500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Brick Field, Gumthal, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Brick Field, Gumthal, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Brick Field, Gumthal, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 431 हेतु रु 2693750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Brick Works, Jaineta, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Brick Works, Jaineta, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Brick Works, Jaineta, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 11-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1131 हेतु रु 7068750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Brick Works, Daboi Khurd, Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Brick Works, Daboi Khurd, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Brick Works, Daboi Khurd, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 437 हेतु रु 2731250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Brick Works (Old Name HMT Brick Works), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Brick Works (Old Name HMT Brick Works), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Brick Works (Old Name HMT Brick Works), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-12-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chetan Eint Udyog, Amiyapur Pachak, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chetan Eint Udyog, Amiyapur Pachak, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chetan Eint Udyog, Amiyapur Pachak, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1131 हेतु रु 7068750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chishti Ent Udyog, Pahra, Chandausi Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chishti Ent Udyog, Pahra, Chandausi Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chishti Ent Udyog, Pahra, Chandausi Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/16/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 442 हेतु रु 2762500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chisti Shan Brick Works, Chandwar, PS -Asmauli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chisti Shan Brick Works, Chandwar, PS -Asmauli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chisti Shan Brick Works, Chandwar, PS -Asmauli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 11-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s FKF Brick Works, Bilalpath, Asmoli PS Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 12-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 12-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s FKF Brick Works, Bilalpath, Asmoli PS Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 12-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s FKF Brick Works, Bilalpath, Asmoli PS Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 12-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Friend Brick Work (Old Name Haji Banne Miyan ent Udyog), Razakpur, Barahi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Friend Brick Work (Old Name Haji Banne Miyan ent Udyog), Razakpur, Barahi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Friend Brick Work (Old Name Haji Banne Miyan ent Udyog), Razakpur, Barahi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 11-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s G & C Brick Works (Old Name Hind Brick Works), Pathra, Badayun Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s G & C Brick Works (Old Name Hind Brick Works), Pathra, Badayun Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s G & C Brick Works (Old Name Hind Brick Works), Pathra, Badayun Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Gupta Brick Works, Saidpur Imma, Hasanpur Road, PS - Asmauli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Gupta Brick Works, Saidpur Imma, Hasanpur Road, PS - Asmauli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 22-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Gupta Brick Works, Saidpur Imma, Hasanpur Road, PS - Asmauli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 14-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/22/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1145 हेतु रु 7156250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Haji Munshi Ahamad Brick Works, Pahera, Mohamadpur Tanda, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-05-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Haji Munshi Ahamad Brick Works, Pahera, Mohamadpur Tanda, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 01-05-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Haji Munshi Ahamad Brick Works, Pahera, Mohamadpur Tanda, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 01-05-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/16/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Hari Anand Brick Works(New name - Giriraj Brick Works), Patراسي (Dhareta), Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Hari Anand Brick Works(New name - Giriraj Brick Works), Patراسي (Dhareta), Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Hari Anand Brick Works(New name - Giriraj Brick Works), Patراسي (Dhareta), Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/16/2023 तक रू 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 442 हेतु रू 2762500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s HMK Brick Works(old Name Haji Mateen, Rahauli, Sambhal)

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-11-2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-11-2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s HMK Brick Works(old Name Haji Mateen, Rahauli, Sambhal) के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 01-11-2019 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s HMK Brick Works(old Name Haji Mateen, Rahauli, Sambhal) पर बन्दी आदेश दिनांक 01-11-2019 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 919 हेतु रु 5743750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Husain Brick Field (Naved Brick & Husain Ent Udyog) (New Name Kisan Brick works), Bela Ki Milak, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Husain Brick Field (Naved Brick & Husain Ent Udyog) (New Name Kisan Brick works), Bela Ki Milak, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Husain Brick Field (Naved Brick & Husain Ent Udyog) (New Name Kisan Brick works), Bela Ki Milak, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ilahi Brick Works, Mukarrabpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ilahi Brick Works, Mukarrabpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ilahi Brick Works, Mukarrabpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 11-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ilahi Brick Works (Old Name Shareef Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ilahi Brick Works (Old Name Shareef Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ilahi Brick Works (Old Name Shareef Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 10-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Indian Brick Works, Ahrola Maafi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-05-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Indian Brick Works, Ahrola Maafi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-05-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Indian Brick Works, Ahrola Maafi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-05-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Indian Brick Works(New name - Sabri Brick Works), Asgaripur, PS - Asmoli, Chaudharpur, Manouta road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Indian Brick Works(New name - Sabri Brick Works), Asgaripur, PS - Asmoli, Chaudharpur, Manouta road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Indian Brick Works(New name - Sabri Brick Works), Asgaripur, PS - Asmoli, Chaudharpur, Manouta road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Indian Green Brick Works, Akabarpur, Bahjoi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Indian Green Brick Works, Akabarpur, Bahjoi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Indian Green Brick Works, Akabarpur, Bahjoi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 439 हेतु रु 2743750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jai Ambe Brick Works, Babaina, Mohra Lakhupura

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jai Ambe Brick Works, Babaina, Mohra Lakhupura के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jai Ambe Brick Works, Babaina, Mohra Lakhupura पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jai Baba Brick Works (New name Singh Baba Brick Works), Rajjak Pur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jai Baba Brick Works (New name Singh Baba Brick Works), Rajjak Pur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jai Baba Brick Works (New name Singh Baba Brick Works), Rajjak Pur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jai Durga Maa Brick Works, Mundia Khera, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jai Durga Maa Brick Works, Mundia Khera, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jai Durga Maa Brick Works, Mundia Khera, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jai Maa Durgey (Old Name Jai Shri Ram Brick Works, Chirauli Bhagwantpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 31-07-2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 31-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jai Maa Durgey (Old Name Jai Shri Ram Brick Works, Chirauli Bhagwantpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 31-07-2019 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jai Maa Durgey (Old Name Jai Shri Ram Brick Works, Chirauli Bhagwantpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 31-07-2019 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 985 हेतु रु 6156250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kadri Brick Field & Warsi Brick Field (New name - Khwaja Garib Nawaj, Tanda Kothi, Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kadri Brick Field & Warsi Brick Field (New name - Khwaja Garib Nawaj, Tanda Kothi, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kadri Brick Field & Warsi Brick Field (New name - Khwaja Garib Nawaj, Tanda Kothi, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रू 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रू 2718750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kalawati Brick Works, Muriyakhera, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kalawati Brick Works, Muriyakhera, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kalawati Brick Works, Muriyakhera, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s KGN Brick Works, Navada, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s KGN Brick Works, Navada, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s KGN Brick Works, Navada, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 20-06-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Khan Brick Works, Mukarabpur, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 21-05-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 21-05-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Khan Brick Works, Mukarabpur, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 21-05-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Khan Brick Works, Mukarabpur, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 21-05-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Khwaja Ent Udyog(New name - Radhe Radhe Entt Udyog), Taharpur Simraua, Near Hindauli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Khwaja Ent Udyog(New name - Radhe Radhe Entt Udyog), Taharpur Simraua, Near Hindauli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Khwaja Ent Udyog(New name - Radhe Radhe Entt Udyog), Taharpur Simraua, Near Hindauli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/16/2023 तक रू 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 442 हेतु रू 2762500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Khwaja Garib Nawaj Ent Udyoog (old Name Sabri Ent Udhyog), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 21-05-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 21-05-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Khwaja Garib Nawaj Ent Udyoog (old Name Sabri Ent Udhyog), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 21-05-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Khwaja Garib Nawaj Ent Udyoog (old Name Sabri Ent Udhyog), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 21-05-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Mahal Brick Works (present name warsi brick works), Safat Nagar, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Mahal Brick Works (present name warsi brick works), Safat Nagar, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Mahal Brick Works (present name warsi brick works), Safat Nagar, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-12-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Malik Ent Udyog (Old Name Mansoori Ent Udyog), Heerapur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Malik Ent Udyog (Old Name Mansoori Ent Udyog), Heerapur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Malik Ent Udyog (Old Name Mansoori Ent Udyog), Heerapur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s MLK Brick Works, Gumsani, Saidri Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s MLK Brick Works, Gumsani, Saidri Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s MLK Brick Works, Gumsani, Saidri Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 27-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Mohammad Ent Udyog, Overy, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Mohammad Ent Udyog, Overy, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Mohammad Ent Udyog, Overy, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s National Ent Udyog, Mattawali Patti, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s National Ent Udyog, Mattawali Patti, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s National Ent Udyog, Mattawali Patti, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-01-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Ansari Brick Works, Barahi, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Ansari Brick Works, Barahi, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Ansari Brick Works, Barahi, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 439 हेतु रु 2743750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Vip Brick works(New name - Aditya Entt. Udyog), Benipur Chak, adampur Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Vip Brick works(New name - Aditya Entt. Udyog), Benipur Chak, adampur Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Vip Brick works(New name - Aditya Entt. Udyog), Benipur Chak, adampur Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-01-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s NS Brick works, Darapur, Saidpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s NS Brick works, Darapur, Saidpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s NS Brick works, Darapur, Saidpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 27-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Om sai Brick field, Majhola fatehpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Om sai Brick field, Majhola fatehpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Om sai Brick field, Majhola fatehpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/28/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 454 हेतु रु 2837500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Om Sai Ent Udyog, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Om Sai Ent Udyog, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Om Sai Ent Udyog, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s PHD Brick Works, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s PHD Brick Works, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s PHD Brick Works, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Pradhan Ent Udyog (JP Eint Udyog), Riwada, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Pradhan Ent Udyog (JP Eint Udyog), Riwada, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Pradhan Ent Udyog (JP Eint Udyog), Riwada, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 20-06-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Prince Brick Work(Old name - KSN Brick works), Sevapur Pedaraspur, Gumsani, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Prince Brick Work(Old name - KSN Brick works), Sevapur Pedaraspur, Gumsani, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Prince Brick Work(Old name - KSN Brick works), Sevapur Pedaraspur, Gumsani, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s R S Brick Works(New name - Kajal Brick Works), Mudiya Khera, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s R S Brick Works(New name - Kajal Brick Works), Mudiya Khera, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s R S Brick Works(New name - Kajal Brick Works), Mudiya Khera, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Rehman Brick Works (Old Name Tehjeeb Brick Works), Sahbaspur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Rehman Brick Works (Old Name Tehjeeb Brick Works), Sahbaspur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Rehman Brick Works (Old Name Tehjeeb Brick Works), Sahbaspur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 10-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Riyal Diamond Brick Works, Sherpur, Bahjoi Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Riyal Diamond Brick Works, Sherpur, Bahjoi Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Riyal Diamond Brick Works, Sherpur, Bahjoi Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 439 हेतु रु 2743750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s RNZ Brick Works, Chak Viran, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s RNZ Brick Works, Chak Viran, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s RNZ Brick Works, Chak Viran, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 439 हेतु रु 2743750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Royal Brick Works & Ruby Brick Works (New name AKA Brick works),
Mukarrabpur, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Royal Brick Works & Ruby Brick Works (New name AKA Brick works), Mukarrabpur, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Royal Brick Works & Ruby Brick Works (New name AKA Brick works), Mukarrabpur, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 437 हेतु रु 2731250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Zen Brick Works(Old name - Zaid Brick works)Mansoorpur Maafi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Zen Brick Works(Old name - Zaid Brick works)Mansoorpur Maafi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Zen Brick Works(Old name - Zaid Brick works)Mansoorpur Maafi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 14-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Teba Hasan Brick works(New name - Sofia Brick works), Petia Maafi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Teba Hasan Brick works(New name - Sofia Brick works), Petia Maafi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Teba Hasan Brick works(New name - Sofia Brick works), Petia Maafi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 24-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/16/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shiv Shakti Ent Udyog (Shri Balaji Ent Udyog), Dugawar, Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shiv Shakti Ent Udyog (Shri Balaji Ent Udyog), Dugawar, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shiv Shakti Ent Udyog (Shri Balaji Ent Udyog), Dugawar, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 27-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Sona Ent Udyog (New name - Gause Brick Works), Gandipur, Salarpur Road,
Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Sona Ent Udyog (New name - Gause Brick Works), Gandipur, Salarpur Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Sona Ent Udyog (New name - Gause Brick Works), Gandipur, Salarpur Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 10-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s SK Brick Works, Sirsi, Bhamrauwa Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s SK Brick Works, Sirsi, Bhamrauwa Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s SK Brick Works, Sirsi, Bhamrauwa Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 437 हेतु रु 2731250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shri Radhey Krishna Ent Udhyog, Dohri Kalan, Asadpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shri Radhey Krishna Ent Udhyog, Dohri Kalan, Asadpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 22-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shri Radhey Krishna Ent Udhyog, Dohri Kalan, Asadpur, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/22/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 448 हेतु रु 2800000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shri Ram Eint Udyog, Matawali Patti, Asmloli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-05-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shri Ram Eint Udyog, Matawali Patti, Asmloli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-05-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shri Ram Eint Udyog, Matawali Patti, Asmloli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-05-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Sahiba Ent Udyog (MA Ent Udyog) Barahi Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Sahiba Ent Udyog (MA Ent Udyog) Barahi Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Sahiba Ent Udyog (MA Ent Udyog) Barahi Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-12-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Sana Brick Works, Khaspur, Asmoli, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Sana Brick Works, Khaspur, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Sana Brick Works, Khaspur, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-01-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Saqlani Brick Works(New name - Noori Entt. Udyog), Racheta, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Saqlani Brick Works(New name - Noori Entt. Udyog), Racheta, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Saqlani Brick Works(New name - Noori Entt. Udyog), Racheta, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Sabri Brick Works, Navada, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Sabri Brick Works, Navada, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Sabri Brick Works, Navada, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 10-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shan Brick Works(New name - Sania Brick Works), Oberi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 15-10-2014 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 15-10-2014 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shan Brick Works(New name - Sania Brick Works), Oberi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 15-10-2014 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shan Brick Works(New name - Sania Brick Works), Oberi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 15-10-2014 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/13/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Sadar Ent Udhyog (New name - Hazrat Ali Brick Works), Ratupura, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Sadar Ent Udhyog (New name - Hazrat Ali Brick Works), Ratupura, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Sadar Ent Udhyog (New name - Hazrat Ali Brick Works), Ratupura, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 437 हेतु रु 2731250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Tiranga Brick Works (Old Name Kisan Brick Works), Sarai Jwalapuri, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Tiranga Brick Works (Old Name Kisan Brick Works), Sarai Jwalapuri, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 20-06-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Tiranga Brick Works (Old Name Kisan Brick Works), Sarai Jwalapuri, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 20-06-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/28/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1151 हेतु रु 7193750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Siddhart Brick Works (Old Name Mahaveer Brick Works), Asalatpur Jarai, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Siddhart Brick Works (Old Name Mahaveer Brick Works), Asalatpur Jarai, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 14-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Siddhart Brick Works (Old Name Mahaveer Brick Works), Asalatpur Jarai, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 14-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1131 हेतु रु 7068750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Vishv Hari Sakar Ent Udyog, Khera Khas, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Vishv Hari Sakar Ent Udyog, Khera Khas, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 11-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Vishv Hari Sakar Ent Udyog, Khera Khas, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 11-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Sri Sai Ent Udyog(New name-Almadina Entt. Udyog), Lahara Kamangar, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Sri Sai Ent Udyog(New name-Almadina Entt. Udyog), Lahara Kamangar, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Sri Sai Ent Udyog(New name-Almadina Entt. Udyog), Lahara Kamangar, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shri Krishna Ent Udyog, Mudiya Khera, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shri Krishna Ent Udyog, Mudiya Khera, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shri Krishna Ent Udyog, Mudiya Khera, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/8/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Yagosh Brick Works (New Name - New Saqleni Brick Works), Shafatnagar,
Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Yagosh Brick Works (New Name - New Saqleni Brick Works), Shafatnagar, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-01-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Yagosh Brick Works (New Name - New Saqleni Brick Works), Shafatnagar, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-01-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shadan Brick Works (Shri Balaji Brick works), Rehtol , Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shadan Brick Works (Shri Balaji Brick works), Rehtol , Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shadan Brick Works (Shri Balaji Brick works), Rehtol , Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Seven Sky Brick Works(New name - Seven Star Brick Works) Hadakur, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Seven Sky Brick Works(New name - Seven Star Brick Works) Hadakur, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Seven Sky Brick Works(New name - Seven Star Brick Works) Hadakur, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 24-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Khan Entt. Udyog (Old name - Raj Brick works & Nayab Brick works), Narauli, Sambhal Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 15-11-2016 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 15-11-2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Khan Entt. Udyog (Old name - Raj Brick works & Nayab Brick works), Narauli, Sambhal Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 15-11-2016 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Khan Entt. Udyog (Old name - Raj Brick works & Nayab Brick works), Narauli, Sambhal Road, Sambhal पर बंदी आदेश दिनांक 15-11-2016 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/28/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1151 हेतु रु 7193750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s MMA Brick Works(New Name - SSA Brick works), Rattupura, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s MMA Brick Works(New Name - SSA Brick works), Rattupura, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s MMA Brick Works(New Name - SSA Brick works), Rattupura, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 24-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 02-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 02-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 435 हेतु रु 2718750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kisan Brick Works (Old Name Naved Brick Works & Hasan Brick Works), Milak Bela, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kisan Brick Works (Old Name Naved Brick Works & Hasan Brick Works), Milak Bela, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 24-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kisan Brick Works (Old Name Naved Brick Works & Hasan Brick Works), Milak Bela, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 24-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/9/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Indian Brick Works (New name- Chaudhary Brick Works), Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Indian Brick Works (New name- Chaudhary Brick Works), Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 10-05-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Indian Brick Works (New name- Chaudhary Brick Works), Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 10-05-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/11/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1134 हेतु रु 7087500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shahdos Mohhamad Shah Brick Field(New name - Zohan Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shahdos Mohhamad Shah Brick Field(New name - Zohan Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 18-12-2017 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shahdos Mohhamad Shah Brick Field(New name - Zohan Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 18-12-2017 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 2/12/2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1135 हेतु रु 7093750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ganesh Brick Works, Mudiya Khera, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ganesh Brick Works, Mudiya Khera, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27-04-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ganesh Brick Works, Mudiya Khera, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 27-04-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1131 हेतु रु 7068750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s GGR Brick Works, Chhabra, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s GGR Brick Works, Chhabra, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 19-07-2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s GGR Brick Works, Chhabra, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 19-07-2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 08-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 434 हेतु रु 2712500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्मल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्मल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्मल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kisan Brick Works(New name - Asadullah Brick Works), Rachaita, Asmoli,
Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kisan Brick Works(New name - Asadullah Brick Works), Rachaita, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-07-2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kisan Brick Works(New name - Asadullah Brick Works), Rachaita, Asmoli, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 03-07-2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 13-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1136 हेतु रु 7100000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s MH Brick Works, Aitmad pur Bhatpura PS Anchoda, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s MH Brick Works, Aitmad pur Bhatpura PS Anchoda, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s MH Brick Works, Aitmad pur Bhatpura PS Anchoda, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Quality Brick Works, Pota, Sirsi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Quality Brick Works, Pota, Sirsi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Quality Brick Works, Pota, Sirsi, Sambhal पर बन्दी आदेश दिनांक 25-02-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1132 हेतु रु 7075000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s B P Y Brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s B P Y Brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 12-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 01-02-2023 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s B P Y Brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 185 हेतु रु 1156250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4.क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s D K Y Brick Worksm, Vill- Singhdalanpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s D K Y Brick Worksm, Vill- Singhdalanpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 12-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 01-02-2023 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s D K Y Brick Worksm, Vill- Singhdalanpur, Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 185 हेतु रु 1156250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s P K Y Brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s P K Y Brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 12-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 01-02-2023 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s P K Y Brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 185 हेतु रु 1156250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shree Ram Bhatta Company, Vill- Singholi Purvi, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shree Ram Bhatta Company, Vill- Singholi Purvi, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 12-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 22-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 01-02-2023 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shree Ram Bhatta Company, Vill- Singholi Purvi, Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 22-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 179 हेतु रु 1118750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ram Prakash Ent Udyog, Simrai, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ram Prakash Ent Udyog, Simrai, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 29-05-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 12-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 22-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 01-02-2023 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ram Prakash Ent Udyog, Simrai, Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 29-05-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 22-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 178 हेतु रु 1112500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4.क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s D K S brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s D K S brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 12-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 01-02-2023 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s D K S brick Udyog, Vill- Singhdalanpur, Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 28-05-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 185 हेतु रु 1156250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4.क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03841 / C-7 / Vividh-627 / Jeetu Yadav / Sambhal / 2023 दिनांक:— 11.12.2023

सेवा में,

M/s Majid Brick Works, Bhawanipur (Tigri), Sambhal

विषय:— बोर्ड के पत्र दिनांक 31-08-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 31-08-2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Majid Brick Works, Bhawanipur (Tigri), Sambhal के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 05-07-2022 को किया गया, जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया, उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र दिनांक 13-07-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं बोर्ड के पत्र दिनांक 31-08-2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया, उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 31-08-2022 का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Majid Brick Works, Bhawanipur (Tigri), Sambhal पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की प्रथम निरीक्षण दिनांक 05-07-2022 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16-02-2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 169 हेतु रु 1056250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4.क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H03843/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Sambhal/2023
सेवा में,

दिनांक:-11.12.2023

M/s Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal

यह कि ईट भट्टा मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक:-13.04.23 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईट भट्टा मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.23 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21.11.2023 के अनुसार ईट भट्टे द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईट भट्टे मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1.. यह कि ईट भट्टा मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
- 3.. यह कि ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal पर निरीक्षण दिनांक 05-04-2023 से बन्दी आदेश जारी किये जाने की दिनांक 11.12.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 158 हेतु रु 987500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै० Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H03844/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Sambhal/2023
सेवा में,

दिनांक:-11.12.2023

M/s MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal

यह कि ईट भट्टा मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक:-13.04.23 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईट भट्टा मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.23 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21.11.2023 के अनुसार ईट भट्टे द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईट भट्टे मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1.. यह कि ईट भट्टा मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
- 3.. यह कि ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal पर निरीक्षण दिनांक 09-02-2023 से बन्दी आदेश जारी किये जाने की दिनांक 11.12.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 221 हेतु रु 1381250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H03845/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Sambhal/2023
सेवा में,

दिनांक:-11.12.2023

M/s Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal

यह कि ईट भट्टा मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक:-13.04.23 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईट भट्टा मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.23 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21.11.2023 के अनुसार ईट भट्टे द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईट भट्टे मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1.. यह कि ईट भट्टा मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
- 3.. यह कि ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal पर निरीक्षण दिनांक 12-02-2023 से बन्दी आदेश जारी किये जाने की दिनांक 11.12.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 218 हेतु रु 1362500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H03846/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Sambhal/2023
सेवा में,

दिनांक:-11.12.2023

M/s Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal

यह कि ईट भट्टा मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक:-13.04.23 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईट भट्टा मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.23 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21.11.2023 के अनुसार ईट भट्टे द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईट भट्टे मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि ईट भट्टा मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
3. यह कि ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal पर निरीक्षण दिनांक 11-02-2023 से बन्दी आदेश जारी किये जाने की दिनांक 11.12.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 219 हेतु रु 1368750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



527

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H03847/सी०-७/वायु-1975/023

दिनांक: 11/12/2023

सेवा में,

मै० खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स,
ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा,
तहसील व जनपद-सम्भल।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का उल्लंघन एवं बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित किये जाने के दृष्टिगत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि ईट भट्टा मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स, ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स, ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया तथा ईट भट्टे द्वारा वर्तमान तक सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

यह कि ईट भट्टा, मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल द्वारा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित प्राविधानों एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स, ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल के विरुद्ध वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1.. यह कि ईट भट्टा मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स, ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स, ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल द्वारा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टा संचालित किया गया जिसके दृष्टिगत ईट भट्टा मैसर्स खान एण्ड सन्स ब्रिक वर्क्स ग्राम-बबैना, पोस्ट-लखुपुरा, तहसील व जनपद-सम्भल के निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 से अद्यतन दिनांक 11.12.2023 तक कुल दिवस 211 दिवस हेतु रू० 6250 प्रतिदिन की दर से रू० 13,18,750/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

.....2/-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, सम्भल।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-सम्भल।
- 3..जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सम्भल।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

पत्रांक : 1.11.012 / E-2 / जनक

दिनांक : 10/10/23

1. उप आयुक्त,
वस्तु एवं सेवा कर विभाग, सम्मल।
2. जिला खान अधिकारी,
सम्मल।
3. अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, सम्मल।
4. समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस),
जनपद सम्मल।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए0 सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के क्रम में अवगत हों कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 303/81-7-2021-39 (पर्या.)/2014-टी0सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश सं0 582/81-7-2021-39(पर्या.)/2014-टी0सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के माध्यम से जनपद सम्मल में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः उक्त जारी शासनादेश की छायाप्रतियाँ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि उक्त शासनादेशों में अपने विभाग से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी, सम्मल

प्रतिलिपि :

1. पुलिस अधीक्षक, सम्मल को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, सम्मल

सेवा में,

पंजीकृत

1. जिलाधिकारी
सम्भल।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
सम्भल।

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के सुसंगत अंश का अवलोकन करने का कष्ट करें :-

“.....10. Let notice be issued to the District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha to submit a report before the Tribunal in respect of action of closure of illegally operating brick kilns in compliance of the closure orders of the State PCB communicated to the concerned District Magistrates and also recovery of the environmental compensation imposed by the concerned officer of the State PCB.

11. Let the report in terms of above directions be submitted by the UPPCB and District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 08.07.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों को बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश एवं उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 15.03.2021 एवं 08.07.2021 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 27.10.2023 एवं 01.12.2023 द्वारा दोषी ईट भट्टों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण में विचाराधीन उक्त ओ0ए0 सं0-889/2022 में पारित पूर्व आदेशों के अनुपालन में जनपद-संभल के अन्तर्गत आच्छादित कुल 108 दोषी भट्टे पाये गये थे जिन्हें बन्दी आदेश/कारण बताओ नोटिस/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड के पूर्व पत्रों द्वारा नोटिस जारी किया गया। बोर्ड द्वारा उक्त दोषी भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा चुकी है। बोर्ड द्वारा दोषी भट्टों को जारी बन्दी आदेश की सूची, बन्दी आदेश का दिनांक एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदर्शित करते हुए सूची संलग्न की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-889/2022 एवं अन्य वादों में पारित आदेशों तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 15.03.2021 एवं 08.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्न दोषी भट्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित समस्त ईट भट्टों को बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त होने की दशा में ही कोयले की आपूर्ति एवं मिट्टी खनन संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि जिला प्रशासन, संभल से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।



सदस्य सचिव



S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Avon Ent Udyog, Raja ka Majhola, Bahjoir, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
2	Ahmad Shah Brick Works(New name - Akbar Husain Brick Works) Oberi, Sambhal	25-02-15	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
3	Ahmad Ullah Brick Works, Mohammadpur Malani, Sambhal	18-12-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
4	Akram Ent Udyog(New name - Arham Brick Works), Barahi, Rahtol, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
5	Al Haram Brick Field, Lahara Kamangar, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
6	Alamdard Ent Udyog & Alamdad Brick Industries(New name - Star Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal	30-07-19	12-02-23	984	6250	11-12-23	6,150,000
7	Alidad Ent Udyog (Mohammad Entt. Udyog), Harsinghpur, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
8	Al-Madina Ent Udyog, Racheta, Sambhal	15-06-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
9	AMD Brick Works(New name - Rana Brick Works), Malpura Urf Malpur, Sambhal	27-04-18	29-01-23	1121	6250	11-12-23	7,006,250
10	Anwari Brick Works, Waripur Bhamraua, Sambhal	09-06-15	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
11	Arzu Brick Works (Old Name Labiba Brick Works), Bilalpath, Asmoli, Sambhal	19-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
12	Azazi Brick Works, Maatipur Dhaktoda, Sambhal	17-05-17	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
13	Balaji Maharaj ent Udyog, Khaspur, Asmoli, Sambhal	03-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
14	Bankey Bihari Brick Works, Balkaranpur, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
15	Bharat Brick field(New name - Jiya Intt. Udyog), Mahmoodpur Malini, Sambhal	31-05-16	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
16	Burhan Brick Field, Fatehpur Sarai, Sambhal	19-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
17	Chaudhary Brick Field, Gumthal, Sambhal	19-07-21	08-02-23	431	6250	11-12-23	2,693,750
18	Chaudhary Brick Works, Jaineta, Sambhal	11-05-18	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
19	Chaudhary Brick Works, Daboi Khurd, Asmoli, Sambhal	02-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
20	Chaudhary Brick Works (Old Name HMT Brick Works), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal	18-12-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
21	Chetan Eint Udyog, Amiyapur Pachak, Sambhal	25-02-15	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
22	Chishti Ent Udyog, Pahra, Chandausi Road, Sambhal	03-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
23	Chisti Shan Brick Works, Chandwar, PS -Asmauli, Sambhal	11-05-18	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
24	FKF Brick Works, Bilalpath, Asmoli PS Asmoli, Sambhal	12-04-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
25	Friend Brick Work (Old Name Haji Banne Miyan ent Udyog), Razakpur, Barahi, Sambhal	11-05-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
26	G & C Brick Works (Old Name Hind Brick Works), Pathra, Badayun Road, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
27	Gupta Brick Works, Saidpur Imma, Hasanpur Road, PS - Asmauli, Sambhal	14-05-18	22-02-23	1145	6250	11-12-23	7,156,250
28	Haji Munshi Ahamad Brick Works, Pahera, Mohamadpur Tanda, Sambhal	01-05-17	16-02-23	1139	6250	11-12-23	7,118,750

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
29	Hari Anand Brick Works(New name - Giriraj Brick Works), Patrasi (Dhareta), Sambhal	02-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
30	HMK Brick Works(old Name Haji Mateen, Rahauli, Sambhal	01-11-19	08-02-23	919	6250	11-12-23	5,743,750
31	Husain Brick Field (Naved Brick & Husain Ent Udyog) (New Name Kisan Brick works), Bela Ki Milak, Sambhal	03-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
32	Ilahi Brick Works, Mukarrabpur, Sambhal	11-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
33	Ilahi Brick Works (Old Name Shareef Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal	10-05-18	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
34	Indian Brick Works, Ahrola Maafi, Sambhal	25-05-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
35	Indian Brick Works(New name - Sabri Brick Works), Asgaripur, PS - Asmoli, Chaudharpur, Manouta road, Sambhal	25-02-15	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
36	Indian Green Brick Works, Akabarpur, Bahjoi, Sambhal	02-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
37	Jai Ambe Brick Works, Babaina, Mohra Lakhupura	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
38	Jai Baba Brick Works (New name Singh Baba Brick Works), Rajjak Pur, Sambhal	25-02-15	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
39	Jai Durga Maa Brick Works, Mundia Khera, Sambhal	02-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
40	Jai Maa Durgey (Old Name Jai Shri Ram Brick Works, Chirauli Bhagwantpur, Sambhal	31-07-19	13-02-23	985	6250	11-12-23	6,156,250
41	Kadri Brick Field & Warsi Brick Field (New name - Khwaja Garib Nawaj, Tanda Kothi, Asmoli, Sambhal	03-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
42	Kalawati Brick Works, Muriyakhera, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
43	KGN Brick Works, Navada, Sambhal	20-06-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
44	Khan Brick Works, Mukarabpur, Sirsi, Sambhal	21-05-15	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
45	Khwaja Ent Udyog(New name - Radhe Radhe Entt Udyog), Taharpur Simraua, Near Hindauli, Sambhal	03-07-21	16-02-23	442	6250	11-12-23	2,762,500
46	Khwaja Garib Nawaj Ent Udyog (old Name Sabri Ent Udyog), Mohammadpur Malini, Sirsi, Sambhal	21-05-15	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
47	Mahal Brick Works (present name warsi brick works), Safat Nagar, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
48	Malik Ent Udyog (Old Name Mansoori Ent Udyog), Heerapur, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
49	MLK Brick Works, Gumsani,Saidri Road, Sambhal	27-04-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
50	Mohammad Ent Udyog, Overy, Sambhal	25-02-15	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
51	National Ent Udyog, Mattawali Patti, Sambhal	18-01-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
52	New Ansari Brick Works, Barahi, Sirsi, Sambhal	03-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
53	New Vip Brick works(New name - Aditya Entt. Udyog), Benipur Chak,adampur Road, Sambhal	18-01-17	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
54	NS Brick works, Darapur,Saidpur, Sambhal	27-04-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
55	Om sai Brick field, Majhola fatehpur, Sambhal	19-07-21	28-02-23	454	6250	11-12-23	2,837,500
56	Om Sai Ent Udyog, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
57	PHD Brick Works, Ahmadnagar Tharesa, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
58	Pradhan Ent Udyog (JP Eint Udyog), Riwada, Sambhal	20-06-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
59	Prince Brick Work (Old name - KSN Brick works), Sevapur Pedaraspur, Gumsani, Sambhal	03-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
60	R S Brick Works (New name - Kajal Brick Works), Mudiya Khera, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
61	Rehman Brick Works (Old Name Tehjeeb Brick Works), Sahbaspur, Sambhal	10-05-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
62	Riyal Diamond Brick Works, Sherpur, Bahjoi Road, Sambhal	02-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
63	RNZ Brick Works, Chak Viran, Sambhal	19-07-21	13-02-23	439	6250	11-12-23	2,743,750
64	Royal Brick Works & Ruby Brick Works (New name AKA Brick works), Mukarrabpur, Sirsi, Sambhal	03-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
65	Zen Brick Works (Old name - Zaid Brick works) Mansoorpur Maafi, Sambhal	14-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
66	Teba Hasan Brick works (New name - Sofia Brick works), Petia Maafi, Sambhal	24-04-18	16-02-23	1139	6250	11-12-23	7,118,750
67	Shiv Shakti Ent Udyog (Shri Balaji Ent Udyog), Dugawar, Asmoli, Sambhal	27-04-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
68	Sona Ent Udyog (New name - Gause Brick Works), Gandipur, Salarpur Road, Sambhal	10-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
69	SK Brick Works, Sirsi, Bhamrauwa Road, Sambhal	19-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
70	Shri Radhey Krishna Ent Udhog, Dohri Kalan, Asadpur, Sambhal	19-07-21	22-02-23	448	6250	11-12-23	2,800,000
71	Shri Ram Eint Udyog, Matawali Patti, Asmloli, Sambhal	25-05-17	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
72	Sahiba Ent Udyog (MA Ent Udyog) Barahi Sirsi, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
73	Sana Brick Works, Khaspur, Asmoli, Sambhal	18-01-17	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
74	Saqlani Brick Works(New name - Noori Entt. Udyog), Racheta, Sambhal	19-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
75	Sabri Brick Works, Navada, Sambhal	10-05-18	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
76	Shan Brick Works(New name - Sania Brick Works), Oberi, Sambhal	15-10-14	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
77	Sadar Ent Udhog (New name - Hazrat Ali Brick Works), Ratupura, Sambhal	19-07-21	11-02-23	437	6250	11-12-23	2,731,250
78	Tiranga Brick Works (Old Name Kisan Brick Works), Sarai Jwalapuri, Sambhal	20-06-18	28-02-23	1151	6250	11-12-23	7,193,750
79	Siddhart Brick Works (Old Name Mahaveer Brick Works), Asalatpur Jarai, Sambhal	14-05-18	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
80	Vishv Hari Sakar Ent Udyog, Khera Khas, Sambhal	11-05-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
81	Sri Sai Ent Udyog(New name-Almadina Entt. Udyog), Lahara Kamangar, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500
82	Shri Krishna Ent Udyog, Mudiya Khera, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
83	Yagosh Brick Works (New Name - New Saqleni Brick Works), Shafatnagar, Sambhal	18-01-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
84	Shadan Brick Works (Shri Balaji Brick works), Rehtol, Sambhal	03-07-21	12-02-23	438	6250	11-12-23	2,737,500

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
85	Seven Sky Brick Works(New name - Seven Star Brick Works) Hadakur, Sirsi, Sambhal	24-04-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
86	Khan Entt. Udyog(Old name - Raj Brick works & Nayab Brick works), Narauli, Sambhal Road, Sambhal	15-11-16	28-02-23	1151	6250	11-12-23	7,193,750
87	MMA Brick Works(New Name - SSA Brick works), Rattupura, Sambhal	24-04-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
88	NSR Brick Field, Sheedal Mafi, Asmoli Road, Sambhal	02-07-21	09-02-23	435	6250	11-12-23	2,718,750
89	Kisan Brick Works (Old Name Naved Brick Works & Hasan Brick Works), Milak Bela, Sambhal	24-04-18	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
90	Indian Brick Works (New name- Chaudhary Brick Works), Sirsi, Sambhal	10-05-18	11-02-23	1134	6250	11-12-23	7,087,500
91	Shahdos Mohhammad Shah Brick Field(New name - Zohan Brick Works), Barahi, Sirsi, Sambhal	18-12-17	12-02-23	1135	6250	11-12-23	7,093,750
92	Ganesh Brick Works, Mudiya Khera, Sambhal	27-04-18	08-02-23	1131	6250	11-12-23	7,068,750
93	GGR Brick Works, Chhabra, Sambhal	19-07-21	08-02-23	434	6250	11-12-23	2,712,500
94	Kisan Brick Works(New name - Asadullah Brick Works), Rachaita, Asmoli, Sambhal	03-07-18	13-02-23	1136	6250	11-12-23	7,100,000
95	MH Brick Works, Aitmad pur Bhatpura PS Anchoda, Sambhal	25-02-15	16-02-23	1139	6250	11-12-23	7,118,750
96	Quality Brick Works, Pota, Sirsi, Sambhal	25-02-15	09-02-23	1132	6250	11-12-23	7,075,000
97	B P Y Brick Udyog, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250
98	D K Y Brick Worksm, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250

S. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Number of Violation Days	Per Day EC As per Rules (INR)	E.C. imposed date	Estimation of EC Amount (Rs.)
99	P K Y Brick Udyog, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250
100	Shree Ram Bhatta Company, Vill- Singholi Purvi, Sambhal	01-02-23	22-02-23	179	6250	11-12-23	1,118,750
101	Ram Prakash Ent Udyog, Simrai, Sambhal	01-02-23	22-02-23	178	6250	11-12-23	1,112,500
102	D K S brick Udyog, Vill-Singhdalanpur, Sambhal	01-02-23	28-02-23	185	6250	11-12-23	1,156,250
103	Majid Brick Works, Bhawanipur (Tigri), Sambhal	31-08-22	16-02-23	169	6250	11-12-23	1,056,250
104	Jai Shri Sai Brick Works, Dhureta Bahjoi road, Sambhal	11-12-23	-	158	6250	11-12-23	987,500
105	MS Brick Works, Mirzapur, Sambhal	11-12-23	-	221	6250	11-12-23	1,381,250
106	Mukhtar Brick Works, Bilalpath, Asmoli,	11-12-23	-	218	6250	11-12-23	1,362,500
107	Shadab Brick Works, Khaspur, Sambhal	11-12-23	-	219	6250	11-12-23	1,368,750
108	Khan & Sons Brick Works, Babaina, Lakhpura Sambhal	11-12-23	-	211	6250	11-12-23	1,318,750
Total							526,275,000

List of Defaulter Brick Kiln Amroha

Annexure No. 16

SL. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Per Day EC As per Rules (INR)	Number of Violation Days	E.C. imposition date	Estimation of EC Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.K.M Brick Field (New Name HKN Brick field)Vill-Kamalpur, Distt-Amroha.	17.07.2021	16.02.2023	6250	442	11-12-23	2,762,500
2	Akram Entt Udyog, Vill- Barkhera Rajput, Amroha.	03.01.2019	25.02.2023	6250	872	11-12-23	5,450,000
3	Amir ent Udyog (Old Name Raj Ent Udyog)Vill-Maksudpur, Dist-Amroha.	27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	11-12-23	7,118,750
4	Arsh Ent Udyog, (Old Name-Bharat Ent Udyog)Kaserwa, Dhanaura, Amroha.	27.04.2018	02.02.2023	6250	1125	11-12-23	7,031,250
5	B.M Ent UdyogBakainiya, Amroha.	17.7.2021	28.02.2023	6250	454	11-12-23	2,837,500
6	Bharat Ent UdyogShekhpur Mafi, Amroha.	17.07.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250
7	Chapna Brick WorksVill-Chapna Gangeshwari, Amroha.	17.7.2021	12.02.2023	6250	438	11-12-23	2,737,500
8	Chaudhary Brick Works UdyogVill-Chuchela Khurd, Dist-Amroha.	17.7.2021	02.02.2023	6250	430	11-12-23	2,687,500
9	Chaudhary Ent UdyogVill-Lisadi Khurd, Post-Kaisra, Amroha.	17.7.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250
10	Chaudhary Ent Udyog (New Name Balaji ent udyog)Vill-Pelitaga, Dhanaura, Amroha.	17.7.2021	06.02.2023	6250	432	11-12-23	2,700,000
11	Classic Brick WorksVill-Kala Kheda, Amroha.	17.07.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250
12	Durga Brick WorksVill-Aharola Tejvan, Amroha.	27.04.2018	04.02.2023	6250	1127	11-12-23	7,043,750
13	Avon Ent UdyogVill-Akbarpur Sakeniya, Amroha.	17.7.2021	28.02.2023	6250	454	11-12-23	2,837,500
14	Golden Brick WorksVill-Fattepur Mafi, Dist-Amroha.	09.04.2018	07.02.2023	6250	1130	11-12-23	7,062,500
15	Papu ent udyog (New name Gufran Ent Udyog Vill- Maksoodpur Bambu gharah Amroha.	27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	11-12-23	7,118,750
16	Guru Arjun Brick Works Vill-Shahpur Rajheda, Amroha.	17.7.2021	16.02.2023	6250	442	11-12-23	2,762,500
17	Guru Nanak Brick WorksDaulatpur Bhud, Dhanaura, Amroha.	17.07.2021	06.02.2023	6250	432	11-12-23	2,700,000
18	Hindustan ent UdyogVill-Payti kalan, Dist-Amroha.	21.12.2018	04.03.2023	6250	1155	11-12-23	7,218,750
19	Indian/India Brick Works (Old Name Madad Brick works)Mirpur Joya Amroha.	17.7.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250
20	Jai Brick Works (New Name Sujumna Int Udyog)Sujmana, Dhanaura, Amroha.	17.7.2021	06.02.2023	6250	432	11-12-23	2,700,000
21	Jishan Ent Udyog Kailsha Road, Paytikalan, Amroha.	17.7.2021	04.03.2023	6250	458	11-12-23	2,862,500
22	Jogan Brick WorksBanskhedi, Amroha.	17.7.2021	04.02.2023	6250	430	11-12-23	2,687,500
23	Kamar ent udhyog (New Name Papu ent udyog)Vill-Maqsoodpur, Bamboogarh Road, bypass, Amroha	27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	11-12-23	7,118,750
24	Kanak Bricks Works (New Present Name Shri Bala ji ent udyog and Old Name Krishan Brick Works)Maumaychak, Hasampur, Amroha.	17.7.2021	02.03.2023	6250	456	11-12-23	2,850,000
25	Keshav Ent Udyog Sujmana, Teh-Dhanaura, Amroha.	17.7.2021	02.02.2023	6250	428	11-12-23	2,675,000

SL. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Per Day EC As per Rules (INR)	Number of Violation Days	E.C. imposition date	Estimation of EC Amount (Rs.)
26	Kisan Ent UdhogGram Fatehpur Sumali, Amroha.	27.04.2018	06.02.2023	6250	1129	11-12-23	7,056,250
27	Kohinoor Brick WorksBori-Bora, Naugawan sadat, Amroha.	27.04.2018	04.02.2023	6250	1127	11-12-23	7,043,750
28	M.I.Z. Kakrali Mafi, Amroha.	03.01.2019	07.02.2023	6250	851	11-12-23	5,318,750
29	National Brick WorksVill-Noner, Amroha.	27.04.2018	07.02.2023	6250	1130	11-12-23	7,062,500
30	Mahak Ent Udyog (New Name New R.K. Ent udyog)Bhutiya Milak Papadi, Amroha	17.07.2021	28.02.2023	6250	454	11-12-23	2,837,500
31	Malik. Entt UdyogVill- Tokra Patti, Gajraula Dist-Amroha.	21.12.2018	06.02.2023	6250	1129	11-12-23	7,056,250
32	Mansooi Ent UdyogVill-Kakrali, Mubarakpur noori, Amroha,	17.7.2021	25.02.2023	6250	451	11-12-23	2,818,750
33	Mohasin Brick Works (Present name New Fine brick Works)Vill-Payati Kalan, Amroha.	17.7.2021	04.03.2023	6250	458	11-12-23	2,862,500
34	Monu Ent Udyog (Old Name Shiv Ent Udyog)Behlolpur, Gajraula, Amroha	27.04.2018	02.02.2023	6250	1125	11-12-23	7,031,250
35	New Bharat Brick WorksVill-Payanti Kala, Joya, Amroha.	17.07.2021	04.03.2023	6250	458	11-12-23	2,862,500
36	New Fauji Brick WorksGangacholi, Gangeshwari, Amroha.	17.07.2021	12.02.2023	6250	438	11-12-23	2,737,500
37	King Brick Field (New Present Name New King Brick field)Vill-Karnpur Chaudharpur, Amroha.	17.07.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250
38	New Raja Entt Udyog (Old Name Raja ent Udyog)Vill-Shahbajpur, Post-Joya, Amroha.	27.04.2018	07.02.2023	6250	1130	11-12-23	7,062,500
39	New Rashik Ent Udyog (New Name Anmol Ent Udyog) Vill-Sinaura, Dist-Amroha.	17.07.2021	23.02.2023	6250	449	11-12-23	2,806,250
40	Shiv Om Brick WorksVillage-Aharoula Tejwan, Post-Gajraula, Dhanaura, Distt-Amroha	17.07.2021	02.02.2023	6250	430	11-12-23	2,687,500
41	Om Baba Brick WorksVill-Kanjar Baseda, Dhanaura, Amroha.	17.07.2021	06.02.2023	6250	432	11-12-23	2,700,000
42	Raja Brick WorksLalu Nangla, Post-Gajna, Amroha.	21.12.2018	04.02.2023	6250	1127	11-12-23	7,043,750
43	Shankar Brick Works (New Name Narayan Brick works)Dhadiyal, Gangeshwari, Amroha.	17.07.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250
44	Shiv Brick Works (Old Name-Shubham Brick Works & Bhagat Ji Brick Works)Vill-Chuchela Kalan, Dhanaura, Amroha.	17.7.2021	02.02.2023	6250	430	11-12-23	2,687,500
45	Shiv Ent UdyogVill-Nanheda Rajput, Dist-Amroha.	17.07.2021	25.02.2023	6250	451	11-12-23	2,818,750
46	Shri Balak Ram Ent Udyog, Abbalpur, Amroha.	17.07.2021	28.02.2023	6250	454	11-12-23	2,837,500
47	Shyam Ent Udyog (New Present name sangum ent udyog)Payanti Kalan, Amroha	17.07.2021	04.03.2023	6250	458	11-12-23	2,862,500
48	Subodh Ent UdyogAjampur, Dhanaura, Amroha.	17.07.2021	06.02.2023	6250	432	11-12-23	2,700,000
49	Super Gold Bricks Works (New Name R.K. ent udyog)Sirsa Khumar, Amroha.	17.07.2021	02.03.2023	6250	436	11-12-23	2,725,000

SL. No.	Name and Address of Brick Kiln	Closure Date	Inspection Date	Per Day EC As per Rules (INR)	Number of Violation Days	E.C. imposition date	Estimation of EC Amount (Rs.)	
50	Umar Altmas Brick Field (Present Name Social Brick works)Vill-Kanpura, Post-Didoli, Amroha.	09.04.2018	23.02.2023	6250	1146	11-12-23	7,162,500	
51	Jugunu Ent UdyogVillage-Barkheda Rajpurt, Amroha.	17.07.2021	23.02.2023	6250	449	11-12-23	2,806,250	
52	Saklani Ent Udyog (Old Name Mehrab Ent Udyog)Village-Paity Kalan, Amroha	17.07.2021	04.03.2023	6250	458	11-12-23	2,862,500	
53	Hazi Mustak Brick WorksVillage and Post-Tavai Majra, Paity Kalan, Amroha	17.07.2021	04.03.2023	6250	458	11-12-23	2,862,500	
54	Musthafa Ent UdyogAsrafpur Fazganj, Amroha.	17.07.2021	23.02.2023	6250	449	11-12-23	2,806,250	
55	Ali Ent UdyogShahpur, Post-Joya, Amroha	27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	11-12-23	7,118,750	
56	Asra Ent UdyogVill-Chandnagar, Amroha.	17.7.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250	
57	Bilal Ent Brick Field (New Name Janu ent udyog, Old Name Laxmi Ent Udyog)Vill-Dariyapur, Amroha.	17.7.2021	02.03.2023	6250	456	11-12-23	2,850,000	
58	Chaudhary Ent UdyogKakrali, Joya, Amroha.	17.7.2021	25.02.2023	6250	451	11-12-23	2,818,750	
59	Avon Ent Udyog (Old name Farukh ent Udyog)Dehri Khurram, Amroha.	03-08-15	06.02.2023	6250	1129	11-12-23	7,056,250	
60	Kanha Ent UdyogNajarpur, Amroha.	17.7.2021	28.02.2023	6250	454	11-12-23	2,837,500	
61	Kaushar Brick WorksBans Khedi, Amroha.	17.7.2021	04.02.2023	6250	430	11-12-23	2,687,500	
62	Lakshmi Ent UdyogVill-Sirsa Khumar, Kailsa Road, Amroha.	09.04.2018	07.02.2023	6250	1130	11-12-23	7,062,500	
63	Malik Ent Udyog Shadipur, Amroha.	17.7.2021	25.02.2023	6250	451	11-12-23	2,818,750	
64	Rasik Ent Udyog (Present name Baba ent udyog)Vill-Nazarpur Nanheda Rajput, Joya, Amroha.	17.07.2021	07.02.2023	6250	433	11-12-23	2,706,250	
65	Vikas Brick Works (Present Name AN Brick works)Chuchela kala, Mandi Dhanaura, Amroha.	17.07.2021	02.02.2023	6250	430	11-12-23	2,687,500	
66	Khan Brick fieldVillage-Sakergarhi, Amroha	17.07.2021	12.02.2023	6250	438	11-12-23	2,737,500	
67	New Chaudhary Brick Workskakrali mafi, Amroha.	17.07.2021	25.02.2023	6250	451	11-12-23	2,818,750	
68	New Shama Brick Works, Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha	11-12-23	-	6250	171	11-12-23	1,068,750	
69	Indian Brick Works, Vill-Kanpura, Dist-Amroha	11-12-23	-	6250	449 (Against Abbu Brick works)	11-12-23	2,806,250	
70	Fauji Phalwan Bricks Works, Lalpur, Tehsil-Hsanpur, Amroha	23-05-23	-	-	-		-	
71	Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, Amroha	23-05-23	-	-	-		-	
Total							272,100,000	
72	Hafeez Ent Udyog, Sultanpur Molvi, Navada Chaubara, Amroha	Closure Order dated 17-07-2021 revoked by dated 06-09-2023 (E.C. imposed from dt. 01-08-2021 to 19-09-2023 operation without consent.						3,531,250
Grand Total							275,631,250	



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s A.K.M Brick Field (New Name HKN Brick field)Vill-Kamalpur, Distt-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s A.K.M Brick Field (New Name HKN Brick field)Vill-Kamalpur, Distt-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s A.K.M Brick Field (New Name HKN Brick field)Vill-Kamalpur, Distt-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 442 हेतु रु 2762500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Akram Entt Udyog, Vill- Barkhera Rajput, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Akram Entt Udyog, Vill- Barkhera Rajput, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Akram Entt Udyog, Vill- Barkhera Rajput, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 03.01.2019 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 872 हेतु रु 5450000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Amir ent Udyog (Old Name Raj Ent Udyog)Vill-Maksudpur, Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Amir ent Udyog (Old Name Raj Ent Udyog)Vill-Maksudpur, Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Amir ent Udyog (Old Name Raj Ent Udyog)Vill-Maksudpur, Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Arsh Ent Udyog, (Old Name-Bharat Ent Udyog)Kaserwa, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Arsh Ent Udyog, (Old Name-Bharat Ent Udyog)Kaserwa, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Arsh Ent Udyog, (Old Name-Bharat Ent Udyog)Kaserwa, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1125 हेतु रु 7031250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s B.M Ent UdyogBakainiya, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s B.M Ent UdyogBakainiya, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s B.M Ent UdyogBakainiya, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 454 हेतु रु 2837500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Bharat Ent UdyogShekhpur Mafi, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Bharat Ent UdyogShekhpur Mafi, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Bharat Ent UdyogShekhpur Mafi, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023

दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chapna Brick Works Vill-Chapna Gangeshwari, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chapna Brick Works Vill-Chapna Gangeshwari, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chapna Brick Works Vill-Chapna Gangeshwari, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Brick Works UdyogVill-Chuchela Khurd, Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Brick Works UdyogVill-Chuchela Khurd, Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Brick Works UdyogVill-Chuchela Khurd, Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 430 हेतु रु 2687500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Ent UdyogVill-Lisadi Khurd, Post-Kaisra, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Ent UdyogVill-Lisadi Khurd, Post-Kaisra, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Ent UdyogVill-Lisadi Khurd, Post-Kaisra, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Ent Udyog (New Name Balaji ent udyog)Vill-Pelitaga, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Ent Udyog (New Name Balaji ent udyog)Vill-Pelitaga, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Ent Udyog (New Name Balaji ent udyog)Vill-Pelitaga, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 432 हेतु रु 2700000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Classic Brick Works Vill-Kala Kheda, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Classic Brick Works Vill-Kala Kheda, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Classic Brick Works Vill-Kala Kheda, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Durga Brick Works Vill-Aharola Tejvan, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Durga Brick Works Vill-Aharola Tejvan, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Durga Brick Works Vill-Aharola Tejvan, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1127 हेतु रु 7043750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Avon Ent UdyogVill-Akbarpur Sakeniya, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Avon Ent UdyogVill-Akbarpur Sakeniya, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Avon Ent UdyogVill-Akbarpur Sakeniya, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 454 हेतु रु 2837500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Golden Brick Works Vill-Fattepur Mafi, Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Golden Brick Works Vill-Fattepur Mafi, Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Golden Brick Works Vill-Fattepur Mafi, Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 09.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1130 हेतु रु 7062500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Papu ent udyog (New name Gufran Ent Udyog Vill- Maksoodpur Bambu gharah Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Papu ent udyog (New name Gufran Ent Udyog Vill- Maksoodpur Bambu gharah Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Papu ent udyog (New name Gufran Ent Udyog Vill- Maksoodpur Bambu gharah Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Guru Arjun Brick Works Vill-Shahpur Rajheda, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Guru Arjun Brick Works Vill-Shahpur Rajheda, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Guru Arjun Brick Works Vill-Shahpur Rajheda, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 442 हेतु रु 2762500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Guru Nanak Brick Works Daulatpur Bhud, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Guru Nanak Brick Works Daulatpur Bhud, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Guru Nanak Brick Works Daulatpur Bhud, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 432 हेतु रु 2700000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Hindustan ent UdyogVill-Payti kalan, Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Hindustan ent UdyogVill-Payti kalan, Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Hindustan ent UdyogVill-Payti kalan, Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 21.12.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1155 हेतु रु 7218750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Indian/India Brick Works (Old Name Madad Brick works)Mirpur Joya Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Indian/India Brick Works (Old Name Madad Brick works)Mirpur Joya Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Indian/India Brick Works (Old Name Madad Brick works)Mirpur Joya Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रू 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रू 2706250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jai Brick Works (New Name Sujumna Int Udyog)Sujmana, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jai Brick Works (New Name Sujumna Int Udyog)Sujmana, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jai Brick Works (New Name Sujumna Int Udyog)Sujmana, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रू 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 432 हेतु रू 2700000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jishan Ent Udyog Kailsha Road, Paytikalan, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jishan Ent Udyog Kailsha Road, Paytikalan, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jishan Ent Udyog Kailsha Road, Paytikalan, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 458 हेतु रु 2862500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jogan Brick WorksBanskhedi, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jogan Brick WorksBanskhedi, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jogan Brick WorksBanskhedi, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 430 हेतु रु 2687500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kamar ent udhyog (New Name Papu ent udyog)Vill-Maqsoodpur, Bamboogarh Road, bypass, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kamar ent udhyog (New Name Papu ent udyog)Vill-Maqsoodpur, Bamboogarh Road, bypass, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kamar ent udhyog (New Name Papu ent udyog)Vill-Maqsoodpur, Bamboogarh Road, bypass, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kanak Bricks Works (New Present Name Shri Bala ji ent udyog and Old Name Krishan Brick Works)Maumaychak, Hasampur, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kanak Bricks Works (New Present Name Shri Bala ji ent udyog and Old Name Krishan Brick Works)Maumaychak, Hasampur, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kanak Bricks Works (New Present Name Shri Bala ji ent udyog and Old Name Krishan Brick Works)Maumaychak, Hasampur, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 456 हेतु रु 2850000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Keshav Ent Udyog Sujmana, Teh-Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Keshav Ent Udyog Sujmana, Teh-Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Keshav Ent Udyog Sujmana, Teh-Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 428 हेतु रु 2675000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kisan Ent UdhyogGram Fatehpur Sumali, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kisan Ent UdhyogGram Fatehpur Sumali, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kisan Ent UdhyogGram Fatehpur Sumali, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1129 हेतु रु 7056250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kohinoor Brick WorksBori-Bora, Naugawan sadat, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kohinoor Brick WorksBori-Bora, Naugawan sadat, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kohinoor Brick WorksBori-Bora, Naugawan sadat, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1127 हेतु रु 7043750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s M.I.Z. Kakrali Mafi, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s M.I.Z. Kakrali Mafi, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s M.I.Z. Kakrali Mafi, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 03.01.2019 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 851 हेतु रु 5318750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s National Brick Works Vill-Noner, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s National Brick Works Vill-Noner, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s National Brick Works Vill-Noner, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1130 हेतु रु 7062500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Mahak Ent Udyog (New Name New R.K. Ent udyog) Bhutiya Milak Papadi, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Mahak Ent Udyog (New Name New R.K. Ent udyog) Bhutiya Milak Papadi, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Mahak Ent Udyog (New Name New R.K. Ent udyog) Bhutiya Milak Papadi, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 454 हेतु रु 2837500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Malik. Entt UdyogVill- Tokra Patti, Gajraula Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Malik. Entt UdyogVill- Tokra Patti, Gajraula Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Malik. Entt UdyogVill- Tokra Patti, Gajraula Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 21.12.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1129 हेतु रु 7056250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Mansooi Ent UdyogVill-Kakrali, Mubarakpur noori, Amroha,

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Mansooi Ent UdyogVill-Kakrali, Mubarakpur noori, Amroha, के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Mansooi Ent UdyogVill-Kakrali, Mubarakpur noori, Amroha, पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 451 हेतु रु 2818750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Mohasin Brick Works (Present name New Fine brick Works)Vill-Payati Kalan,
Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Mohasin Brick Works (Present name New Fine brick Works)Vill-Payati Kalan, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Mohasin Brick Works (Present name New Fine brick Works)Vill-Payati Kalan, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 458 हेतु रु 2862500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Monu Ent Udyog (Old Name Shiv Ent Udyog)Behlolpur, Gajraula, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Monu Ent Udyog (Old Name Shiv Ent Udyog)Behlolpur, Gajraula, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Monu Ent Udyog (Old Name Shiv Ent Udyog)Behlolpur, Gajraula, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1125 हेतु रु 7031250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Bharat Brick Works Vill-Payanti Kala, Joya, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Bharat Brick Works Vill-Payanti Kala, Joya, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Bharat Brick Works Vill-Payanti Kala, Joya, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 458 हेतु रु 2862500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Fauji Brick WorksGangacholi, Gangeshwari, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Fauji Brick WorksGangacholi, Gangeshwari, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Fauji Brick WorksGangacholi, Gangeshwari, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s King Brick Field (New Present Name New King Brick field)Vill-Karnpur
Chaudharpur, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s King Brick Field (New Present Name New King Brick field)Vill-Karnpur Chaudharpur, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s King Brick Field (New Present Name New King Brick field)Vill-Karnpur Chaudharpur, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Raja Entt Udyog (Old Name Raja ent Udyog)Vill-Shahbajpur, Post-Joya, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Raja Entt Udyog (Old Name Raja ent Udyog)Vill-Shahbajpur, Post-Joya, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Raja Entt Udyog (Old Name Raja ent Udyog)Vill-Shahbajpur, Post-Joya, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1130 हेतु रु 7062500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Rashik Ent Udyog (New Name Anmol Ent Udyog) Vill-Sinaura, Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Rashik Ent Udyog (New Name Anmol Ent Udyog) Vill-Sinaura, Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Rashik Ent Udyog (New Name Anmol Ent Udyog) Vill-Sinaura, Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 449 हेतु रु 2806250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shiv Om Brick Works Village-Aharoula Tejwan, Post-Gajraula, Dhanaura, Distt-Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shiv Om Brick Works Village-Aharoula Tejwan, Post-Gajraula, Dhanaura, Distt-Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shiv Om Brick Works Village-Aharoula Tejwan, Post-Gajraula, Dhanaura, Distt-Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 430 हेतु रु 2687500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Om Baba Brick Works Vill-Kanjar Baseda, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Om Baba Brick Works Vill-Kanjar Baseda, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Om Baba Brick Works Vill-Kanjar Baseda, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 432 हेतु रु 2700000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Raja Brick WorksLalu Nangla, Post-Gajna, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Raja Brick WorksLalu Nangla, Post-Gajna, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Raja Brick WorksLalu Nangla, Post-Gajna, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 21.12.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1127 हेतु रु 7043750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shankar Brick Works (New Name Narayan Brick works) Dhadiyal, Gangeshwari, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shankar Brick Works (New Name Narayan Brick works) Dhadiyal, Gangeshwari, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shankar Brick Works (New Name Narayan Brick works) Dhadiyal, Gangeshwari, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०-H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shiv Brick Works (Old Name-Shubham Brick Works & Bhagat Ji Brick Works)Vill-Chuchela Kalan, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shiv Brick Works (Old Name-Shubham Brick Works & Bhagat Ji Brick Works)Vill-Chuchela Kalan, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shiv Brick Works (Old Name-Shubham Brick Works & Bhagat Ji Brick Works)Vill-Chuchela Kalan, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 430 हेतु रु 2687500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shiv Ent UdyogVill-Nanheda Rajput, Dist-Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shiv Ent UdyogVill-Nanheda Rajput, Dist-Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shiv Ent UdyogVill-Nanheda Rajput, Dist-Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 451 हेतु रु 2818750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shri Balak Ram Ent Udyog, Abbalpur, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shri Balak Ram Ent Udyog, Abbalpur, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shri Balak Ram Ent Udyog, Abbalpur, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 454 हेतु रु 2837500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Shyam Ent Udyog (New Present name sangum ent udyog)Payanti Kalan, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Shyam Ent Udyog (New Present name sangum ent udyog)Payanti Kalan, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Shyam Ent Udyog (New Present name sangum ent udyog)Payanti Kalan, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 458 हेतु रु 2862500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Subodh Ent UdyogAjampur, Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Subodh Ent UdyogAjampur, Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Subodh Ent UdyogAjampur, Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 432 हेतु रु 2700000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Super Gold Bricks Works (New Name R.K. ent udyog)Sirsa Khumar, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Super Gold Bricks Works (New Name R.K. ent udyog)Sirsa Khumar, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Super Gold Bricks Works (New Name R.K. ent udyog)Sirsa Khumar, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 436 हेतु रु 2725000/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Umar Altmas Brick Field (Present Name Social Brick works)Vill-Kanpura, Post-Didoli, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Umar Altmas Brick Field (Present Name Social Brick works)Vill-Kanpura, Post-Didoli, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Umar Altmas Brick Field (Present Name Social Brick works)Vill-Kanpura, Post-Didoli, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 09.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1146 हेतु रु 7162500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Jugunu Ent UdyogVillage-Barkheda Rajpurt, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Jugunu Ent UdyogVillage-Barkheda Rajpurt, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Jugunu Ent UdyogVillage-Barkheda Rajpurt, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 449 हेतु रु 2806250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Saklani Ent Udyog (Old Name Mehrab Ent Udyog)Village-Paity Kalan, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Saklani Ent Udyog (Old Name Mehrab Ent Udyog)Village-Paity Kalan, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Saklani Ent Udyog (Old Name Mehrab Ent Udyog)Village-Paity Kalan, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 458 हेतु रु 2862500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Hazi Mustak Brick Works Village and Post-Tavai Majra, Paity Kalan, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Hazi Mustak Brick Works Village and Post-Tavai Majra, Paity Kalan, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Hazi Mustak Brick Works Village and Post-Tavai Majra, Paity Kalan, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.03.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 458 हेतु रु 2862500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Musthafa Ent UdyogAsrafpur Fazganj, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Musthafa Ent UdyogAsrafpur Fazganj, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसे क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्यानसार सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Musthafa Ent UdyogAsrafpur Fazganj, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 23.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 449 हेतु रु 2806250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Ali Ent UdyogShahpur, Post-Joya, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Ali Ent UdyogShahpur, Post-Joya, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Ali Ent UdyogShahpur, Post-Joya, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 27.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1139 हेतु रु 7118750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Asra Ent UdyogVill-Chandnagar, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Asra Ent UdyogVill-Chandnagar, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Asra Ent UdyogVill-Chandnagar, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०-H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Bilal Ent Brick Field (New Name Janu ent udyog, Old Name Laxmi Ent Udyog)Vill-Dariyapur, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Bilal Ent Brick Field (New Name Janu ent udyog, Old Name Laxmi Ent Udyog)Vill-Dariyapur, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.03.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Bilal Ent Brick Field (New Name Janu ent udyog, Old Name Laxmi Ent Udyog)Vill-Dariyapur, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.03.2023 तक रू 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 456 हेतु रू 2850000/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Chaudhary Ent UdyogKakrali, Joya, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Chaudhary Ent UdyogKakrali, Joya, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Chaudhary Ent UdyogKakrali, Joya, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 451 हेतु रु 2818750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Avon Ent Udyog (Old name Farukh ent Udyog)Dehri Khurram, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 03-08-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 03-08-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Avon Ent Udyog (Old name Farukh ent Udyog)Dehri Khurram, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 03-08-2015 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Avon Ent Udyog (Old name Farukh ent Udyog)Dehri Khurram, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 03-08-2015 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 06.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1129 हेतु रु 7056250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kanha Ent UdyogNajarpur, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kanha Ent UdyogNajarpur, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kanha Ent UdyogNajarpur, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 454 हेतु रु 2837500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Kaushar Brick Works Bans Khedi, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Kaushar Brick Works Bans Khedi, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Kaushar Brick Works Bans Khedi, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 04.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 430 हेतु रु 2687500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Lakshmi Ent UdyogVill-Sirsa Khumar, Kailsa Road, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Lakshmi Ent UdyogVill-Sirsa Khumar, Kailsa Road, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 09.04.2018 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Lakshmi Ent UdyogVill-Sirsa Khumar, Kailsa Road, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 09.04.2018 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 1130 हेतु रु 7062500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०-H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Malik Ent Udyog Shadipur, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Malik Ent Udyog Shadipur, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.7.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Malik Ent Udyog Shadipur, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.7.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 451 हेतु रु 2818750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Rasik Ent Udyog (Present name Baba ent udyog)Vill-Nazarpur Nanheda Rajput,
Joya, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Rasik Ent Udyog (Present name Baba ent udyog)Vill-Nazarpur Nanheda Rajput, Joya, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Rasik Ent Udyog (Present name Baba ent udyog)Vill-Nazarpur Nanheda Rajput, Joya, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 433 हेतु रु 2706250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Vikas Brick Works (Present Name AN Brick works) Chuchela kala, Mandi Dhanaura, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Vikas Brick Works (Present Name AN Brick works) Chuchela kala, Mandi Dhanaura, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Vikas Brick Works (Present Name AN Brick works) Chuchela kala, Mandi Dhanaura, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 02.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 430 हेतु रु 2687500/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s Khan Brick field Village-Sakergarhi, Amroha

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s Khan Brick field Village-Sakergarhi, Amroha के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s Khan Brick field Village-Sakergarhi, Amroha पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 12.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 438 हेतु रु 2737500/- का अर्धदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०—H03840/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023 दिनांक:- 11.12.2023

सेवा में,

M/s New Chaudhary Brick Workskakrali mafi, Amroha.

विषय:- बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत ईट भट्टे M/s New Chaudhary Brick Workskakrali mafi, Amroha. के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा आपके ईट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को किया गया जिसमें ईट भट्टे द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालन किया जाना पाया गया जोकि पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से ईट भट्टे को नोटिस प्रेषित किया गया था। ईट भट्टे द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 13.04.2023 का प्रतिउत्तर वर्तमान समय तक प्रेषित नहीं किया गया।

अतः ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार M/s New Chaudhary Brick Workskakrali mafi, Amroha. पर बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 की तिथि से बन्दी आदेश के उल्लंघन की निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 451 हेतु रु 2818750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई०एफ०एस०कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H03842/C-7/Vividh-628/Jeetu Yadav/Amroha/2023
सेवा में,

दिनांक:-11.12.2023

M/s New Shama Brick Works
Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha

यह कि ईट भट्टा मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार दिनांक:-13.04.23 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईट भट्टा मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.23 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 31.10.2023 के अनुसार ईट भट्टे द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 में प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को निरस्त/वापस किये जाने हेतु कोई ठोस प्रमाण/अभिलेख नहीं पाया गया। अतः प्रेषित प्रत्यावेदन तथ्यपरक एवं संतोषजनक नहीं पाया गया, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 के निदेशों की पुष्टि की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईट भट्टे मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1.. यह कि ईट भट्टा मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
- 3.. यह कि ईट भट्टे द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha पर निरीक्षण दिनांक 23.03.2023 से बन्दी आदेश जारी किये जाने की दिनांक 11.12.2023 तक रु 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 171 हेतु रु 10,68,750/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं०-701502010002104 आई0एफ0एस0कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.. जिलाधिकारी, अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 2.. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मै0 New Shama Brick Works Vill-Sailpura, Bachhraun, Amroha के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
- 3.. जिला खनन अधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
- 4.. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



611

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H03840/सी-7/वायु-1979/023

दिनांक: 11/12/023

सेवा में,

मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स,
ग्राम-कनपुरा,
तहसील व जनपद-अमरोहा।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का उल्लंघन एवं बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित किये जाने के दृष्टिगत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि ईट भट्टा मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि बोर्ड के पत्र सं0-एच92004/सी-7/विविध-628/जीतू यादव/अमरोहा/46/2023 दिनांक 13.04.2023 द्वारा मै0 मुखिया ईट उद्योग, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा के विरुद्ध पूर्व में जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टा संचालित किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

यह कि बोर्ड के पत्र सं0-एच92004/सी-7/विविध-628/जीतू यादव/अमरोहा/2/2023 दिनांक 13.04.2023 द्वारा मै0 अब्बु ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा के विरुद्ध पूर्व में जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर ईट भट्टा संचालित किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर की नवीनतम आख्या दिनांक 31.10.2023 के अनुसार मै0 मुखिया ईट उद्योग एवं मै0 अब्बु ब्रिक वर्क्स एक ही भट्टे हैं तथा वर्तमान में मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स के नाम से संचालित है।

यह कि ईट भट्टा मै0 मुखिया ईट उद्योग, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा एवं मै0 अब्बु ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा द्वारा बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है तथा सहमति प्राप्त किये बिना भट्टे का संचालन किया गया है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 13.04.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईट मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1.. यह कि ईट भट्टा मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2.. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त मै0 इंडियन ब्रिक वर्क्स, ग्राम-कनपुरा, अमरोहा द्वारा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा उक्त भट्टे को पूर्व में जारी बन्दी आदेश दिनांक 17.07.2021 का उल्लंघन कर ईट भट्टा संचालित किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 17.07.2021 से दिनांक 23.02.2023 तक कुल उल्लंघन दिवस 449 दिवस हेतु रू0 6250 प्रतिदिन की दर से रू0 28,06,250/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन

बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं-701502010002104 आई0एफ0एस0कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H94155 / सी-7 / सामान्य-271 / बन्दी / 2023

दिनांक:-23.05.2023

सेवा में,

M/s Fauji Phalwan Bricks works
Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha

यह कि M/s Fauji Phalwan Bricks works Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा M/s Fauji Phalwan Bricks works Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने एवं ईट भट्टा उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के मापदण्डों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र सं०-H91122/सी-7/सामान्य-271/का0ब0नोटिस/1/2023 दिनांक 24.03.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि बोर्ड के पत्र सं०- H91122/सी-7/सामान्य-271/का0ब0नोटिस/1/2023 दिनांक 24.03.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर उक्त ईट भट्टा द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईट भट्टे द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही संचालन हेतु सहमति प्राप्त की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 24.03.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि ईट भट्टा M/s Fauji Phalwan Bricks works Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Fauji Phalwan Bricks works Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Vinay Ray

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, Amroha को इस अनुरोध के साथ कि कृपया M/s Fauji Phalwan Bricks works Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-Amroha को इस अनुरोध के साथ कि कृपया M/s Fauji Phalwan Bricks works Lalapur, Tehsil-Hasanpur, Amroha के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, Amroha को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-7

टी. सी. - 12 बी. विभूति खण्ड

गोमतीनगर, लखनऊ-226010

दूरभाष 272831, 2720828, 2720891, 2720681

फैक्स-0522-2720764

ई-मेल-info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone:2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०- H94155 / सी-7 / सामान्य-271 / बन्दी / 2023

दिनांक:-23.05.2023

सेवा में,

M/s Malik Ent Udyog,
Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA

यह कि M/s Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्टा M/s Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने एवं ईट भट्टा उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के मापदण्डों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र सं०-H91122 / सी-7 / सामान्य-271 / का0ब0नोटिस/6 / 2023 दिनांक 24.03.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि बोर्ड के पत्र सं०- H91122 / सी-7 / सामान्य-271 / का0ब0नोटिस / 6 / 2023 दिनांक 24.03.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर उक्त ईट भट्टा द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईट भट्टे द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही संचालन हेतु सहमति प्राप्त की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्टे के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 24.03.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत उक्त ईट भट्टे के विरुद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :-

- 1...यह कि ईट भट्टा M/s Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2...यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्टा M/s Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Vivek Ray

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, Amroha को इस अनुरोध के साथ कि कृपया M/s Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद-Amroha को इस अनुरोध के साथ कि कृपया M/s Malik Ent Udyog, Vill-Loohari Khadar, Post Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, AMROHA के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. जिला खनन अधिकारी, Amroha को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्टे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाये।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त बन्दी आदेश को आई0एम0एस0 पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहेंगे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, Bijnore को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्टे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्टे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-7

टी. सी. - 12 बी. विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स-0522-2720764
ई-मेल-info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone:2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H03848/MB-7/वायु-1898/023

दिनांक: 11/12/023

सेवा में,

मै0 हफीज ईट उद्योग,
ग्राम-सुल्तानपुर, मौलवी, गजरौला,
जनपद-अमरोहा।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का उल्लंघन एवं बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि ईट भट्टा मै0 हफीज ईट उद्योग, ग्राम-सुल्तानपुर, मौलवी, गजरौला, अमरोहा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि बोर्ड के पत्र सं0-एच00957/सी-7/ब्रिक-1898/2023 दिनांक 19.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा बोर्ड के पूर्व पत्र दिनांक 17.07.2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश को भट्टे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2023 को पृथक से आदेश जारी किये जाने की शर्त के साथ निक्षेपित किया गया है। उक्त के कम में बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अनुसार ईट भट्टा मै0 हफीज ईट उद्योग, ग्राम-सुल्तानपुर, मौलवी, गजरौला, अमरोहा को बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत सहमति दिनांक 31.07.2021 तक वैध थी तदोपरान्त ईट भट्टे द्वारा माह सितम्बर, 2023 तक सहमति प्राप्त की गयी।

अतः ईट भट्टा मै0 हफीज ईट उद्योग, ग्राम-सुल्तानपुर, मौलवी, गजरौला, अमरोहा द्वारा किये गये उल्लंघन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-08.02.2019 द्वारा जारी Levying of Environmental Compensation against Defaulting Industries के अनुसार मै0 हफीज ईट उद्योग, ग्राम-सुल्तानपुर, मौलवी, गजरौला, अमरोहा पर बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 19.09.2023 तक रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस 565 हेतु रू0 35,31,250/- का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0-701502010002104 आई0एफ0एस0कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1..जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 2..वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अमरोहा।
- 3..जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
- 4..क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा।
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 508 / खनिज लिपिक / 2023

दिनांक: 18.11.2023

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 15.03.2021 एवं 08.07.2021 के द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों को बंद कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में जनपद में ऐसे ईट-भट्टे जिनके द्वारा प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर कलेक्ट्रेट स्थित खनन अनुभाग में जमा नहीं की गयी है, की सूची निम्नवत् है। जयतक इन ईट-भट्टों द्वारा प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर खनन कार्यालय में जमा नहीं की जाती है तबतक किसी भी दशा में इन ईट-भट्टों पर ईट पथाई जैसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।

अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपने नाम के सम्मुख अंकित ईट-भट्टों का स्थलीय निरीक्षण कर, मंगलवार की सांय 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अपनी रिपोर्ट के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में आने से पूर्व अपने स्तर से संबंधित ईट-भट्टा संचालक को इस संबंध में लिखित/मौखिक रूप से अवगत करायेगें। यदि कोई ईट-भट्टा संचालक ईट-भट्टा संचालन के संबंध में किसी प्रकार की कोई गतिविधि करता है तो संबंधित थाने से पुलिस बल प्राप्त कर कार्य रूकवायेगें एवं इस संबंध में इस कार्यालय को अवगत करायेगें।

क्र० सं०	ईट-भट्टे का नाम	स्थित ग्राम	तैनात लेखपाल
01	एच०के०एन० ब्रिक फील्ड (पुराना नाम ए०के०एम० ब्रिक फील्ड)	कमेलपुर, धनौरा	श्रीमती अंजू सैनी 8394009000
02	इण्डियन ब्रिक फील्ड (पुराना नाम अब्बू ब्रिक फील्ड)	कनपुरा, अमरोहा	श्री दिनेश कुमार 9917948326
03	अकरम ईट उद्योग	बरखेड़ा राजपूत, अमरोहा	श्री मयंक चौधरी 9837882458
04	अली ईट उद्योग	शाहपुर, अमरोहा	श्री नरेन्द्र सिंह 9412338740
05	आमिर ईट उद्योग (पुराना नाम राज ईट उद्योग)	मसूदपुर, अमरोहा	श्री विमल शर्मा 9758478577
06	अर्श ईट उद्योग (पुराना नाम भारत ईट उद्योग)	कसेरूवा, अमरोहा	श्री अंकुल 9027215450
07	आसरा ईट उद्योग	चांदनगर, अमरोहा	श्री फुरकान 8476851931
08	बी०एम० ईट उद्योग	मिलक बकैना, नौगावा सादात	श्री मयंक चौधरी
09	भारत ईट उद्योग	शेखपुर माफी, अमरोहा	श्रीमती मुकुल सिंह 7017125339
10	जानू ईट उद्योग (पुराना नाम बिलाल ईट ब्रिक फील्ड / लक्ष्मी ईट उद्योग)	दरियापुर, अमरोहा	श्री मोहित 8395832011
11	छपना ब्रिक वर्क्स	छपना, हसनपुर	श्री धनराज 9458664708
12	चौधरी ब्रिक वर्क्स	चुचैला खुर्द, धनौरा	श्री अजय 9870954684
13	चौधरी ईट उद्योग	ककराली, जोया	श्री सनी 9690509929
14	चौधरी ईट उद्योग	ततारपुर, धनौरा	श्रीमती रीना रानी 9675663154
15	बालाजी ईट उद्योग (पुराना नाम चौधरी ईट उद्योग)	पेली तगा, धनौरा	श्री जौहर अली 9897976786
16	क्लासिक ब्रिक वर्क्स	काला खेड़ा, अमरोहा	

८

17	दुर्गा ब्रिक वर्क्स	अहरोला धनौरा	तेजवन	श्री इस्तकार 8474953668
18	एवन ईट उद्योग	अकबरपुर अमरोहा	राकनिया, अमरोहा	श्री चन्द्रदेव 8410493370
19	एवन ईट उद्योग(पुराना नाम फारूख ईट उद्योग)	देहरी सादात	खुर्रम, नौगावा	श्री नवनीत 9837999270
20	गोल्डन ब्रिक वर्क्स	फत्तेहपुर अमरोहा	माफी, अमरोहा	श्री विनोद सक्सेना, 9917103553
21	गुफरान ईट उद्योग(पुराना नाम पप्पू ईट उद्योग)	मकसूदपुर अमरोहा	बम्बूगढ, अमरोहा	श्री नरेन्द्र सिंह, 9412338740
22	गुरु अर्जुन ब्रिक वर्क्स	शाहपुर हरानपुर	रझंडा, अमरोहा	श्री वृत्पाल 9759259111
23	गुरु नानक ब्रिक वर्क्स	दौलतपुर धनौरा	भूड, अमरोहा	श्री शिशुपाल 8449114308
24	हिन्दुस्तान ईट उद्योग	पायती अमरोहा	कला, अमरोहा	श्री तेजपाल सिंह 9837078200
25	इण्डियन/इडिया ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम मदद ब्रिक वर्क्स)	मीरपुर, अमरोहा	अमरोहा	श्री विनोद सक्सेना 9917103553
26	जकी ईट उद्योग	वरखेडा अमरोहा	राजपूत, अमरोहा	श्री मयक चौधरी, 9837882458
27	सुजमना ईट उद्योग(पुराना नाम जय ब्रिक वर्क्स)	सुजमना, धनौरा	अमरोहा	श्री अमित कुमार 9837928774
28	जिशान ईट उद्योग	पायती अमरोहा	कला, अमरोहा	श्री तेजपाल सिंह
29	जोगन ब्रिक वर्क्स	बांसखेडी, अमरोहा	नौगावा	श्री सोवेन्द्र 9837078200
30	पप्पू ईट उद्योग(पुराना नाम कमर ईट उद्योग)	मकसूदपुर, अमरोहा	अमरोहा	श्री नरेन्द्र सिंह 9412338740
31	श्री बालाजी ईट उद्योग(पुराना नाम कनक/कृष्ण ब्रिक वर्क्स)	गउमयचक, अमरोहा	अमरोहा	श्री अंकुल 9027215450
32	कान्हा ईट उद्योग	नाजरपुर, अमरोहा	अमरोहा	श्री साजिद अली 8126359884
33	कौशर ईट उद्योग	बांसखेडी, अमरोहा	नौगावा	श्री सोवेन्द्र 9837078200
34	केशव ईट उद्योग	सुजमना, धनौरा	अमरोहा	श्री अमित कुमार 9837928774
35	किसान ईट उद्योग	फत्तेहपुर धनौरा	शुमाली, अमरोहा	श्री गुजम्मिल खा 9149220653
36	कोहिनूर ब्रिक वर्क्स	बोरी-बोरा, सादात	नौगावा	श्री हिमांशु 7037840190
37	लक्ष्मी ईट उद्योग	सिरसा अमरोहा	खुमार, अमरोहा	श्रीमती मुकुल सिंह 7017125339
38	एम0आई0जेड0 ब्रिक वर्क्स	ककराली अमरोहा	माफी, अमरोहा	श्री अजय कुमार 9870954684
39	नेशनल ब्रिक वर्क्स	नोनेर, धनौरा	अमरोहा	श्री विमल शर्मा 9758458577

40	आर०के० ईट उद्योग(पुराना नाम महक ईट उद्योग)	भूटिया मिलक, पापड़ी	श्री परवीन सिंह, 9456917471
41	मलिक ईट उद्योग	शादीपुर, नौगावा	श्री नयनीत 9837999270
42	मलिक ईट उद्योग	टोकरा पट्टी, गजरौला	श्री तारेश राणा 9458779995
43	गरूसी ईट उद्योग	ककराली, मुयारकपुर नूरी, अमरोहा	श्री अजय कुमार 9870954684
44	न्यू फाइन ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम मोहसिन ब्रिक वर्क्स)	पायती कला, अमरोहा	श्री तेजपाल सिंह 9837078200
45	गोनू ईट उद्योग(पुराना नाम शिव ईट उद्योग)	बहलोलपुर, धनौरा	श्री विमल शर्मा, 9758458577
46	गुखिया ईट उद्योग	कनपुरा, अमरोहा	श्री दिनेश
47	न्यू भारत ब्रिक वर्क्स	पांयती कला, अमरोहा	श्री तेजपाल सिंह
48	न्यू फौजी ब्रिक वर्क्स	गंगाचौली, हसनपुर	श्री पुलकित 8447902592
49	न्यू किंग ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम किंग ब्रिक वर्क्स)	करनपुर, चौधरपुर, अमरोहा	श्री प्रशान्त कुमार 7906631528
50	न्यू राजा ईट उद्योग(पुराना नाम राजा ईट उद्योग)	मालीखेडा उर्फ शहवाजपुर, अमरोहा	श्री गौरव शर्मा 9997476458
51	अनमोल ईट उद्योग(पुराना नाम न्यू राशिक ईट उद्योग)	सिनौरा, अमरोहा	श्री दिनेश कुमार 9917948326
52	शिव ओम ब्रिक वर्क्स	अहरौला तेजवन, धनौरा	श्री इस्तेखार
53	ओम बाबा ब्रिक वर्क्स	कंजर बसेड़ा, धनौरा	श्री नूतन 8126513606
54	राजा ब्रिक वर्क्स	लालू नगला, नौगावा	श्री मुकेश 8077962636
55	बाबा ईट उद्योग (पुराना नाम राशिक ईट उद्योग)	नाजरपुर नन्हेड़ा	श्री विवेक कुमार 9389170603
56	सहोता ईट उद्योग	पेली तगा धनौरा	श्रीमती रीना रानी
57	नारायण ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम शंकर ब्रिक वर्क्स)	दड़ियाल, हसनपुर	श्री जितेन्द्र यादव 9675118352
58	शिव ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम शुभम ब्रिक वर्क्स/भगत जी ईट उद्योग)	चुचैला कला, धनौरा	श्री उपेन्द्र सिंह 8077516576
59	शिव ईट उद्योग	नन्हेड़ा	श्री विवेक कुमार 9389170603
60	श्री बालकराम ईट उद्योग	अवलपुर, नौगावा	श्री अरुण 9557400622
61	संगम ईट उद्योग(पुराना नाम श्याम ईट उद्योग)	पांयती कला, अमरोहा	श्री तेजपाल सिंह
62	सुबाध ईट उद्योग	आजमपुर, धनौरा	श्री तेजवीर सिंह 8630197898



63	आर०के० ईट उद्योग(पुराना नाम सुपर गोल्ड ब्रिक वर्क्स)	सिरसा अमरोहा	खुमार,	श्री मुकुल सिंह 7017125339
64	सोशल ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम उगर अल्टमस ब्रिक वर्क्स)	कनपुरा,	अमरोहा	श्री दिनेश कुमार 9917948326
65	एएन ब्रिक वर्क्स(पुराना नाम ब्रिक वर्क्स)	चुवैला कला,	धनौरा	श्री उपेन्द्र सिंह
66	खान ब्रिक फिल्ड	सकरगढी,	धनौरा	श्री नीलेश यादव 9761034389
67	जुगनू ईट उद्योग	बरखेडा अमरोहा	राजपूत,	श्री मयक चौधरी 9837882458
68	सकलेनी ईट उद्योग(पुराना नाम मेहराब ईट उद्योग)	पांयती अमरोहा	कला,	श्री तेजपाल सिंह
69	हाजी मुश्ताक ब्रिक वर्क्स	तवई मजरा,	पांयती	श्री तेजपाल सिंह
70	मुश्ताफा ईट उद्योग	असरफपुर अमरोहा	फैजगंज,	श्री अजय कुमार 9870954684
71	न्यू चौधरी ब्रिक वर्क्स	ककराली अमरोहा	माफी,	श्री अजय कुमार
72	न्यू शमा ब्रिक वर्क्स	सेलपुरा,	धनौरा	श्री सुभित यादव 8954889257
73	मलिक ईट उद्योग	लुहारी हसनपुर	खादर,	श्री लकी चहल 8650860772
74	फौजी पहलवान ब्रिक वर्क्स	लालापुर,	हसनपुर	श्री सतीश 8909652806

उपरोक्तानुसार तैनात लेखपाल अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित भट्टों की सतत निगरानी करेंगे। इस में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित लेखपाल उत्तरदायी होगा। इस हेतु समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित ईट-भट्टों की सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्यवाही से प्रतिदिन इस कार्यालय को अधोहस्ताक्षरी के मोबाईल नम्बर 9454417642 एवं कार्यालय सहायक के मोबाईल नम्बर 9412552285 पर अवगत करायेगें।

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),
अमरोहा।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2- समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद अमरोहा को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से सभी लेखपाल को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, जनपद अमरोहा को उपरोक्तानुसार प्रभावी अनुश्रवण एवं इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से संबंधित लेखपाल को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

5- खान अधिकारी, अमरोहा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।



अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),
अमरोहा।

H/04259

1/10-7/ विवेक- 628/अमरोहा/023 15/12/023

पंजीकृत

सेवा में,

1. जिलाधिकारी
अमरोहा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
अमरोहा।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) के सुसंगत अंश का अवलोकन करने का कष्ट करें :-

“.....10. Let notice be issued to the District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha to submit a report before the Tribunal in respect of action of closure of illegally operating brick kilns in compliance of the closure orders of the State PCB communicated to the concerned District Magistrates and also recovery of the environmental compensation imposed by the concerned officer of the State PCB.

11. Let the report in terms of above directions be submitted by the UPPCB and District Magistrates of Moradabad, Sambhal, Rampur and Amroha within eight weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 08.07.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों को बन्द कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश एवं उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 15.03.2021 एवं 08.07.2021 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 27.10.2023 एवं 01.12.2023 द्वारा दोषी ईट भट्टों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया है (छायाप्रति संलग्न)।

माननीय अधिकरण में विचाराधीन उक्त ओ0ए0 सं0-889/2022 में पारित पूर्व आदेशों के अनुपालन में बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों एवं प्रेषित आख्या के आधार पर माननीय अधिकरण में पूर्व में प्रेषित 75 दोषी भट्टों की सूची को संशोधित किया गया है। जनपद-अमरोहा के अन्तर्गत आच्छादित दोषी भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का दिनांक एवं अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदर्शित करते हुए सूची संलग्न की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-889/2022 एवं अन्य वादों में पारित आदेशों तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 15.03.2021 एवं 08.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्न दोषी भट्टों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अपने

NGT BRICK KILN STATUS DISTT.-AMROHA

Operation season -
1 Sept. to 31 May
No. of days : 273

SL. No.	Name and Address of Brick Kiln	Date of First Inspection	Date of Show Cause Notice	Closure Date	Inspection Date	Per Day EC As per Rules (INR)	Number of Violation Days	Estimation of EC Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.K.M Brick Field (New Name HKN Brick field)Vill-Kamalpur, Distt-Amroha.			17.07.2021	16.02.2023	6250	442	2762500
2	Akram Entt Udyog, Vill- Barkhera Rajput, Amroha.			03.01.2019	25.02.2023	6250	872	5450000
3	Ali Ent UdyogShahpur, Post-Joya, Amroha			27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	7118750
4	Amir ent Udyog (Old Name Raj Ent Udyog)Vill-Maksudpur, Dist-Amroha.			27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	7118750
5	Arsh Ent Udyog, (Old Name-Bharat Ent Udyog)Kaserwa, Dhanaura, Amroha.			27.04.2018	02.02.2023	6250	1125	7031250
6	Asra Ent UdyogVill-Chandnagar, Amroha.			17.7.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
7	B.M Ent UdyogBakainiya, Amroha.			17.7.2021	28.02.2023	6250	454	2837500
8	Bharat Ent UdyogShekhpur Mafi, Amroha.			17.07.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
9	Bilal Ent Brick Field (New Name Janu ent udyog, Old Name Laxmi Ent Udyog)Vill-Dariyapur, Amroha.			17.7.2021	02.03.2023	6250	456	2850000
10	Chapna Brick WorksVill-Chapna Gangeshwari, Amroha.			17.7.2021	12.02.2023	6250	438	2737500
11	Chaudhary Brick Works UdyogVill-Chuchela Khurd, Dist-Amroha.			17.7.2021	02.02.2023	6250	430	2687500
12	Chaudhary Ent UdyogKakrali, Joya, Amroha.			17.7.2021	25.02.2023	6250	451	2818750
13	Chaudhary Ent UdyogVill-Lisadi Khurd, Post-Kaisra, Amroha.			17.7.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
14	Chaudhary Ent Udyog (New Name Balaji ent udyog)Vill-Pelitaga, Dhanaura, Amroha.			17.7.2021	06.02.2023	6250	432	2700000
15	Classic Brick WorksVill-Kala Kheda, Amroha.			17.07.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
16	Durga Brick WorksVill-Aharola Tejvan, Amroha.			27.04.2018	04.02.2023	6250	1127	7043750
17	Avon Ent UdyogVill-Akbarpur Sakeniya, Amroha.			17.7.2021	28.02.2023	6250	454	2837500
18	Avon Ent Udyog (Old name Farukh ent Udyog)Dehri Khurram, Amroha.			03-08-15	06.02.2023	6250	1129	7056250
19	Golden Brick WorksVill-Fattepur Mafi, Dist-Amroha.			09.04.2018	07.02.2023	6250	1130	7062500
20	Papu ent udyog (New name Gufran Ent Udyog Vill- Maksoodpur Bambu gharah Amroha.			27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	7118750
21	Guru Arjun Brick Works Vill-Shahpur Rajheda, Amroha.			17.7.2021	16.02.2023	6250	442	2762500

22	Guru Nanak Brick Works Daulatpur Bhud, Dhanaura, Amroha.			17.07.2021	06.02.2023	6250	432	2700000
23	Hindustan ent Udyog Vill-Paytikalan, Dist-Amroha.			21.12.2018	04.03.2023	6250	1155	7218750
24	Indian/India Brick Works (Old Name Madad Brick works) Mirpur Joya Amroha.			17.7.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
25	Jai Brick Works (New Name Sujumna Int Udyog) Sujmana, Dhanaura, Amroha.			17.7.2021	06.02.2023	6250	432	2700000
26	Jishan Ent Udyog Kailsha Road, Paytikalan, Amroha.			17.7.2021	04.03.2023	6250	458	2862500
27	Jogan Brick Works Banskhedhi, Amroha.			17.7.2021	04.02.2023	6250	430	2687500
28	Kamar ent udhyog (New Name Papu ent udyog) Vill-Maqsoodpur, Bamboogarh Road, bypass, Amroha			27.04.2018	16.02.2023	6250	1139	7118750
29	Kanak Bricks Works (New Present Name Shri Bala ji ent udyog and Old Name Krishan Brick Works) Maumaychak, Hasampur, Amroha.			17.7.2021	02.03.2023	6250	456	2850000
30	Kanha Ent Udyog Najarpur, Amroha.			17.7.2021	28.02.2023	6250	454	2837500
31	Kaushar Brick Works Bans Khedi, Amroha.			17.7.2021	04.02.2023	6250	430	2687500
32	Keshav Ent Udyog Sujmana, Teh-Dhanaura, Amroha.			17.7.2021	02.02.2023	6250	428	2675000
33	Kisan Ent Udhdyog Gram Fatehpur Sumali, Amroha.			27.04.2018	06.02.2023	6250	1129	7056250
34	Kohinoor Brick Works Bori-Bora, Naugawan sadat, Amroha.			27.04.2018	04.02.2023	6250	1127	7043750
35	Lakshmi Ent Udyog Vill-Sirsa Khumar, Kailsa Road, Amroha.			09.04.2018	07.02.2023	6250	1130	7062500
36	M.I.Z. Kakrali Mafi, Amroha.			03.01.2019	07.02.2023	6250	851	5318750
37	National Brick Works Vill-Noner, Amroha.			27.04.2018	07.02.2023	6250	1130	7062500
38	Mahak Ent Udyog (New Name New R.K. Ent udyog) Bhutiya Milak Papadi, Amroha			17.07.2021	28.02.2023	6250	454	2837500
39	Malik Ent Udyog Shadipur, Amroha.			17.7.2021	25.02.2023	6250	451	2818750
40	Malik Ent Udyog Vill-Tokra Patti, Gajraula Dist-Amroha.			21.12.2018	06.02.2023	6250	1129	7056250
41	Mansoori Ent Udyog Vill-Kakrali, Mubarakpur noori, Amroha,			17.7.2021	25.02.2023	6250	451	2818750
42	Mohasin Brick Works (Present name New Fine brick Works) Vill-Payati Kalan, Amroha.			17.7.2021	04.03.2023	6250	458	2862500
43	Monu Ent Udyog (Old Name Shiv Ent Udyog) Behlolpur, Gajraula, Amroha			27.04.2018	02.02.2023	6250	1125	7031250
44	Indian Brick Works, Vill-Kanpura, Dist-Amroha			11-12-23		6250	449 (Against Abbu Brick works)	2806250
45	New Bharat Brick Works Vill-Payanti Kala, Joya, Amroha.			17.07.2021	04.03.2023	6250	458	2862500

46	New Fauji Brick WorksGangacholi, Gangeshwari, Amroha.			17.07.2021	12.02.2023	6250	438	2737500
47	King Brick Field (New Present Name New King Brick field)Vill-Karnpur Chaudharpur, Amroha.			17.07.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
48	New Raja Entt Udyog (Old Name Raja ent Udyog)Vill-Shahbajpur, Post-Joya, Amroha.			27.04.2018	07.02.2023	6250	1130	7062500
49	New Rashik Ent Udyog (New Name Anmol Ent Udyog) Vill-Sinaura, Dist-Amroha.			17.07.2021	23.02.2023	6250	449	2806250
50	Shiv Om Brick WorksVillage-Aharoula Tejwan, Post-Gajraula, Dhanaura, Distt-Amroha			17.07.2021	02.02.2023	6250	430	2687500
51	Om Baba Brick WorksVill-Kanjar Baseda, Dhanaura, Amroha.			17.07.2021	06.02.2023	6250	432	2700000
52	Raja Brick WorksLalu Nangla, Post-Gajna, Amroha.			21.12.2018	04.02.2023	6250	1127	7043750
53	Rasik Ent Udyog (Present name Baba ent udyog)Vill-Nazarpur Nanheda Rajput, Joya, Amroha.			17.07.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
54	Shankar Brick Works (New Name Narayan Brick works)Dhadiyal, Gangeshwari, Amroha.			17.07.2021	07.02.2023	6250	433	2706250
55	Shiv Brick Works (Old Name-Shubham Brick Works & Bhagat Ji Brick Works)Vill-Chuchela Kalan, Dhanaura, Amroha.			17.7.2021	02.02.2023	6250	430	2687500
56	Shiv Ent UdyogVill-Nanheda Rajput, Dist-Amroha.			17.07.2021	25.02.2023	6250	451	2818750
57	Shri Balak Ram Ent Udyog, Abbalpur, Amroha.			17.07.2021	28.02.2023	6250	454	2837500
58	Shyam Ent Udyog (New Present name sangum ent udyog)Payanti Kalan, Amroha			17.07.2021	04.03.2023	6250	458	2862500
59	Subodh Ent UdyogAjampur, Dhanaura, Amroha.			17.07.2021	06.02.2023	6250	432	2700000
60	Super Gold Bricks Works (New Name R.K. ent udyog)Sirsa Khumar, Amroha.			17.07.2021	02.03.2023	6250	436	2725000
61	Umar Altmas Brick Field (Present Name Social Brick works)Vill-Kanpura, Post-Didoli, Amroha.			09.04.2018	23.02.2023	6250	1146	7162500
62	Vikas Brick Works (Present Name AN Brick works)Chuchela kala, Mandi Dhanaura, Amroha.			17.07.2021	02.02.2023	6250	430	2687500
63	Khan Brick fieldVillage-Sakergarhi, Amroha			17.07.2021	12.02.2023	6250	438	2737500
64	Jugunu Ent UdyogVillage-Barkheda Rajput, Amroha.			17.07.2021	23.02.2023	6250	449	2806250
65	Saklani Ent Udyog (Old Name Mehrab Ent Udyog)Village-Paity Kalan, Amroha			17.07.2021	04.03.2023	6250	458	2862500
66	Hazi Mustak Brick WorksVillage and Post-Tavai Majra, Paity Kalan, Amroha			17.07.2021	04.03.2023	6250	458	2862500

67	Musthafa Ent UdyogAsrafpur Fazganj, Amroha.			17.07.2021	23.02.2023	6250	449	2806250
68	New Chaudhary Brick Workskakrali mafi, Amroha.			17.07.2021	25.02.2023	6250	451	2818750
69	New Shama Brick Works, Vill- Sailpura, Bachhraun, Amroha	23-03-23	13-04-23	11-12-23	-	6250	171	1068750
70	Hafeez Ent Uhyog, Sultanpur Molvi, Navada chaubara, Amroha	Closure Order dated 17-07-2021 revoked by dated 06-09-2023 (E.C. imposed dated 01-08-2021 to 19-09-2023 for without consent operation)				6250	565	3531250

37 Brick Kilns prosecuted by UPPCB

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अधिनियम	धारा	परिवाद दाखिल की तिथि	सम्बन्धित थाना
1	M/S Sakar Hari Ent udyog, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	04-06-19	Hajrat Nagar Garhi
2	M/s Krishna Brick field, Samaspur, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	22-07-2019	Bilari
3	M/S Ali Brick works Ahmad Nagar, Jaitwada, Kundarki, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Kundarki
4	M/S Radha Krisna Brick field, Amarpur, Kashi, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Bilari
5	M/s Kazi Brick field, Bikanpur Kamlapur, Kundarki, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Kundarki
6	M/s Rafi Turki star Brick field, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Kundarki
7	M/s Noor Brick Field, Lalpur, Kundarki, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Kundarki
8	M/s Riza Brick field, Kunderki Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Kundarki
9	M/s Ahiya Brick field, Ahmad Nagar, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	23-07-2019	Kundarki
10	M/s Akbari Brick Works, Rooppur, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	24-07-2019	Kundarki
11	M/S Najish Brick Works, Shyam Wala, MoradaBad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	30-07-2019	Thakurdwara

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अधिनियम	धारा	परिवाद दाखिल की तिथि	सम्बन्धित थाना
12	M/S Anwari Brick works, Bhaumroha, Sambhal	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	30-07-2019	Hajrat Nagar Garhi
13	M/S Saklaini Brick Works, Surajnagar, Thakurdwara, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	30-07-2019	Thakurdwara
14	M/S Hazi FakirMod Brick field, Mahmoodpur, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-01-19	Bilari
15	M/s Indian Brick field, Salapur Kala, Sambhal	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-01-19	Nakhasa
16	M/S Hemkund Sahib Brick Field, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-05-19	Bilari
17	M/S Sabra Brick field, Kulwada Bilari, Moradaba	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-06-19	Kundarki
18	M/S Deep Ent Udyog, Asthapur, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-06-19	Bilari
19	M/S Ahil Brick works Samthal, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-06-19	Pakbada
20	M/S Gul Bahar Brick works, Bhisoda, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-06-19	Pakbada
21	M/S Gulshan Brick field,(SDR Brick) hashimpur, Pakhwada, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-07-19	Pakbada

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अधिनियम	धारा	परिवाद दाखिल की तिथि	सम्बन्धित थाना
22	M/S Sahir Brick works , Dakghar, Kundki, Bilari Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-07-19	Kundarki
23	M/S Akdas brick works, MilkMallpur , Pakhwada, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-07-19	Pakbada
24	M/s National Brick Works, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	08-08-19	Bilari
25	M/S SSB Brick works, Sarkada, Bilari, Moradabad	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	13-08-2019	Bilari
26	M/s Hamza Ent Udyog, Rampur	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	04-05-19	Tanda
27	M/s Amir ent Udyog, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	07-09-19	Thana - Amroha dehat
28	M/s New Raja Entt Udyog Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	07-09-19	Thana - Amroha dehat
29	M/S Anil Ent Udyog, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	07-09-19	Correct Name of Brick kiln as per office record, Brick kiln Name is Ali Ent Udyog, Village-Shahpur, Post-Joya, Amroha, Thana- Didaulli
30	M/s Gufraan Ent udyog, Mashoodpur, Amroha	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	22-07-2019	Thana - Amroha dehat

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अधिनियम	धारा	परिवाद दाखिल की तिथि	सम्बन्धित थाना
31	M/s Qamar Ent Udyog, Mashoodpur, Amroha	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	22-07-2019	Thana - Amroha dehat
32	M/S Durga Brick Works, Gajraula, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	02-04-20	Thana - Gajraula
33	M/S Kisan Ent Udyog , Vill.- Fatehpur Sumali, Dhanaura-Gajrola Road, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	02-04-20	Thana - Bachhraon
34	M/s Arsh Ent Udyog, Vill.- Kasheruwa, Gajrola Road, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	02-04-20	Thana - Gajraula
35	M/s Monu Ent Udyog, Vill.- Bahlolpur, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	02-04-20	Thana - Gajraula
36	M/S Malik Ent Udyog , Vill.- Tokara Patti, Tehsil- Dhanaura-Gajrola Road, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	02-04-20	Thana - Gajraula
37	M/S Umar Altamas Brick field , Presently Known-Social Brick works, Vill. Karanpura, Didauli, Amroha.	Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	37	01-06-21	Thana - Didauli



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सन्दर्भ सं० : 1113 / एन-47 / जनरल-2023

दिनांक : 01-12-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-889/2022 (आई०ए० नं०-321/2022) जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य के संबंध में जनपद-अमरोहा में वैध सहमति प्राप्त न होने तथा डिफाल्टर श्रेणी के ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय द्वारा जनपद-अमरोहा में स्थित डिफाल्टर ईट भट्टों का निरीक्षण माह नवम्बर, 2023 में किया गया। आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी


९८

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-889/2022 (आई0ए0 नं0-321/2022) जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य के संबंध में जनपद-अमरोहा में वैध सहमति प्राप्त न होने तथा डिफाल्टर श्रेणी के ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक-03.11.2023 को किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है :-


- 1- Shyam Ent Udyog (New Present name sangum ent udyog), Village-Payanti Kalan, Amroha.
- 2- Mohasin Brick Works (Present name New Fine brick Works), Village-Payati Kalan, Amroha.
- 3- New Bharat Brick Works, Village-Payanti Kala, Joya, Amroha.
- 4- Saklani Ent Udyog (Old Name Mehrab Ent Udyog), Village-Paity Kalan, Amroha.
- 5- Jugunu Ent Udyog, Village-Barkheda Rajput, Amroha.


उपरोक्त ईट भट्टे निरीक्षण के समय बन्द पाये गये। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(नारायण दत्त पाठक)
जे0आर0एफ0


(एस0के0त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0 अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी


04-11-23


04/11/23

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-889/2022 (आई०ए० नं०-321/2022) जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य के संबंध में जनपद-अमरोहा में वैध सहमति प्राप्त न होने तथा डिफाल्टर श्रेणी के ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक-16.11.2023 को किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

- 1- Ali Ent Udyog, Village-Shahpur, Post-Joya, Amroha.
- 2- Amir ent Udyog (Old Name Raj Ent Udyog)/New Name Arju ent udyog, Village-Maksudpur, Dist-Amroha.
- 3- Kamar ent udhyog (New Name Papu ent udyog), Village-Maksudpur, Bamboogarh Road, bypass, Amroha
- 4-Papu ent udyog (New name Gufran Ent Udyog, Village-Maksudpur Bamboogarh Amroha.
- 5- Jishan Ent Udyog , Village-Kailsha Road, Payti kalan, Amroha.
- 6- Hindustan ent Udyog, Village-Payti kalan, Dist-Amroha.
- 7- Golden Brick Works, Village-Fattepur Mafi, Dist-Amroha.

उपरोक्त ईट भट्टे निरीक्षण के समय बन्द पाये गये। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Sch
17-11-23

(सुबाष चन्द गौतम)
जे०आर०एफ०

Sch
17/11/23

(एस०के०त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

सहा०पर्या० अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी

Murain
17-11-23

Pring
17/11/23

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-889/2022 (आई०ए० नं०-321/2022) जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य के संबंध में जनपद-अमरोहा में वैध सहमति प्राप्त न होने तथा डिफाल्टर श्रेणी के ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक-17.11.2023 को किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है :-


- 1- Chaudhary Ent Udyog, Village-Kakrali, Joya, Amroha.
2. Kanha Ent Udyog, Village-Najarpur, Amroha.
3. M.I.Z. , Village-Kakrali Mafi, Amroha.
4. Mansoori Ent Udyog, Village-Kakrali, Mubarakpur noori, Amroha,
- 5- New Chaudhary Brick Works, Village-kakrali mafi, Amroha.
- 6- King Brick Field (New Present Name New King Brick field) Village-Karanpur Chaudharpur, Amroha.
- 7- Umar Altmas Brick Field (Present Name Social Brick works), Village-Kanpura, Post-Didoli, Amroha.
- 8- Abbu Brick Works (New Name Indian Brick works), Village-Kanpura, Amroha.


उपरोक्त ईट भट्टे निरीक्षण के समय बन्द पाये गये। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


18.11.23
(सुबाष चन्द गौतम)
जे०आर०एफ०


18/11/23
(एस०के०त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

~~सहा०पर्या० अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी~~


18-11-23



18/11/23


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-889/2022 (आई0ए0 नं0-321/2022) जीतू यादव बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं अन्य के संबंध में जनपद-अमरोहा में वैध सहमति प्राप्त न होने तथा डिफाल्टर श्रेणी के ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक-23.11.2023 को किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है :-


- 1- Kisan Ent Udhog, Village-Fatehpur Sumali, Dhanaura, Amroha.
- 2- Durga Brick Works, Vill.-Aharola Tejvan, Amroha.
- 3- Shiv Om Brick Works, Village-Aharoula Tejwan, Post-Gajraula, Dhanaura, Distt-Amroha
- 4- Malik. Entt Udyog, Vill- Tokra Patti, Gajraula Dist-Amroha.
- 5- Monu Ent Udyog (Old Name Shiv Ent Udyog), Behlolpur, Gajraula, Amroha.

उपरोक्त ईट भट्टे निरीक्षण के समय बन्द पाये गये। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(नारायण दत्त पाठक)
जे0आर0एफ0


(एस0क0त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

~~सहा0पर्या0 अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी~~


25-11-23


25/11/23



634

क्षेत्रीय कार्यालय

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

ई-मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591-2972012

पत्र संख्या: 1732/एन-13/889/2022/जनरल

दिनांक: 08.12.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम यू०पी० पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व अन्य के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं० 889/2022 जीतू यादव बनाम यू०पी० पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित जनपद मुरादाबाद, रामपुर व सम्मल में चिन्हित अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भगदीय

(आशुश्रीवस्तव चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

तहसील कांठ, जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील कांठ, मुरादाबाद में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Alfoz Brick work	Jumania Azam Umri	Kanth	Moradabad
2	Ali Int Udyog	Mehmudpur Bhagwandas	Kanth	Moradabad
3	Bharat Int Udyog	Khatapur	Kanth	Moradabad
4	Kisan Int Udyog, (New name Malik Brick Works)	Salempur Mustkam,	Kanth	Moradabad
5	Mohammad Ahmad S/o Sri Ahmad Jamil, (New Name N.S. intt. Udyog)	Telipura, Near Umrikala	Kanth	Moradabad
6	Nasir Brick Works (New name- International Brick Work)	Dera, Noorpur Road	Kanth	Moradabad
7	Nasir Int Udyog,	Talipura Haqdadpur	Kanth	Moradabad
8	Shahpur Int Udyog	Shahpur Abdulwari	Kanth	Moradabad
9	Shama Brick Works	Modapatti	Kanth	Moradabad
10	Bright Brick Works	Garhi Salempur	Kanth	Moradabad
11	Kisan Int Udyog	Mehmoodpur Bhagwandas	Kanth	Moradabad

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(आकाश ^{पुसो} जोशी)
प्रयोगशाला सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

1
C.S. [Signature]

तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील बिलारी, मुरादाबाद में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Afaq Brick Field	Seelpur, Bilari	Bilari	Moradabad
2	Ala Hazrat Int Udyog (Old Name- Latifi Bricks)	Tewarkhas	Bilari	Moradabad
3	ASB Brick Works	Sarkara, Bilari	Bilari	Moradabad
4	Dilshad Brick Works	Saidpur Chittu	Bilari	Moradabad
5	Gaus-A-Azam Brick Works (New Name- Gaus A-Pak Brick Field)	Mohanpur,	Bilari	Moradabad
6	Good Friends Brick Works	Kanakpur Doyam	Bilari	Moradabad
7	Habibi brick field	lalpur hameer	Bilari	Moradabad
8	Janab Chaudhary Brick Works	Maholi Khan	Bilari	Moradabad
9	Janta Brick Works	Domghar	Bilari	Moradabad
10	Janta Brick Works (New Name- Munmun Brick Works Kazi Parivar)	Vachalbhur	Bilari	Moradabad
11	Jay Gopal Hari Int Udyog & Manikamna Brick Works(New Name- New Indain Brick Field)	Jatpura Jhado, Mitapur Road	Bilari	Moradabad
12	Kanakpur Brick Industries	Laither	Bilari	Moradabad
13	Kazi Brick Works (Om Brick Works)	Kamalpur Kulwada	Bilari	Moradabad
14	Khalil Brick Works	Sikari Husainpur	Bilari	Moradabad
15	khan brick works (New Name- Khan Int Udyog)	lalpur hamir	Bilari	Moradabad

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अंजनी शुक्ल)

प्रयोगशाला सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील बिलारी, मुरादाबाद में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Khwaja Brick Works	Lalpur Hamir	Bilari	Moradabad
2	Kisan Brick Works,	Chakfajalpur,	Bilari	Moradabad
3	Laxmi Brick Field	Kutubpur Aju	Bilari	Moradabad
4	Khwaja Brick Works (Malik Brick Works)	Abhanpur	Bilari	Moradabad
5	Manya Eint Udyog(New name Bharat Intt. Udyog)	Shahpur	Bilari	Moradabad
6	MH Brick Works, (New name Kadri Brick Works)	Dhakiya Juma	Bilari	Moradabad
7	Mumtaz Brick Works	Gazupur, Jalalpur	Bilari	Moradabad
8	New India Brick Field (Old Name National Brick Works & Faizan Brick Works)	Moushampur	Bilari	Moradabad
9	Noor Brick Field,	Lalpur Hamir	Bilari	Moradabad
10	Parveen Brick Works	Sabjipur Umari,	Bilari	Moradabad
11	Pradhan Brick Works	Shekhupura	Bilari	Moradabad
12	Prem Int Udyog(New name Supreme Brick Field)	Nagla Gujar	Bilari	Moradabad
13	Rafi Turki Star Brick Field (Bharat Brick Works)	Chakfazalpur	Bilari	Moradabad
14	Raza Brick Field	Masevi, rasulpur,	Bilari	Moradabad


निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



(अंजनी शुक्ल)
प्रयोगशाला सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय





तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या—

उपरोक्त विषयक तहसील बिलारी, मुरादाबाद में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Riza Brick Works,	Gadipur	Bilari	Moradabad
2	Royal Brick Field, (New name Star brick field)	Chittupur	Bilari	Moradabad
3	Sabara Brick Works(Newname Faizan Brick Works)	Bhikanpur	Bilari	Moradabad
4	SH Brick Works	Bhirwari	Bilari	Moradabad
5	Shiv Brick Works	Mohanpur	Bilari	Moradabad
6	Shiv Hari Brick Works(New name Mahadev Intt. Udyog)	Nagla Gujjar	Bilari	Moradabad
7	Shiv Om Brick Works (New name- New star brick works)	Chatupur	Bilari	Moradabad
8	Shri Krishna Brick Works	Samaspur	Bilari	Moradabad
9	V.P.S. Brick WorkS (New Name Radha Krishan Brick Field)	Vill. Amarpur KaShi	Bilari	Moradabad
10	Zam Zam Brick Works (Old name-Taj Int Udyog & New Name- Shabab Brick Field)	Hathipur Chittu	Bilari	Moradabad
11	Azhari Brick Works	Hathipur Chittu	Bilari	Moradabad
12	Kisan Int Udyog	Ruppur	Bilari	Moradabad
13	M.A. Brick WorkS	Kadarpur Masti	Bilari	Moradabad
14	Musarfi Hasnain Brick Works	Takhtpur Hasa	Bilari	Moradabad

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(आकाश जोशी)
प्रयोगशाला सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Arsh Brick Works	Mirzapur, Kamruddin	Thakurdwara	Moradabad
2	Hind Brick Works	Mahmudpur Lal	Thakurdwara	Moradabad
3	Mohd. Yakub Brick Field (New Name Warsi Intt. Udyog & Kamal Brick Field)	Sahibganj	Thakurdwara	Moradabad
4	Rizwi Brick Works	Trikhuti	Thakurdwara	Moradabad
5	Sumitra Brick Works,	Kundesara	Thakurdwara	Moradabad
6	Taslim Brick Work (New name Bharat Brick works)	Vajidpur Atayan Road	Thakurdwara	Moradabad
7	Zishan Brick Works (New name Gaffar Rizwan Brick works)	Dulhapur Patti Jat Tanda Afjal	Thakurdwara	Moradabad

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(राजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



तहसील सदर, जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या –


उपरोक्त विषयक तहसील सदर, मुरादाबाद में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Atoz Brick Works (New name AR Brick works)	Madpuri, Kanth Road	Sadar	Moradabad
2	Diamond Brick Industries (New name- Habibi Intt. Udyog)	Sajina Mundapande	Sadar	Moradabad
3	Gulbahar Brick Works (New name Super Brick Field)	Bhainsoda, Pakbara	Sadar	Moradabad
4	Habeeb Brick Field (Old name Roshan brick Works)	Bhagatpur Tanda, Roshanpur	Sadar	Moradabad
5	Huda Brick Works	Khaikhera	Sadar	Moradabad
6	Mustak Brick Industries	Mehalakupur Nizampur	sadar	Moradabad
7	National Brick Works	Nijampur, Agwanpur	Sadar	Moradabad
8	Sabri Brick Works	Belwara	Sadar	Moradabad
9	Sri Balaji Brick	Mehlakpur, Nizamur	sadar	Moradabad
10	Vishal Brick Works (Old Name Sri Ganga Brick Works)	Thiriyadan	Sadar	Moradabad
11	Yadavji Intt. Udyog (New name Fauji Intt. Udyog)	Boojpur Asha	Sadar	Moradabad

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(राजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय




तहसील टाण्डा, सदर, मिलक एवं बिलासपुर जनपद रामपुर में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या—

उपरोक्त विषयक तहसील टाण्डा, सदर, मिलक एवं बिलासपुर में में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31.10.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

1. मैसर्स ए.एन.एस. ब्रिक वर्क्स, ग्राम रानू नंगला, सैदनगर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर।
2. मैसर्स गरीब नवाज ब्रिक वर्क्स, परशुपुरा रोड, ग्राम मिलक नगली, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर।
3. मैसर्स हमजा ब्रिक वर्क्स (नया नाम मैसर्स मुन्शाद ब्रिक वर्क्स), ग्राम सराबा सैदनगर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर।
4. मैसर्स नाज ब्रिक वर्क्स, दर्शनपुर, लालपुर रोड, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर।
5. मैसर्स ओ.के. ब्रिक वर्क्स, छितरिया जहांगीर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर।
6. मैसर्स राशिद एण्ड राशिद ब्रिक वर्क्स, छितरिया जहांगीर, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर।
7. मैसर्स राजा ब्रिक वर्क्स (पुराना नाम मैसर्स एस.एस. ब्रिक वर्क्स एवं मैसर्स ख्वाजा गरीब नवाज इण्डस्ट्रीज), मेंहदीनगर जुनाबी/मिलक नवी सिंह, तहसील सदर, रामपुर।
8. मैसर्स अक्का ब्रिक सेन्टर (नया नाम तहसीन ब्रिक वर्क्स सेन्टर), चैनपुर, तहसील मिलक, जनपद रामपुर।
9. मैसर्स जय श्री बालाजी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, जगन्नाथपुर, तहसील मिलक, जनपद रामपुर।
10. मैसर्स कुनाल ब्रिक वर्क्स, किम्चा, तहसील मिलक, जनपद रामपुर।
11. मैसर्स शान ब्रिक फील्ड (नया नाम इण्डिया ब्रिक इण्डस्ट्री), अण्डखेड़ी, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर।
12. मैसर्स गुरु नानक ब्रिक वर्क्स (पुराना नाम ओम शिव शक्ति ब्रिक फील्ड), नरसुआ, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर।
13. मैसर्स कुबरा ब्रिक फील्ड (नया नाम सरदार ब्रिक फील्ड, पजाबा, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर।
14. मैसर्स न्यू कोहिनूर ब्रिक फील्ड, पदपुरी, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर।

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी प्रकार का कच्चा माल, कोयला व लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(आकाश जोशी)
प्रयो0सहा0

सहा0पर्या0अमि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील शाहबाद, जनपद रामपुर में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या—

उपरोक्त विषयक तहसील शाहबाद, रामपुर में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 31.10.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

1. मैसर्स अमान ईट उद्योग (नया नाम न्यू राजा ब्रिक वर्क्स), देवीपुरा रोड, बड़ा गांव, शाहबाद, रामपुर।
2. मैसर्स फेमस ब्रिक वर्क्स (नया नाम ख्वाजा ब्रिक वर्क्स), खरसौल, शाहबाद, रामपुर।
3. मैसर्स जगदम्बे ब्रिक वर्क्स, ग्राम गहनी, शाहबाद, रामपुर।
4. मैसर्स खान ब्रिक वर्क्स, ग्राम बल्लूपुरा, शाहबाद, रामपुर।
5. मैसर्स हिदाया ब्रिक फील्ड (पुराना नाम खुर्शीद ब्रिक फील्ड), ग्राम ककरावां सिरौली, शाहबाद, रामपुर।
6. मैसर्स भारत ब्रिक वर्क्स (पुराना नाम असम ब्रिक वर्क्स), ककरावां, शाहबाद, रामपुर।
7. मैसर्स फारमर ब्रिक इण्डस्ट्रीज, करीमगंज, शाहबाद, रामपुर।
8. मैसर्स के.के. ब्रिक वर्क्स, ढकिया रोड, शाहबाद, रामपुर।
9. मैसर्स ओमेश ब्रिक वर्क्स, चिकौनी, शाहबाद, रामपुर।
10. मैसर्स पवन ब्रिक वर्क्स, बल्लूपुरा, शाहबाद, रामपुर।
11. मैसर्स कादरी ब्रिक फील्ड, सुहावा, शाहबाद, रामपुर।
12. मैसर्स शबाना ब्रिक फील्ड, सैफनी, शाहबाद, रामपुर।

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टों पर किसी प्रकार का कच्चा माल एवं कोयला व लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



(अंजनी शुक्ल)

प्रयो०सहा०

सहा०पर्या०अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय




तहसील गुन्नौर, जनपद सम्भल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या—

उपरोक्त विषयक तहसील गुन्नौर, सम्भल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

1. मैसर्स बीपीबाई ब्रिक उद्योग, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
2. मैसर्स डीकेएस ब्रिक उद्योग, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
3. मैसर्स डीकेबाई ब्रिक उद्योग, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
4. मैसर्स पीकेबाई ब्रिक उद्योग, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
5. मैसर्स प्रधान ईट उद्योग(जे.पी ईट उद्योग), सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
6. मैसर्स राम भट्टा कम्पनी, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
7. मैसर्स राम प्रकाश कम्पनी, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।
8. मैसर्स श्री राधे कृष्णा ईट उद्योग, सिंहदलनपुर, गुन्नौर, सम्भल।

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टों पर किसी प्रकार का कच्चा माल, कोयला व लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(अनिल कुमार विश्वकर्मा)
वैज्ञा०सहा०

सहा०पर्या०अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय



तहसील चन्दौसी, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील चन्दौसी, सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

1	Kalawati Brick Works	Muriyakhera	Chandausi	Sambhal
2	Khan Entt. Udyog (Old name - Raj Brick works & Nayab Brick works)	Naraul, Sambhal Road	Chandausi	Sambhal
3	Om Sai Ent Udyog	Ahmadnagar Tharesa	Chandausi	Sambhal
4	R S Brick Works (New name - Kajal Brick Works)	Mudliya Khera	Chandausi	Sambhal
5	Shri Krishna Ent Udyog	Mudliya Khera	Chandausi	Sambhal
6	Siddhart Brick Works (Old Name Mahaveer Brick Works)	Asalatpur Jaral	Chandausi	Sambhal
7	Tiranga Brick Works (Old Name Kisan Brick Works)	Sarai Jwalapuri	Chandausi	Sambhal
8	Vishv Hari Sakar Ent Udyog	Khera Khas	Chandausi	Sambhal
9	MS Brick Works	Mirzapur	Chandausi	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी प्रकार का कच्चा माल, कोयला व लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अंजनी शुक्ल)
प्रयो00सहा0

सहा0प्रयो0अमि0 / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील चन्दौसी, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील चन्दौसी, सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

1	A One Ent Udyog	Raja ka Majhola	Chandausi	Sambhal
2	Bankey Bihari Brick Works	Balkaranpur	Chandausi	Sambhal
3	Chaudhary Brick Field	Gumthal	Chandausi	Sambhal
4	Chaudhary Brick Works	Jaineta	Chandausi	Sambhal
5	Chetan Eint Udyog	Amiyapur Pachak	Chandausi	Sambhal
6	G and C Brick Works (Old Name Hind Brick Works)	Pathra, Badayun Road	Chandausi	Sambhal
7	Ganesh Brick Works	Mudiya Khera	Chandausi	Sambhal
8	GGR Brick Works	Chhabra	Chandausi	Sambhal
9	HMK Brick Works (old Name Haji Mateen)	Rahauli	Chandausi	Sambhal
10	Jai Durga Maa Brick Works	Mundia Khera	Chandausi	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी प्रकार का कच्चा माल, कोयला व लकड़ी का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलाकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(अंजनी शुक्ल)
प्रयो00सहा0

सहा0पर्या0अमि0 / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

1



तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या—

उपरोक्त विषयक तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 28.10.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Chaudhary Brick Works	Daboi Khurd, Asmoli	Sambhal	Sambhal
2	Chaudhary Brick Works (Old Name HMT Brick Works)	Mohammadpur Malini, Sirsi	Sambhal	Sambhal
3	Chishti Ent Udyog	Pahra, Chandausi Road	Sambhal	Sambhal
4	Chisti Shan Brick Works	Chandwar, PS - Asmauli	Sambhal	Sambhal
5	FKF Brick Works	Bilalpath, Asmoli PS Asmoli	Sambhal	Sambhal
6	Friend Brick Work (Old Name Haji Banne Miyan ent Udyog)	Razakpur, Barahi	Sambhal	Sambhal
7	Gupta Brick Works	Saidpur Imma, Hasanpur Road, PS - Asmauli	Sambhal	Sambhal
8	Haji Munshi Ahamad Brick Works	Pahera, Mohamadpur Tanda	Sambhal	Sambhal
9	Hari Anand Brick Works(New name - Giriraj Brick Works)	Patrasi (Dhareta)	Sambhal	Sambhal
10	Husain Brick Field (Husain Ent Udyog) (New Name Kisan Brick works)	Bela Ki Milak	Sambhal	Sambhal
11	Ilahi Brick Works	Mukarrabpur	Sambhal	Sambhal
12	Ilahi Brick Works (Old Name Shareef Brick Works)	Barahi, Sirsi	Sambhal	Sambhal
13	Indian Brick Works	Ahrola Maafi	Sambhal	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या—

उपरोक्त विषयक तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.10.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Ahmad Shah Brick Works (New name - Akbar Husain Brick Works)	Oberi	Sambhal	Sambhal
2	Ahmad Ullah Brick Works	Mohammadpur Malani	Sambhal	Sambhal
3	Akram Ent Udyog (New name - Arham Brick Works)	Barahi, Rahtol	Sambhal	Sambhal
4	Al Haram Brick Field	Lahara Kamangar	Sambhal	Sambhal
5	Alamdar Ent Udyog & Alamdad Brick Industries (New name - Star Entt. Udyog)	Harsinghpur	Sambhal	Sambhal
6	Alidad Ent Udyog (Mohammad Entt. Udyog)	Harsinghpur	Sambhal	Sambhal
7	Al-Madina Ent Udyog	Racheta	Sambhal	Sambhal
8	AMD Brick Works (New name - Rana Brick Works)	Malpura Urf Malpur	Sambhal	Sambhal
9	Anwari Brick Works	Waripur Bhamraua	Sambhal	Sambhal
10	Arzu Brick Works (Old Name Labiba Brick Works)	Bilalpath, Asmoli	Sambhal	Sambhal
11	Azazi Brick Works	Maatipur Dhaktoda	Sambhal	Sambhal
12	Balaji Maharaj ent Udyog	Khaspur, Asmoli	Sambhal	Sambhal
13	Bharat Brick field (New name - Jiya Intt. Udyog)	Mahmoodpur Malini	Sambhal	Sambhal
14	Burhan Brick Field	Fatehpur Sarai	Sambhal	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(अनिल कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

1



तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Shahdos Mohhamad Shah Brick Field(New name - Zohan Brick Works)	Barahl, Sirsi	Sambhal	Sambhal
2	Shan Brick Works(New name - Sania Brick Works)	Oberi	Sambhal	Sambhal
3	Shiv Shakti Ent Udyog (Shri Balaji Ent Udyog)	Dugawar, Asmoli	Sambhal	Sambhal
4	Shri Ram Eint Udyog	Matawali Patti, Asmloli	Sambhal	Sambhal
5	SK Brick Works	Sirsi, Bhamrauwa Road	Sambhal	Sambhal
6	Sona Ent Udyog(New name - Gause Brick Works)	Gandipur, Salarpur Road	Sambhal	Sambhal
7	Sri Sai Ent Udyog(New name - Almadina Ent. Udyog)	Lahara Kamangar	Sambhal	Sambhal
8	Teba Hasan Brick works(New name - Sofia Brick works)	Petia Maafi	Sambhal	Sambhal
9	Yagosh Brick Works(New Name - New Saqleni Brick Works)	Shafatnagar	Sambhal	Sambhal
10	NSR Brick Field	Sheedal Mafi, Asmoli Road	Sambhal	Sambhal
11	Zen Brick Works(Old name - Zaid Brick works)	Mansoorpur Maafi	Sambhal	Sambhal
12	Jai Shri Sai Brick Works	Dhureta Bahjoi road	Sambhal	Sambhal
13	Mukhtar Brick Works	Bilalpath, Asmoli	Sambhal	Sambhal
14	Shadab Brick Works	Khaspur	Sambhal	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(आकृषि जोशी)
प्रयोगशाला सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Om sai Brick field	Majhola fatehpur	Sambhal	Sambhal
2	PHD Brick Works	Ahmadnagar Tharesa	Sambhal	Sambhal
3	Prince Brick Work (Old name - KSN Brick works)	Sevapur Pedaraspur, Gumsani	Sambhal	Sambhal
4	Quality Brick Works	Pota, Sirsi	Sambhal	Sambhal
5	Rehman Brick Works (Old Name Tehjeeb Brick Works)	Sahbaspur	Sambhal	Sambhal
6	Riyal Diamond Brick Works	Sherpur, Bahjoi Road	Sambhal	Sambhal
7	RNZ Brick Works	Chak Viran	Sambhal	Sambhal
8	Royal Brick Works & Ruby Brick Works (New name AKA Brick works)	Mukarrabpur, Sirsi	Sambhal	Sambhal
9	Sabri Brick Works	Navada	Sambhal	Sambhal
10	Sadar Ent Udhog(New name - Hazrat Ali Brick Works)	Ratupura	Sambhal	Sambhal
11	Sahiba Ent Udyog	Barahi, Sirsi	Sambhal	Sambhal
12	Sana Brick Works	Khaspur, Asmoli	Sambhal	Sambhal
13	Saqlani Brick Works(New name - Noori Entt. Udyog)	Racheta	Sambhal	Sambhal
14	Seven Sky Brick Works(New name - Seven Star Brick Works)	Hadakur, Sirsi	Sambhal	Sambhal
15	Shadan Brick Works(Shri Balaji Brick works)	Rehtol	Sambhal	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(आकाश जोशी)
प्रयोगशाला सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

C.S. [Signature]

तहसील सम्भल, जनपद सम्भल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या -

उपरोक्त विषयक तहसील सम्भल, जनपद सम्भल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Indian Brick Works(New name - Sabri Brick Works)	Asgaripur, PS - Asmoli, Chaudharpur, Manouta road	Sambhal	Sambhal
2	Indian Brick Works(New name- Chaudhary Brick Works)	Sirsi	Sambhal	Sambhal
3	Indian Green Brick Works	Akabarpur, Bahjoi	Sambhal	Sambhal
4	Jai Ambe Brick Works	Babaina, Mohra Lakhupura	Sambhal	Sambhal
5	Jai Baba Brick Works (New name Singh Baba Brick Works)	Rajjak Pur	Sambhal	Sambhal
6	Jai Maa Durgay (Old Name Jai Shri Ram Brick Works)	Chirauli Bhagwantpur	Sambhal	Sambhal
7	Kadri Brick Field & Warsi Brick Field (New name - Khwaja Garib Nawaj)	Tanda Kothi, Asmoli	Sambhal	Sambhal
8	KGN Brick Works	Navada	Sambhal	Sambhal
9	Khan Brick Works	Mukarabpur, Sirsi	Sambhal	Sambhal
10	Khwaja Ent Udyog(New name - Radhe Radhe Entt Udyog)	Taharpur Simraua, Near Hindauli	Sambhal	Sambhal
11	Khwaja Garib Nawaj Ent Udyoog (old Name Sabri Ent Udhyog)	Mohammadpur Malini, Sirsi	Sambhal	Sambhal
12	Kisan Brick Works (Old Name Naved Brick Works & Hasan Brick Works)	Milak Bela	Sambhal	Sambhal
13	Kisan Brick Works(New name - Asadullah Brick Works)	Rachaita, Asmoli	Sambhal	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से स्थापित ईट भट्टों की निरीक्षण आख्या-

उपरोक्त विषयक तहसील सम्मल, जनपद सम्मल में अवैध रूप से चिन्हित निम्नलिखित ईट भट्टों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.11.2023 को किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्रम सं०	ईट भट्टे का नाम	ग्राम	तहसील	जनपद का नाम
1	Mahal Brick Works (present name warsi brick works)	Safat Nagar	Sambhal	Sambhal
2	Majid Brick Works	Bhawanipur (Tigri)	Sambhal	Sambhal
3	Malik Ent Udyog (Old Name Mansoori Ent Udyog)	Heerapur	Sambhal	Sambhal
4	MH Brick Works	Aitmad pur Bhatpura PS Anchoda	Sambhal	Sambhal
5	MLK Brick Works	Gumsani,Saidri Road	Sambhal	Sambhal
6	MMA Brick Works(New Name - SSA Brick works)	Rattupura	Sambhal	Sambhal
7	Mohammad Ent Udyog	Overy	Sambhal	Sambhal
8	National Ent Udyog	Mattawali Patti	Sambhal	Sambhal
9	New Ansari Brick Works	Barahi, Sirsi	Sambhal	Sambhal
10	New Vip Brick works(New name - Aditya Entt. Udyog)	Benipur Chak,adampur Road	Sambhal	Sambhal
11	NS Brick works	Darapur,Saidpur	Sambhal	Sambhal

निरीक्षण के समय बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टों में उत्पादन कार्य होता नहीं पाया गया तथा ईट भट्टे पर किसी भी प्रकार का कच्चा माल एवं ईंधन (कोयला/लकड़ी) का भण्डारण नहीं पाया गया। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(राजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहायक/अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

1

C.S. [Signature]